खण्ड-200, अंक-2
गुरूवार, 20 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(11 दिसम्बर, 1958 ई0)

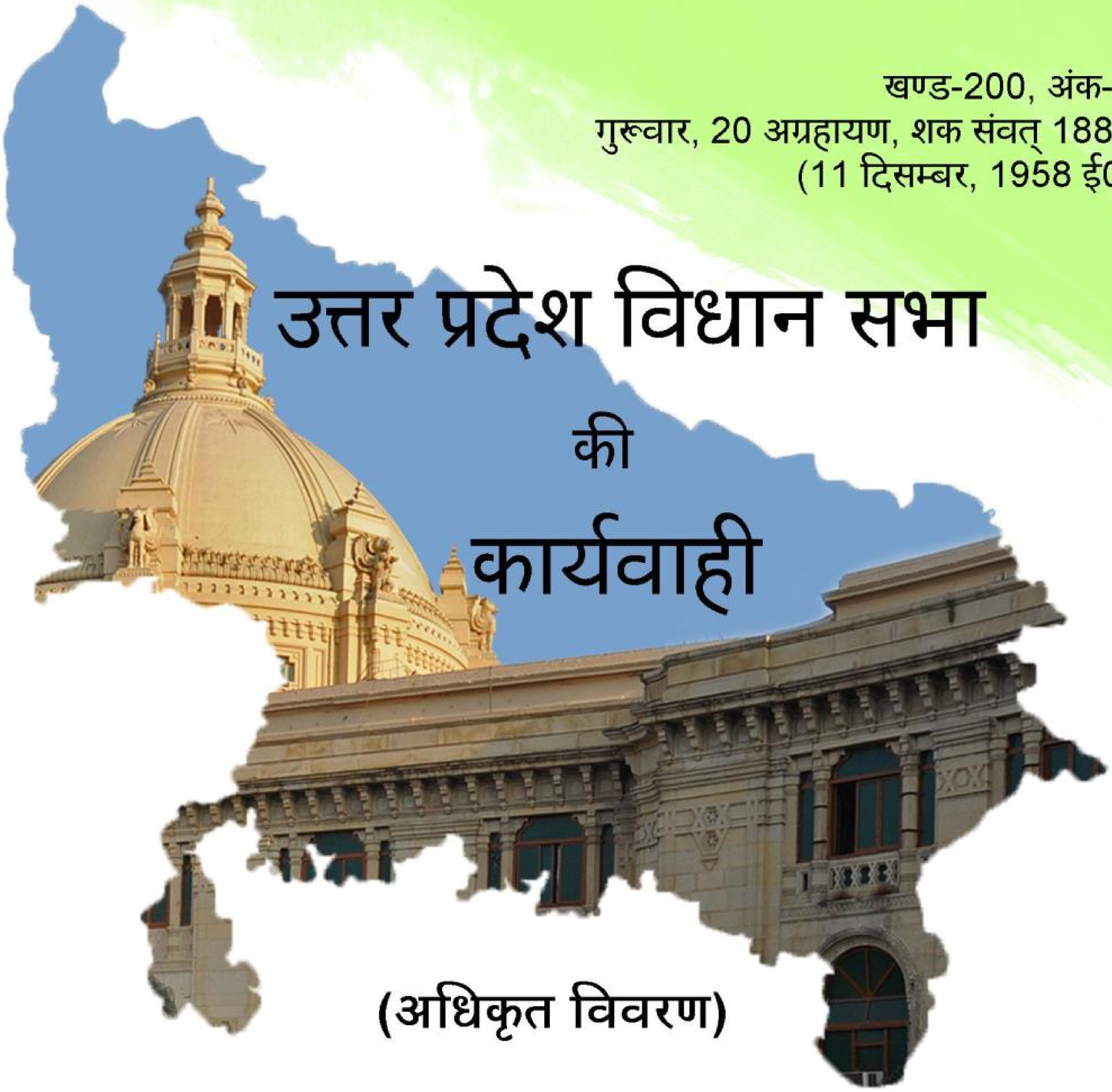

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद,
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावली, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवंती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
ब्रजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--आप प्रश्नों के कार्यक्रम को ले रहे हैं। उसके सम्बन्ध में कार्यक्रम लेने के पहले मैं आप से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि नियम ४० के अन्तर्गत यह दिया हुआ है कि यदि किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त न हो सके तो जिस मन्त्री से सम्बन्धित वह प्रश्न हो तो उसकी वांछित सूचना के लिये समय बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ-साथ नियम २७ में यह दिया हुआ है कि "मन्त्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नों का स्थगन--विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सम्बद्ध मन्त्री की अनुपस्थिति की दशा में तद्विषयक प्रार्थना किये जाने पर अध्यक्ष प्रश्न को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर सकते हैं"। तो जो आज का यह कार्यक्रम है उसमें ४ प्रश्न ही रह गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न स्थगित किये गये हैं उनकी सूचना प्राप्त हुई है या वह आग के लिये बढ़ा दिये हैं?

श्री अध्यक्ष--वह खुद गैरहाजिर रहे। उसी हिसाब से उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके प्रश्न अगर १३ तारीख को ले लिये जायं तो उनको सुविधा होगी। अगर उनकी प्रार्थना नहीं आती तो वह दूसरे हफ्ते के लिये जाते। शनिवार को कोई प्रश्न नहीं रखे जाते और वह दिन काम के लिये बढ़ भी गया है तो उसी दिन वे ले लिये जायेंगे और मंत्री जी उत्तर देंगे। सूचना में यह दिया हुआ है कि माननीय मुख्य मन्त्री की प्रार्थना पर १३-१२-१९५८ के लिये स्थगित किये गये। वह आज यहां पर नहीं हैं इसलिये यह चीज हो गई।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ दिसम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३-४--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*५-६--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[नवें शुक्रवार के लिए प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७--श्री हरदयालसिंह--[९ दिसम्बर, १९५८ को उत्तर दिया जा चुका है ।]

*८-९--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०-१२--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*१३-१५--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[हटा दिये गये ।]

*१६-१७--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--[सत्ताइसवें मंगलवार के लिए स्थानान्तरित किये गये ।]

*१८-१९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--[९ दिसम्बर, १९५८ को उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२१--श्री गनेशचन्द्र काछी--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२-२३--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*२४--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--[नवें गुरुवार के लिए स्थानान्तरित किया गया ।]

*२५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६-२७--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--[दसवें शुक्रवार के लिए स्थानान्तरित किये गये ।]

*२८-२९--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

३०-३१--श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*३३-३५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*३६--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--[हटा दिया गया ।]

*३८--श्री रामशरण यादव--[हटा दिया गया ।]

*३९--श्री रामशरण यादव--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०--श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१-४३--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--[१३ दिसम्बर,

*४४--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४७-४८--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*५०--श्री हरदयालसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज--इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद डिपो में कितने क्लीनर, कन्डक्टर, जूनियर जनरल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, जनरल क्लर्क, फोरमैन, मैकेनिक, एलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर, ड्राइवर, अलग-अलग पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनमें क्रमशः कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ।

परिवहन मन्त्री (डाक्टर सीताराम)--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३४ पर)

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--उत्तर से प्रतीत होता है कि हरिजन तथा परिगणित जाति के लोग नहीं के बराबर हैं । तो यह कमी क्यों है ?

डाक्टर सीताराम--यह कहना कि नहीं के बराबर हैं, गलत है । हरिजन बैकवर्ड उसमें हैं लेकिन जो कोटा है वह अभी पूरा नहीं हुआ है । बैकवर्ड क्लास के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उनको प्रीफ्रेन्स दिया जाता है । यह तालिका अगस्त के महीने की है । उसी समय यह जवाब देने के पहले डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने प्रदेश के सारे जनरल मैनेजरों के पास यह एक आदेश भेजा था कि अपने यहां हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को अधिक से अधिक भरती किया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह आर्डर निकाला गया है उस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ? इटावा, फर्रुखाबाद और कानपुर में कोई वृद्धि हुई है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--इस सम्बन्ध में मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी भविष्य के लिये कोई ऐसा आदेश देंगे कि उनका यह कोटा १८ प्रतिशत का पूरा हो जाय ?

डाक्टर सीताराम--इस प्रकार के आदेश गये हैं और सन् १९५३ से सरकार की यह नीति रही है और अब भी है कि यह १८ फीसदी रिजर्वेशन पूरा किया जाय । जो उम्मीदवार मिलते हैं उनको रख लिया जाता है और अगर नहीं मिलते तो एक साल तक के लिये जगह वेकेन्ट रखी जाती है । अगर एक साल के बाद भी नहीं मिलते तो पोस्ट लैप्स हो जाती है और रिजर्वेशन का कोई खयाल नहीं रहता ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन बैकवर्ड लोगों के प्रार्थना-पत्र नहीं आये अथवा उपयुक्त उम्मीदवार उनको प्राप्त नहीं हुये ?

डाक्टर सीताराम---तालिका देखने से मालूम होता है कि यह सब टेक्निकल पोस्ट्स हैं और हम लोगों का अनुभव है कि हरिजन तथा बैकवर्ड लोग टेक्निकल पोस्ट्स के लिये बहुत कम अप्लाई करते हैं। अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन का हरिजन अप्लाई करे तो माननीय सदस्य उसका आवेदन-पत्र मेरे पास अथवा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास भिजवा दें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह रख लिया जायगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्लीनर्स में जो अनुपात में कमी है उसको दूर करने के लिये भी क्या हरिजन और बैकवर्ड लोग नहीं प्राप्त होते ?

डाक्टर सीताराम---अगर उनके आवेदन-पत्र आते हैं तो विचार किया जाता है और उनको उम्मीदवारों की लिस्ट में रखा भी जाता है। लेकिन बैकवर्ड के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनको प्रेफ्रेंस दिया जाता है। हरिजनों या परिगणित जाति के लिये १८ फीसदी का रिजर्वेशन दिया गया है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नान-टेक्निकल पोस्ट्स हैं, जैसे क्लीनर, क्या उसके लिये भी हरिजन प्रार्थी पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होते ?

डाक्टर सीताराम---सूचना तो यही है कि उनके आवेदन-पत्र नहीं आये हैं। उन पर अधिकारीगण विचार करते ही हैं।

*५१---कुंवर श्रीपालसिंह---[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५४---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली-प्रतापगढ़ बस सर्विस की मांग

*५५---श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह रायबरेली से ऊंचाहार-हरनामगंज होकर प्रतापगढ़ सीधी रोडवेज बस चलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करना आवश्यक समझती है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, भविष्य में ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ऐसी रोड्स पर भी बस न चलाने के कारण क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम---राष्ट्रीयकरण करने की नीति सरकार की धीरे-धीरे है। जितना धन उपलब्ध है उसी के अन्तर्गत सड़कों को लिया जा रहा है। इस सड़क को लेने का.

कि यदि मुस्तफाबाद से कालाकांकर सड़क ठीक हो और सरकारी बस न भी चलाई जा सकती हो तो प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट दे दिया जाय ।

श्री भगौतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन सड़कों पर प्राइवेट बसेज चल रही हैं या नहीं ?

डाक्टर सीताराम---रायबरेली से मुस्तफाबाद होती हुई ऊंचाहार तक बसेज चल रही हैं और कालाकांकर से प्रतापगढ़ तक भी बसेज चलती हैं लेकिन मुस्तफाबाद से कालाकांकर तक कोई बस नहीं है ।

श्री भगौतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी सरकार की ओर से इस बात की स्वीकृति प्रदान करेंगे कि रायबरेली से ऊंचाहार होकर हरनामगंज के लिये बसेज चल सकें ?

डाक्टर सीताराम---अभी ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस रोड पर प्राइवेट बसेज कितनी चल रही हैं ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इन सड़कों पर प्राइवेट बसेज भी नहीं चल रही हैं तो यातायात की असुविधा को देखते हुये वह बसेज चलाने की मंजूरी देंगे ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क के राष्ट्रीयकरण के लिये तीसरी योजना में सिफारिश करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---अभी तो नहीं बताया जा सकता । लेकिन ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को यह राय दे दी गयी है कि मुस्तफाबाद से कालाकांकर की सड़क अगर ठीक हो तो कम से कम प्राइवेट बसेज को चलाने के लिये आज्ञा प्रदान कर दें ।

रोडवेज के विभिन्न मार्गों पर किराये में अन्तर

*५६---श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, फतेहपुर (बाराबंकी) रोड पर बस का किराया साढ़े सात पाई फी मील है, सुल्तानपुर रोड पर साढ़े पांच पाई और हैदरगढ़ रोड (बाराबंकी) में साढ़े छ पाई फी मील है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी हां । फतेहपुर रोड पर निर्धारित किराया लिया जाता है, पर यात्रियों की सुविधा हेतु सुल्तानपुर रोड व हैदरगढ़ रोड पर निर्धारित किराये से कम किराया लिया जाता है ।

*५७---श्री भगौतीप्रसाद वर्मा---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या सीतापुर रोड पर वापसी टिकट लेने पर रोडवेज में लगभग चौथाई किराये की छूट होती है ? यदि हां, तो बाराबंकी रोड पर वह छूट क्यों नहीं दी जाती ?

डाक्टर सीताराम---जी हां । पर किराये की छूट लगभग १/५ है । बाराबंकी रोड पर यह छूट नहीं दी जाती क्योंकि यह मार्ग छोटा है ।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो छूट हैदरगढ़-सुल्तानपुर रोड पर जनता को दी जाती है वह फतेहपुर रोड पर क्यों नहीं दी जाती ? क्या भविष्य में यह छूट वहां भी देने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---यह सुविधा सब जगह इसलिये नहीं दी जा सकती कि एक स्थान की बचत से दूसरी जगह के पैसेन्जर्स को यह सुविधा दी जाती है ।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा---क्या परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वापसी टिकट में छूट दी जाती है उसके लिये कोई सीमा निर्धारित है कि इतनी दूरी पर छूट दी जायगी और इतनी दूरी पर नहीं छूट दी जायगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, नीति यह है कि जिस जगह ज्यादा ट्राफिक हो, वहां से कुछ पैसा आसानी से मिल सके तो लेकर ऐसी जगह जहां बैकवर्ड्स हैं, उनको कुछ सहूलियत दी जाय, इसलिये किराये में अन्तर रखा जाता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लखनऊ-फतेहपुर रोड और सुल्तानपुर रोड के किराये में अन्तर है, वह अन्तर किन-किन कारणों से है, जो प्रमुख कारण बतलाये गये हैं इसके अतिरिक्त ?

डाक्टर सीताराम---अभी कारण तो बतला दिया गया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर रोड पर साढ़े ५ पाई फी मील के हिसाब से किराया लेने पर इस विभाग को फायदा हो रहा है या नुकसान ?

डाक्टर सीताराम---फायदा हो रहा है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय परिवहन मंत्री जी अन्य जगहों पर भी साढ़े ५ पाई फी मील के हिसाब से किराया करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सीतापुर रोड पर वापसी टिकट लेने की जो सुविधा दी जाती है, यही सुविधा प्रदेश के अन्य बड़ी रोडों पर भी दी जायगी ?

डाक्टर सीताराम---ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर साढ़े ५ पाई फी मील के हिसाब से किराया लिया जाता है, तो हैदरगढ़ रोड पर ६ पाई फी मील के हिसाब से किराया क्यों लिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह बड़ा कम्पलिकेटेड सवाल है, इस पर बहुत विचार किया गया है । डिपार्टमेंट के रिकार्ड में देख कर इस पर विचार किया जाता है । ओवर-आल पिक्चर सामने होता है कि कितनी आमदनी है, कितनी बसेज कहां चलती हैं और कितनी बसेज कहां चलाने की जरूरत है । इन सब बातों को देख कर ही यह सब निश्चय करना पड़ता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इन सड़कों की तरह से अन्य सड़कों पर भी बसों के किराये के रेशनलाइजेशन के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार करती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती है ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार जिन रूट्स पर मेलों में ज्यादा भीड़ होती है उन पर वापसी टिकट देने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि जिस सड़क पर इस समय वापसी में छूट नहीं दी जाती है उस पर ज्यादा ट्रैफिक चलता है, फिर भी छूट नहीं दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

*५८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६०-६१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२-६४—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५-६६—श्री मदन पांडेय—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७-६८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[दूसरे बुधवार के लिए प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०-७१—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[ग्यारहवें सोमवार के लिए प्रश्न ४६-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७२-७४—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५—श्री गनेशचन्द्र काछी—[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*७६—श्री गनेशचन्द्र काछी—[नवें शुक्रवार के लिए प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७७—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*७८—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*७९—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*८०—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८१-८२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[तेरहवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*८३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[नवें शुक्रवार के लिए प्रश्न ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८४-८६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८७--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--[नवें शुक्रवार के लिए प्रश्न ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८८--श्री रामशरण यादव--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८९--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९१--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--[१३ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कार्यसूची में परिवर्तन पर आपत्ति

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं । आज आप देखेंगे कि इस कार्य-सूची में नम्बर ३ आइटम पर उपाध्यक्ष प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली पर विचार किया जाय । इसी सम्बन्ध में आपको स्मरण होगा कि पिछले २-३ दिनों में बार-बार प्रश्न किये गये और विशेष तौर से माननीय सदस्य पालीवाल जी ने मुख्य मंत्री जी से प्रश्न किया था कि क्या यह प्रक्रिया नियमावली निकट भविष्य में आ रही है । उस समय उत्तर मिला था संभवतः नहीं । आज ऐजेंडे पर आइटम नं० ३ पर यह उपस्थित है । मालूम होता है कि अचानक हमारे सामने लाकर रख दिया गया है ताकि हमें तैयारी करने का मौका न मिले और जल्दी में यह पास हो जाय । इसका आर्डर नं० ३ नहीं होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--इस एतराज का मौका तब आयेगा जब कि उक्त आइटम उपस्थित हो, उस समय आप एतराज कर सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--पहले से चेतावनी दे दी है ।

श्री अध्यक्ष--चेतावनी की क्या जरूरत है ? जब वह सामने आयेगा तब आप अपना एतराज उपस्थित कर सकते हैं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--पहली तारीख से बराबर मेरे प्रश्न रोज आते रहे लेकिन हाउस में नहीं आ सके और आज प्रश्नों के वक्त को भी आप सरकारी कार्य में ले रहे हैं और सरकार को मौका दे रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--आज के लिये जो प्रश्न थे वे समाप्त हो गये और आज के कुछ प्रश्न १३ तारीख को लिये जायंगे यह निश्चय हो गया है तो प्रश्न समाप्त होने पर फिर कौन से प्रश्न बाकी रह जाते हैं ?

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--मैं भी एक इन्फार्मेशन चाहता हूं कि मेरा प्रश्न जो नं० ३८ पर था वहां पर लिखा हुआ है कि हटा दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से हटा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--कारण बहुत से होते हैं, एक तो यही कि दो दफा एक ही प्रश्न छप जाता है या किसी दूसरे मेम्बर का प्रश्न आ जाता है, इसलिये उसे हटा दिया जाता है । दफ्तर में आप आ जाइयेगा, वहां फाइल देख कर मैं बतला सकता हूं । यहां मेरे पास इस वक्त फाइल नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न २३ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब वित्त मंत्री जी अपने एक उत्तर का संशोधन करेंगे जो कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में दिया था।

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न २३ का ६ अगस्त, १९५८ को श्री मदन पाण्डेय के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था :—

> "जी नहीं, उन लोगों का रिप्रेजेन्टेशन यह था कि एक्सपोर्ट पर टैक्स न लिया जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमारी सिफारिश पर वह टैक्स खत्म कर दिया। जहां तक प्रदेश के अन्दर के सेल्स टैक्स का सम्बन्ध है उसे ६ पाई फी पया घटा कर २ परसेंट कर दिया गया है।"

उत्तर में कुछ त्रुटियां रह गई है। सही उत्तर इस प्रकार है :—

> "जी नहीं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन यह था कि एक्सपोर्ट पर टैक्स न लिया जाय। मांग को स्वीकार करते हुये सरकार ने सूत (Cotton yarn) के एक्सपोर्ट पर से टैक्स हटा लिया। जहां तक प्रदेश के अन्दर के सेल्स टैक्स का सम्बन्ध है उसे ६ पाई फी पया से घटाकर २ परसेंट कर दिया गया है।"

अतः आपसे प्रार्थना है कि ६ अगस्त की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, संशोधन कर दिया जायगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियमों पर विचार

अध्याय ७ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में जो संशोधन उपस्थित किया गया था माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी द्वारा उस पर माननीय राम स्वरूप वर्मा बोल रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

***श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल इस सम्बन्ध में माननीय त्रिपाठी जी का ध्यान आकर्षित किया था कि कृषि फैकल्टी का होना इसलिये जरूरी है कि पूर्वी अंचल में अनाज की कमी रहती है। वहां से टेक्नीशियन्स निकलेंगे, अच्छी खेती करेंगे जिससे एक क्षेत्र की तरक्की होगी। इसी सम्बन्ध में मैंने इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के कालेज का भी वर्णन किया था और यह कहा था कि वहां एफीलियेशन न होने के कारण कठिनाई है। चूंकि वह कालेज अमेरिका की मदद से चल रहा है तो चला भी जा रहा है। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है उससे कृषि कालेज सम्बन्धित हो जाने मात्र से कोई लाभ कृषि कालेज को नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान की फैकल्टी से वह सम्बन्धित रहेंगे तो विज्ञान के विषयों पर तो जोर पड़ेगा, लेकिन कृषि में कोई तरक्की नहीं होगी। इसीलिये जोर दिया जा रहा था और मैं खास तौर से इस प्रस्ताव को उनके सामने उपस्थित करना चाहता था कि वह भी सोच विचार करें, सदन भी सोचे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये कृषि फैकल्टी का होना बहुत जरूरी है।

---

†१० दिसम्बर, १९५८ को कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

वैसे तो श्रीमन्, जैसा दूसरे सदस्यों ने कहा गोरखपुर विश्वविद्यालय को रूरल यूनीवर्सिटी कहना चाहते थे, लेकिन त्रिपाठी जी कहते हैं कि रूरल यूनीवर्सिटी का कोई आइडिया भी उनके दिमाग में नहीं है। तो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि चाहे रूरल यूनीवर्सिटी के शब्दों के अर्थ में कोई विभिन्नता हो, लेकिन जहां तक कृषि फैकल्टी की बात है यह बहुत स्पष्ट बात है। कृषि फैकल्टी होगी, उनके अधिकार होंगे, वह अपना एक बोर्ड रखेगी और उसमें जो बातें ये होंगी उस हिसाब से कृषि कालेज में पढ़ाई तथा विश्वविद्यालय में रिसर्च, पोस्ट-ग्रेजुएट की पढ़ाई इत्यादि हुआ करेगी।

यह कहा गया कि पैसा नहीं है इसलिये यह सम्भव नहीं है, जब स्थिति होगी तब देखा जायगा। तो मेरा कहना यह है कि स्थिति कब आयेगी, इसका सरकार पर कोई नैतिक दबाव नहीं है। अगर सरकार कृषि फैकल्टी की बात को अभी मान लेती है तो उसके ऊपर एक नैतिक दबाव रहेगा और वहां कृषि सम्बन्धी कालेज चल सकें, एम०एस-सी० (एजी०) की क्लास चल सके और उसमें यूनीफर्सिटी भी आती है। तो मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, सिर्फ नैतिक दबाव ही उनके ऊपर पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं भी इस परिनियम में इस उपनियम के बढ़ाये जाने का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रथम परिकल्पना की गई थी और विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था तो हमारे सभी दलों के माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि इसका एक ग्रामीण विश्वविद्यालय का रूप होना चाहिये, लेकिन उस समय यह बताया गया था कि इस समय आगरा विश्वविद्यालय के भार को हल्का करने के लिये और जो सम्बन्धित कालेज हैं आगरा विश्वविद्यालय के और जो सैकड़ों मील दूर स्थित हैं और जिनका सुपरविजन ठीक से नहीं हो पाता उस भार को कम करने के लिये यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। हम अपेक्षा करते थे कि यह जहां आगरा विश्वविद्यालय के भार को हल्का करेगा वहां दूसरी ओर उस में प्रायः वह तमाम तत्व विद्यमान होंगे जो कि आज की जरूरत को देखते हुये आवश्यक हैं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की कृषि फैकल्टी की व्यवस्था इन परिनियमों में की जाय।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक इनफार्मेशन चाहता हूं। क्या विधान परिषद् के माननीय सदस्यों को इस बात का अधिकार है कि वे इस सदन में आकर चेयर की तरफ पीठ करके किसी से भी बातचीत कर सकें?

(श्री हुकुम सिंह विसेन और विधान परिषद् के सदस्य श्री शाहिद फाखरी की बातें होते देखकर)

श्री अध्यक्ष---(श्री हुकुम सिंह विसेन से) माननीय मंत्री जी, आप को इस बात पर एतराज हो रहा है कि विधान परिषद् के माननीय सदस्य यहां बीच में आकर आप से बात करके यहां की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह---अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई एतराज नहीं किया है बल्कि मैं तो सिर्फ आप से यह इनफार्मेशन चाहता हूं कि क्या कौंसिल के माननीय सदस्यों को यहां आकर इस प्रकार बात करने का हक है? अगर हक है, तो मुझे भी अक्सर काम मंत्रियों से पड़ता है मैं भी वहां जाकर उन से इसी प्रकार बातें कर लिया करूं? मैं तो सिर्फ इस सम्बन्ध में परम्परा व तहजीब जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---परम्परा तो केवल यही है कि उनके लिये स्थान नियुक्त है, वह वहां जाकर बैठ सकते हैं। वैसे परिषद् सदस्य और आप दोनों लेजिस्लेचर के सदस्य हैं, अगर कोई गड़बड़ नहीं होती है तो वे ऐसी जगह जा सकते हैं, लेकिन अगर कार्य में गड़बड़ पैदा होती है तो उस जगह बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि दोनों सदनों के सदस्यों में परस्पर थोड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सद्भावना की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी ने मेरी तवज्जह दिलाई कि गड़बड़ होती है तो मैं उन्हें रोकूंगा क्योंकि कार्य में व्यत्यय होता है तभी आक्षेप होता है। साधारणतया जब कोई सदस्य दूसरे सदन में जाये तो पूछ कर जाये। अगर वह लाबीज में बैठना चाहें तो वह उनकी जगह मौजूद है। उन की दर्शकों में भी जगह रिजर्व है, अन्य दर्शक दीर्घाओं में भी अगर दूसरे आदमी बैठे न हों और कुछ जगहें खाली हों तो उन पर भी बैठने का उनको हक है।

श्री सूरथबहादुर शाह--अध्यक्ष महोदय, जरा गलतफहमी न हो, आप आज्ञा दें तो मैं अर्ज करूं। मेरा अभिप्राय किसी तरह की गड़बड़ करने का नहीं था। मैं सदन की डिगनिटी और एक ट्रेडिशन के बारे में अर्ज करना चाहता था। कोई विधान मंडल के माननीय सदस्य चाहे इस सदन के हों या उस सदन के वह जाकर किसी दूसरे सदन में किसी मुलाकाती से हाथ मिलायें फिर पीठ करके बातें करें यह सदन की डिगनिटी व ट्रेडिशन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, इस बात को अब ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिये थोड़ा इशारा ही बुद्धिमानों के लिये काफी होता है। आप और वह सब बुद्धिमान हैं मैं किसी को भी कमसमझ नहीं समझता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी आवश्यकताओं को देखते हुये और राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों को देखते हुये अवश्य ही वहां कृषि की फैकल्टी की व्यवस्था होना चाहिये। यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि अगर परिनियमों में फैकल्टी को स्थान मिलेगा तो उसका आशय यह नहीं है कि अनिवार्यतः और अविलम्ब फैकल्टी की स्थापना वहां हो जायगी। बहुत से विषय ऐसे हैं कि जिन में फैकल्टी की व्यवस्था है, लेकिन अभी वह स्थापित नहीं हुये हैं और वह समय आने पर स्थापित होंगे। लेकिन अगर हमने यहां इसको नहीं रखा तो जब कभी भी उसकी आवश्यकता महसूस की गई तो बड़ी दिक्कत हो जायगी कि कृषि फैकल्टी की स्थापना हो सके फिर ये हम फर्स्ट स्टेट्यूट्स बना रहे हैं इनके बनाने का दायित्व सरकार का था लेकिन सदन अपनी मुहर लगा रहा है। तो हमारे फर्स्ट स्टेट्यूट्स ऐसे होने चाहिये जो कि यूनिवर्सिटी को ऐक्सेप्टेबिल हों नहीं तो आप जानते हैं कि परिनियमों को स्वयं वहां की एग्जीक्यूटिव कौंसिल बना सकती है। तो बजाय इसके कि वह फिर संशोधन करे हम ही उनके लिये एक आदर्श उपस्थित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर कृषि की शिक्षा को जितना महत्व हम दे रहे हैं उसको देखते हुये अगर वहां एक भी कृषि कालेज हो और उसको फैकल्टी बनाना चाहते हों तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये। लखनऊ में ही देखिये, वर्षों तक एक ही मेडिकल कालेज रहा लेकिन उसी की फैकल्टी आफ मेडिसिन अलग है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करें और फैकल्टी की रचना में अपना योगदान दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा ४० की उपधारा (६) की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं जिसमें लिखा है--

"But the new statutes or part to the statutes or any amendment or repeal of a statute shall require the previous approval of the Chancellor who may sanction, disallow or remit it for further consideration."

उसके बाद धारा ४१ और ४२ में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार की सहमति से वहां की एक्जीक्यूटिव कौंसिल अपने नये सुझाव भेज सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कल आश्वासन देते हुये जो अपनी दिक्कतें बताईं उनको देखते हुये अगर वे निकट भविष्य में एग्रीकल्चर की फैकल्टी बढ़ा देंगे तो मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय मणि जी जब वहां थे तो उन्होंने स्वयं इस फैकल्टी की आवश्यकता को महसूस किया था मगर यहां आकर सदन के वातावरण में और सरकार के चक्कर में पड़ने के बाद अब वे इस आश्वासन को ही काफी समझते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--प्वाइन्ट आफ आर्डर । माननीय उग्रसेन जी ने जो मेरी तरफ इशारा किया है कि मैं किसी कारण से दबाव में आकर अपना संशोधन वापस ले रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने विवेक का पूरा प्रयोग कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने ऐसा इशारा नहीं किया है कि आपने किसी दबाव से काम किया। वे कहते हैं कि हवा का परिणाम पड़ा।

श्री उग्रसेन--मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं और संशोधन वापस लेने का सख्त विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संशोधन के वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में--१०७,
विपक्ष में--६१।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली

श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, जैसी कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है, पर विचार किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। माननीय सदन के सामने यह नियमावली किसी न किसी रूप में दो साल से विचाराधीन है और मुझे बड़ी खुशी है कि यह देखने से मालूम हुआ कि किसी माननीय सदस्य ने कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये मुझे आशा है कि जैसी नियमावली प्रस्तुत की गई है वैसी ही पास हो जायगी। ऐसी दशा में मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन इस पर विचार कर ले और जैसी नियमावली है वैसी ही पास कर ली जाय और किसी माननीय सदस्य को एतराज हो या कोई संशोधन करना चाहते हों तो जो प्रस्तुत नियमावली है उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी मुस्तकिल तौर पर बना दी गई है। जब कोई सदस्य या दल कोई संशोधन करना चाहे तो वह उपस्थित करेगा और कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि समिति अब स्थायी बन गयी है। अब जो संशोधन आयेंगे वह बहुत कम होंगे इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जैसी नियमावली है वैसी ही पास कर ली जाय। अगर संशोधन करने होंगे तो उसके लिये दरवाजा खुला हुआ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मेरी जो आपत्ति है वह यह है कि मैं अपनी निजी बात कहता हूं और मैं अभी तक इस विश्वास में था कि यह नियमावली जिस दिन आयेगी तो उसकी सूचना पहले से मिल जायगी और हमने बड़े उतावले ढंग से इसके जानने की कोशिश की। कल शाम के ५ बजे तक मुझे पता नहीं था कि यह आज आ जायगी। यद्यपि प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि अन्य सदस्यों ने संशोधन नहीं दिये इसलिये सदस्य संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहते हैं। यह निराधार है और मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसी विश्वास में था जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अभी एजेंडे में वह नहीं आ रही है। इसलिये इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यह सदन के सामने है। मुझे यही कहना है और मैं अपने अधिकार को सुरक्षित रखता हूं कि मैं संशोधन रखना चाहता हूं। इसलिये इसके लिये समय दिया जाय ताकि हम सोच सकें।

*न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली जैसी कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है उस पर विचार करने का जो प्रस्ताव अभी उपस्थित किया गया है, आइन्दा के लिये पोस्टपोन किया जाय और उसकी जगह पर आज उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को लिया जाय ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव जो कि इस समय माननीय हुकुमसिंह जी ला रहे हैं, नहीं आ सकता । आपने श्रीमन्, जब व्यवस्था दी थी तो आपने कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस पर एक बिल की तरह विचार होगा और माननीय उपाध्यक्ष इसको पाइलट करेंगे । अब मैं आपका ध्यान नियम ९७ की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसके उपनियम (२) में यह स्पष्ट है कि अगर किसी बिल का मेम्बर इंचार्ज यह मूव करता है कि इस पर विचार किया जाय तो कोई भी सदस्य यह संशोधन पेश कर सकता है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय या जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय । केवल तीन मोशन हो सकते हैं जब विचार का प्रस्ताव किया जाय । कोई इस प्रकार का मोशन नहीं किया जा सकता कि इसको स्थगित किया जाय । केवल उपस्थित करने वाला सदस्य ही यह प्रस्ताव कर सकता है कि आगे के लिये इसको स्थगित किया जाय । चूंकि माननीय उपाध्यक्ष इस नियमावली के चलाने वाले हैं, जैसा कि आपने आदेश दिया था, उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया, उन्होंने तो यह कहा है कि इस पर कोई संशोधन नहीं आया है, इस पर विचार करके पास किया जाय । इसलिये ऐसा प्रस्ताव जैसा कि हुकुम सिंह जी कर रहे हैं, नियमावली के अन्तर्गत और आपकी दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आ सकता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको आउट आफ आर्डर घोषित किया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र नारायणदत्त जी का एतराज सुना । उन्होंने एक रूल का हवाला दिया । हमारे मित्र ने शायद रूल १७५ को पढ़ा नहीं या भूल गये । आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं:--

"(1) A motion that consideration of a Bill, other than an Appropriation Bill under Article 204 of the Constitution, which has been introduced or of a motion other than a motion for adjournment, or of a resolution, be adjourned to any future day in the same session available for such business or to any future session *sine die*, may be made by any member at any time, and such motion shall take precedence of any other motion then before the Assembly."

इस नियमावली की रू से ऐसा मोशन हो सकता है । मैं समझता हूं कि जो प्वाइन्ट आफ आर्डर हमारे मित्र ने उठाया है उसमें कोई तत्व नहीं है । बिला वजह लोगों ने तालियां बजा दीं । सुन लेने के बाद जरा काम करना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय उपनेता सदन ने नियम १७५ को ठीक से पढ़ा नहीं । यह केवल उस बिल के लिये है जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, जबकि इंट्रोडक्शन हो चुका है, लेकिन कंसीडरेशन के लिये मोशन नहीं हो चुका है । जब कंसीडरेशन का मोशन हो चुका है तो वह स्टेज गुजर चुकी । पहले माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव ला सकते थे । अब कंसीडरेशन की स्टेज है । अब बिल अंडर कंसीडरेशन है । इसमें लिखा है 'which has been introduced' नियम ९७ के अनुसार इस पर बहस चल रही है अब वह समय चला गया जबकि माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव ला सकते थे ।

श्री अध्यक्ष--बहुत बारीकी से माननीय नारायणदत्त जी ने इस प्रश्न को सामने रखा लेकिन नियम में शब्द हैं "मोशन आफ्टर इंट्रोडक्शन" जब तक विचारार्थ कोई भी विधेयक सदन के सामने नहीं आता तब तक तो यह प्रश्न नहीं उठ सकता है । मोशन तो तभी आ सकता है कि उसके ऊपर विचार न किया जाय जब विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्तुत हो। जब केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है तब तो वह केवल उपस्थित किया जाता है सूचनार्थ। अगर उपस्थित करके मन्त्री जी छोड़ दें किसी बिल को तब तो कोई चर्चा नहीं होती और कुछ दिन बाद उसके कंसीडरेशन का प्रश्न आता है। कंसीडरेशन का मोशन आने के बाद ही प्रश्न उठता है कि उस पर विचार किया जाय, यानी उस दिन उस पर विचार करना है या नहीं करना है, तभी यह प्रश्न उठता है।

मेरे पास तो वह पहले ही मंत्री जी सूचना भेज चुके थे कि इस प्रश्न को फल न रखा जाय और जैसा अवस्थी जी ने अभी कहा कि गवर्नमेन्ट के उक्त विचार की इत्तला उनको थी।

अब प्रक्रिया नियमावली में संशोधन करने का काम सरकार का नहीं है। इसलिये जो सरकार का काम नहीं है अगर वह किसी और रोज के लिये लिया जाता है तो सदन के द्वारा ही उस रोज को बदला जा सकता है। इसलिये सरकार यह प्रस्ताव लायी है इसलिये इस सदन की राय उस पर लेना आवश्यक है। उन्होंने सदन की राय लेने के लिये ही इस प्रस्ताव को रखा है।

जो नियम ९७ बताया गया है उसमें यह दिया हुआ है कि जब कंसीडरेशन के लिये कोई विधेयक सामने आवे तब कोई भी सदस्य अपने संशोधन को किस रूप में रख सकते हैं। उसमें है :--

"At this stage no amendments to the Bill may be moved but if the member-in-charge moves that the Bill, (*a*) be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee, etc. etc."

तो ऐसी बातें संशोधन के रूप में आ सकती हैं। तो वे कोई इस प्रकार का संशोधन नहीं ला रहे हैं। वह तो कह रहे हैं कि इस पर विचार आज न किया जाय बल्कि किसी दूसरे रोज या तो इसी सेशन की किसी तारीख को या साइने डाई, किसी समय को निश्चित न करके--किसी अन्य दिन, या अन्य सत्र में, वह लिया जाय। यह अधिकार १७५ नियम के अनुसार इस सदन को है और कोई भी माननीय सदस्य इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं और मैं समझता हूं कि वैधानिक दृष्टि से जो प्रस्ताव न्याय मंत्री जी ने उपस्थित किया है वह प्रस्ताव वैध है, अवैध नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय उपनेता सदन ने अभी उपस्थित किया है .....

श्री अध्यक्ष--क्या आप कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाते हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--तो अगर माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं और फिर अगर आप विरोध करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विलेन--अध्यक्ष महोदय, बिजनेस कमेटी ने कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल के लिये १० घंटे रखे हैं। ४ घंटे ११ तारीख के लिये, ४ घंटे १२ तारीख के लिये और २ घंटे १३ तारीख के लिये।

श्री अध्यक्ष--यह गलत बात है, स्वीकृत प्रस्ताव में तारीखें निश्चित नहीं हैं।

श्री हुकुम सिंह विसेन--ठीक है। तारीख नहीं दी है लेकिन १० वर्किंग घंटे रखे हैं। वह करीब १३ तक पहुंचेंगे अगर आज से शुरू किया जाता है और उसके बाद एक बहुत जरूरी बिल है। ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वह भी बड़ा अहमियत रखता है और कोर्ट फीस बिल भी एक मनी बिल है। वह भी अहमियत रखता है। तो सरकार ने यह ठीक समझा कि सदन के सामने दरख्वास्त करें कि कोर्ट फीस बिल पहले ले लिया जाय क्योंकि इसका पास हो जाना जल्द अज जल्द बहुत जरूरी है और उसके बाद हम ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल ले लें ताकि वह भी पास हो जाय। वह मनी बिल तो नहीं है लेकिन सेंटर से काफी सहायता मिलने की उम्मीद की जाती है लिहाजा उसका भी पास होना बहुत जरूरी है। इन वजूहात से मैं कहता हूं कि जो प्रस्ताव आज माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय ने पेश किया है वह स्थगित कर दिया जाय और कोर्ट फीस बिल पहले ले लिया जाय और उसके बाद जैसा मैंने अभी बताया है .....

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी सदन के माननीय उपनेता ने पेश किया है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। किसी नियम के अनुसार नहीं लेकिन औचित्य के आधार पर प्रक्रिया नियमावली और सदन के कार्य-संचालन के नियम सदन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जो प्रक्रिया नियमावली पिछले समय से चली आ रही है वह इतनी पुरानी हो चुकी है कि आज से कम से कम ५ वर्ष पहले से इसी सम्मानित सदन के अनेक सदस्यों ने इस बात की आवश्यकता समझी कि उसमें संशोधन होने चाहिये और कई सदस्यों की ओर से संशोधनों की सूचना आई। उन सूचनाओं को देखकर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि ज्यादा अच्छा यह होगा कि उस समूची नियमावली पर विचार करके संशोधन किये जायं और इसके लिये एक समिति की स्थापना की गई। वह समिति अपना काम पिछली विधान सभा के समय तक नहीं कर पाई। मई, १९५७ के महीने में दोबारा उस समिति की स्थापना हुई और उस समिति ने अपना काम समाप्त किया। उस समिति का जो प्रतिवेदन था वह सर्वसम्मत था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सदन की जो समिति होती है उसमें छोटे बड़े सभी दलों के सदस्य होते हैं। जिस अनुपात से सदन में दलों के सदस्यों की संख्या होती है उसी के अनुसार समिति में भी होती है लेकिन सौभाग्य से इस समिति के सामने जो निर्णय हुये हैं वह सर्वसम्मत थे यानी उसके बारे में किसी दल के भी सदस्य को कोई मतभेद नहीं था। यह अनोखी बात थी। वह यहां पर लाई गई। जब यहां पर आई तो बहुत से सदस्यों ने संशोधन उपस्थित किये इसलिये उसको दोबारा भेजा गया पुनर्विचार करने के लिये उसी समिति के पास। उस समिति ने जो अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया है वह प्रतिवेदन भी सर्वसम्मत है यानी जो संशोधन उसमें किये गये हैं वह सभी दलों को मान्य हैं। जहां तक मुझे मालूम है माननीय उपनेता सदन भी उस समिति के सदस्य हैं और उनकी सहमति, जो प्रतिवेदन आया है, उसमें है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब यह सर्वसम्मत निर्णय है तो यह पांच मिनट के अन्दर पास हो सकती है कोई बाधा, जो मनी बिल बतलाये गये हैं, उन पर नहीं पड़ेगी। यदि आवश्यकता होगी तो सदन इस बात को भी स्वीकार करेगा कि कुछ समय बढ़ाकर काम कर लिया जाय। तो उसके लिये समय बढ़ाया जा सकता है।

इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उपनेता सदन इस पर विचार करें और अवस्थी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वह भी विचार करें। मुझे इसका कुछ अनुमान था कि यह प्रक्रिया नियमावली, जैसा कि सरकार का टाइम टेबिल है, उसके अनुसार इस सेशन में नहीं आ सकेगी, लेकिन अगर आज यह टल गई और कल के लिये रख दी गई तो फिर महीने भर तक इसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। अगर अवस्थी जी को कोई संशोधन करना है तो वह पास होने के बाद भी कर सकते हैं। उसके लिये स्थायी समिति है वह विचार कर सकती है। उसमें आपका काम हो सकता है और वहां पर आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। इसलिये अवस्थी जी अपने विरोध को वापस ले लें और इस प्रक्रिया नियमावली को पास हो जाने दें। इसलिये मेरी प्रार्थना सदन

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

के उपनेता से और सब सदस्यों से यही है कि सर्वसम्मति के साथ ५-७ मिनट के अन्दर इसको पास कर लिया जाय तो उससे वातावरण अच्छा हो और काम भी अच्छा हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने पालीवाल जी की बात सुनी। इसमें मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि यह सर्वसम्मति से रिपोर्ट आई है और इसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जब मैं अवस्थी जी को देखता हूं तो उनको कुछ परेशानी है। उनको इस सम्बन्ध में काफी नोटिस नहीं मिला और वह संशोधन नहीं दे सके। उनकी दिक्कत भी है। तो मैं इतना मानने के लिये तैयार हूं कि १३ तारीख को जब यह कोर्ट फीस बिल पास हो जाय तो इसके लिये आधा घंटा रख लिया जाय और तब हम इसको पास करलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैंने पालीवाल जी तथा उपनेता सदन की बात सुनी। मैं इस बात के समर्थन में हूं कि इस नियमावली में बहुत से परिवर्तनों की आवश्यकता है। यह परिवर्तन जो हुये हैं उनको मैं बड़ी उत्सुकता से देखता हूं और मैं इनका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप अपना एतराज वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं पालीवाल जी की प्रस्तावना का समर्थन करता हूं कि अगर नियमावली को आज ही ले लिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप आज ही उसको लेना चाहते हैं और कोई संशोधन आप प्रस्तुत नहीं करना चाहते ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--संशोधन मैं नियमावली को पढ़ कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--ऐसी अवस्था में उनका प्रस्ताव विचारार्थ है कि इसको परसों लिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मुझे केवल आधे घंटे का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आपको ही केवल समय नहीं दिया जायगा, सब को दिया जायगा। तो आप अपना एतराज वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय अवस्थी जी अपना एतराज वापस ले लें और मुझे आशा है कि वे वापस ले लेंगे तो इसको आज तुरन्त ही पास हो जाना चाहिये, क्योंकि इसके लिये एजेन्डा पर कोई संशोधन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसी सिलसिले में यह भी कह दूं कि कृषि विश्वविद्यालय के बिल को पहले ले लिया जाय और कोर्ट फीस वाले को बाद में कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह बात तो जिस वक्त कोर्ट फीस बिल आयेगा उस समय आप कहियेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--यह प्रक्रिया नियमावली बहुत आवश्यक है और इसको टालना उचित न होगा। अवस्थी जी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है इसलिये मैं समझता हूं कि उचित होगा कि इसको अविलम्ब ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष --(श्री मोती लाल अवस्थी से) आपने अपना एतराज वापस ले लिया है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अब मेरे प्रस्ताव में इस तरह से संशोधन किया समझा जाय कि पहले कोर्ट फीस बिल ले लिया जाय और १३ तारीख को आधे घंटे के लिये यह प्रक्रिया नियमावली ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष--जब कोई संशोधन नहीं है तो पहले और बाद में लेने में क्या फर्क होगा। अगर इसी सत्र में लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप या और कोई सदस्य संशोधन

लाना चाहता है तो मैं उस स्थिति में इसको परसों के लिये रख सकता हूं और नहीं तो इसके विचार में केवल ५ मिनट की बात है। उसके लिये झगड़ा क्यों किया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक दिक्कत और है। मुझे यहां बैठ कर इसको देखना है और मेरा एक आइटम इस वक्त कौंसिल में भी दरपेश है। तो मैं दो रूप कैसे धारण कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें तो आपको बैठने की जरूरत नहीं है। वह तो पास हो हो जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनकी ख्वाहिशात को हमेशा पूरा करने के लिये मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप भाषण तो दे ही चुके हैं अब मैं इस पर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, जैसी कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम १—३१९

अध्याय १

संक्षिप्त शीर्षनाम और परिभाषाएं

१—संक्षिप्त शीर्षनाम—यह नियमावली "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८," कहलायेगी।

२—प्रारम्भ—ये नियम उस दिनांक से सप्रभाव होंगे जिस दिन वे उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा अंगीकृत किये जायं।

३—परिभाषाएं—(१) इस नियमावली में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

"अनुच्छेद" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद से है;

"सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

"समिति" का तात्पर्य किसी विशिष्ट या सामान्य प्रयोजन के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित ऐसी समिति से है जो अध्यक्ष के निदेश के अन्तर्गत कार्य करे और अपना प्रतिवेदन सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत करे;

"संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

"परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

"उपाध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के उपाध्यक्ष से है;

"विभाजन" का तात्पर्य सदस्यों को सभा कक्षों में भेज कर या किसी अन्य ऐसी रीति का अनुसरण करके जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ओर मतदान करने वाले सदस्यों की सूची बन सके, मत लेने से है;

"वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य बारह मास की उस कालावधि से है जो पहली अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी ३१ मार्च को समाप्त हो;

"गजट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के हिन्दी गजट से है;

"शासन" का तात्पर्य उत्तर प्रदश के शासन से है;

"राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

"सदन" का तात्पर्य विधान सभा से है;

"सदनों" का तात्पर्य विधान मंडल के सदनों से है;

"संयुक्त प्रवर समिति" का तात्पर्य परिषद् तथा सभा के सदस्यों की उस समिति से है जिसे कोई विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् इन नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया जाय;

"विधान मंडल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान मंडल से है;

"सदस्य" का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और उसमें मंत्री तथा उत्तर-प्रदेश के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं;

"विधेयक भार-साधक सदस्य" का तात्पर्य सरकारी विधेयक के संबंध में किसी मंत्री से और अन्य विधेयकों के संबंध में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या उस सदस्य से है जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिये लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो, या यदि विधेयक परिषद् द्वारा भेजा गया हो तो उस मंत्री या सदस्य से है जिसने यह प्रस्ताव करने के मंतव्य की सूचना दी हो कि विधेयक पर विचार किया जाय;

संकल्प अथवा प्रस्ताव के संबंध में "भार-साधक सदस्य" का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने ऐसा संकल्प अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो;

"मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें;

"प्रस्ताव" का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा सभा के विचारार्थ की गयी प्रस्थापना से है और उसमें संकल्प तथा प्रस्ताव के संशोधन भी सम्मिलित हैं;

"सदस्य को इंगित करने" का तात्पर्य किसी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने के विचार से उसके आचरण की ओर अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किये जाने से है;

"सदन के परिसर" के अर्थ में भवन, सभा-कक्ष, दीर्घायें तथा उसकी ओर जाने वाले मार्ग तथा अध्यक्ष के अथवा सभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ विधान भवन में सब स्थान सम्मिलित हैं तथा इसमें ऐसे स्थान भी हैं जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर निर्दिष्ट करें;

"असरकारी सदस्य" का तात्पर्य उस सदस्य से है जो मंत्री न हो;

अनु० १७४ "सत्रावसान" का तात्पर्य अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (क) के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश द्वारा सत्र के समापन से है;

"संकल्प" का तात्पर्य उस प्रस्ताव से है जो सामान्य लोक हित के लिये किसी विषय पर चर्चा करने के लिए किया जाय;

"सचिव" का तात्पर्य विधान मंडल के सदनों के सचिव से है और इसके अन्तर्गत सभा के सचिव का तथा ऐसे अन्य व्यक्ति का भी समावेश है जो तत्समय सचिव का कार्य करता हो;

"प्रवर समिति" का तात्पर्य सदस्यों की उस समिति से है जिसे कोई विधेयक सभा द्वारा विचार तथा प्रतिवेदन के लिये निर्दिष्ट किया जाय;

"सत्र" का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद १७४(१) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम अधिवेशन से उक्त अनुच्छेद के खंड (२) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो; अनु० १७४

"उपवेशन" का तात्पर्य किसी भी दिन कार्यारम्भ से लेकर उस दिन के लिये सदन के उठने तक सदन के सदस्यों के कार्य सम्पादनार्थ समवेत होने से है ;

"अध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के अध्यक्ष से है ।

(२) संविधान में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से कोई दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, वही अर्थ होंगे जो संविधान में हैं।

अध्याय २

सदस्यों का आह्वान तथा उनके बैठने की व्यवस्था

४—सभा का आह्वान—(१) समय-समय पर सभा का आह्वान राज्यपाल द्वारा नियत समय और स्थान पर समवेत होने के लिए किया जाएगा। अनु० १४७ (१)

(२) उपनियम (१) के अन्तर्गत आह्वान-पत्र इस प्रकार नियत तिथि से साधारणतया चौदह दिन पूर्व सचिव द्वारा निर्गत किये जायेंगे :

परन्तु यदि सत्र अल्प सूचना पर या आपातिक रूप में बुलाया जाय तो प्रत्येक सदस्य को आह्वान-पत्र पृथक्-पृथक् निर्गत करना आवश्यक न होगा किन्तु तिथि एवं स्थान का प्रख्यापन गजट तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा और सदस्यों को तार द्वारा सूचित किया जायेगा।

५—शपथ अथवा प्रतिज्ञान—सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष अथवा उनके द्वारा एतदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, अनुच्छेद १८८ के अधीन उस रूप में जो कि संविधान की तीसरी अनुसूची में एतदर्थ विहित है, शपथ ग्रहण करेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा। अनु० १८८

६—सदस्यों की आसन-व्यवस्था—सदस्य अध्यक्ष द्वारा निर्धारित क्रमानुसार बैठेंगे। अनु० १९३

७—अनुच्छेद १९३ के उपबन्धों का उल्लंघन—(क) सदस्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठेगा जो सभामंडप में केवल सदस्यों के लिए अभिप्रेत है। अनु० १९३

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसको अध्यक्ष यह निश्चित करें कि उसने अनुच्छेद १९३ के उपबन्धों का अतिक्रमण किया है एतदर्थ उपबद्ध शास्ति का भागी होगा। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

८—सदस्यों की नामावली—सचिव एक पंजी या सदस्यों की नामावली रक्खेगा और शपथ अथवा प्रतिज्ञान के उपरान्त प्रत्येक सदस्य सदन में बैठने के पूर्व इस पंजी में हस्ताक्षर करेगा।

अध्याय ३

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा अधिष्ठाता-मंडल का नाम-निर्देशन

अनु० १७८ ९—अध्यक्ष का निर्वाचन—(१) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को किया जायेगा जो कि राज्यपाल नियत करें और सचिव उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेगा :

परन्तु सभा की अवधि में होने वाली रिक्तता की दशा में इस प्रकार नियत तिथि—

(क) यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा

(ख) यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के पन्द्रह दिनों के भीतर होगी जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो।

(२) इस प्रकार उपनियम (१) के अधीन नियत की हुई तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहिले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिये किसी दूसरे सदस्य का नाम-निर्देशन सचिव को एक ऐसा नाम-निर्देशन-पत्र देकर कर सकेगा जिस पर प्रस्थापक के रूप में उस सदस्य के हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य क हस्ताक्षर हों और जिसमें नाम-निर्देशित सदस्य के नाम का उल्लख हो और उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम प्रस्थापित किया गया है, कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है।

(३) (क) निर्वाचन की तिथि नियत होने पर, नयी सभा की दशा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य तथा किसी दूसरी दशा में उपाध्यक्ष या यथास्थिति पीठासीन सदस्य उन सदस्यों के नामों को, जिनका विधिवत् नाम-निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्थापकों और समर्थकों के नामों के साथ सभा में पढ़कर सुनायेंगे। निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम-निर्देशित हुआ है पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेगा। यदि वापसी के उपरान्त, अगर कोई हों, एक ही सदस्य का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो वह निर्वाचित हुआ घोषित किया जायगा और इसके लिये औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा।

(ख) यदि एकाधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो पीठासीन सदस्य उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हों, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये एक-एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रक्खेगा।

(४) उपनियम (३) के प्रयोजन के लिए किसी सदस्य को विधिवत् नाम-निर्देशित नहीं समझा जायेगा यदि उक्त उपनियम के अन्तर्गत नामों के पढ़े जाने के पूर्व उसने अथवा उसके प्रस्थापक या समर्थक ने सभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली हो या प्रतिज्ञान नहीं किया हो।

(५) प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान शलाका द्वारा किया जायेगा। जब दो से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशन हुआ हो और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिक मत प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को, जिसने न्यूनतम मत प्राप्त किये हों, निर्वाचन से अपवर्जित कर दिया जायेगा और पुनः शलाका की जायेगी। प्रत्येक शलाका के अन्त में न्यूनतम मत पाने वाले अभ्यर्थी का नाम अपवर्जित कर दिया जायेगा और ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कोई अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी के मतों की, या यथास्थिति शेष अभ्यर्थियों के मतों के योग की, अपेक्षा अधिक मत प्राप्त न कर ले।

(६) जब किसी शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करें तब परची डाल कर यह निश्चित किया जायेगा कि उपनियम (५) के अन्तर्गत किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाय।

१०—उपाध्यक्ष का निर्वाचन—(१) उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करें और सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेगा : अनु० १७८

परन्तु इस प्रकार नियत तिथि सभा की अवधि में होने वाली रिक्ता की दशा में—

(क) यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा

(ख) यदि यह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो, तीस दिनों के भीतर होगी।

(२) इस प्रकार उपनियम (१) के अधीन नियत की हुई तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिये किसी दूसरे सदस्य का नाम-निर्देशन सचिव को एक ऐसा नाम-निर्देशन-पत्र देकर कर सकेगा जिस पर प्रस्थापक के रूप में उस सदस्य के हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य के हस्ताक्षर हों और जिसमें नाम-निर्देशित सदस्य के नाम का उल्लेख हो और उसके साथ उस सदस्य का कथन, जिसके नाम को प्रस्थापित किया गया है, संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है।

(३) उपनियम (२) के प्रयोजनों के लिये किसी सदस्य को विधिवत् नाम-निर्देशित नहीं समझा जायेगा यदि उस उपनियम के अन्तर्गत नामों के पढ़े जाने के पूर्व उसने अथवा उसके प्रस्थापक या समर्थक ने सभा के सदस्य के रूप में शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो।

(४) निर्वाचन के लिये इस प्रकार नियत तिथि को अध्यक्ष उन सदस्यों के नामों को जिनका विधिवत् नाम-निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्थापकों तथा समर्थकों के नामों के साथ सभा में पढ़कर सुनायेंगे। निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम-निर्देशित हुआ है पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेगा। यदि वापसी के उपरान्त, अगर कोई हो, एक ही सदस्य का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा और इस विषय में औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा।

यदि एकाधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो अध्यक्ष उन सदस्यों को, जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हों, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक-एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेगा ।

(५) निर्वाचन की दशा में, नियम ९ (५) और (६) में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ।

अनु० १८० (२)

११—अधिष्ठाता मंडल—(१) प्रति वर्ष प्रथम सत्र के आरम्भ होने पर यथाशीघ्र अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक दस सदस्यों का एक मंडल नाम-निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के कहने पर सभा में पीठासीन हो सकेगा ।

(२) उपनियम (१) के अन्तर्गत नाम-निर्देशित अधिष्ठाता तब तक पद धारण करेगा जब तक कि नया अधिष्ठाता मंडल नाम-निर्देशित न हो जाय ।

अनु० १८० (२)

१२—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता-मंडल की अनुपस्थिति में सभापति का निर्वाचन—यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों और सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये अधिष्ठाता मंडल का कोई सदस्य विधिवत् प्राधिकृत न हो तो सभा निम्नलिखित ढंग से उस बैठक के लिये सभापति निर्वाचित करने के हेतु कार्यवाही करेगी :

"एक सदस्य सचिव को सम्बोधित करके सदन के समक्ष उस समय उपस्थित किसी दूसरे सदस्य का नाम प्रस्तावित करेगा और यह प्रस्ताव करेगा कि उक्त सदस्य उस समय तक पीठासीन हो जब तक संविधान अथवा नियमों के अधीन पीठासीन होने के लिये सक्षम व्यक्ति न आ जाये और ऐसे प्रस्ताव का किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन हो जाने पर सचिव प्रस्ताव या प्रस्तावों को सदन का मत लेने के लिये रखेगा । इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष-पीठ पर अध्यासीन होगा ।"

अनु० १८० (२)

१३—उपाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता की शक्तियां—उपाध्यक्ष को और सभा के किसी सदस्य को जब वह सभा में पीठासीन हो वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सभा में पीठासीन होने पर अध्यक्ष को प्राप्त हैं और इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष से सम्बद्ध समस्त निर्देशों के संबंध में यथास्थिति यह समझा जायेगा कि वे उपाध्यक्ष के लिये अथवा उस सदस्य के लिये हैं जो इस प्रकार पीठासीन हो ।

१४—उपाध्यक्ष को शक्तियों का प्रत्यायोजन—अध्यक्ष किसी भी समय लिखित आज्ञा द्वारा इन नियमों के अधीनस्थ अपनी समस्त शक्तियां या कोई शक्ति उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेंगे और इसी प्रकार किसी ऐसे प्रत्यायोजन को निरस्त कर सकेंगे ।

अध्याय ४

सभा के उपवेशन

१५—सभा के उपवेशन—(१) सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देख कर तथा सदन-नेता के परामर्श से समय-समय पर निश्चित करें ।

(२) सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो ।

१६—उपवेशन का समय—(१) सभा ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक समवेत होगी :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा बैठक के समय को बढ़ा सकेगा। अध्यक्ष स्वयं भी बैठक का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा सकेंगे।

(२) जब तक कि सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा।

१७—गणपूर्ति—सभा की बैठक को गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सब सदस्यों की संख्या का दशमांश होगी। अनु० १८९ (

१८—उपवेशनों का स्थगन—अध्यक्ष स्वयं अथवा सभा के तद्विषयक संकल्प पर, सभा की बैठक को स्थगित कर सकेंगे :

किन्तु यदि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो तो सभा के पुनः समवेत होने की तिथि की सूचना सदस्यों को साधारणतया दस दिन पूर्व दी जायेगी :

परन्तु अध्यक्ष सभा की बैठक को उस तिथि के पूर्व अथवा उसके बाद की तिथि को बुला सकेंगे जिस तिथि के लिये वह स्थगित हुई हो। अनु० १९६

१९—सत्रावसान का प्रभाव—

जब सभा सत्रावसित हो जाय तो—

(क) सब लम्बित सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी और आगामी सत्र के लिये फिर से सूचनाएं दी जायेंगी :

परन्तु जो प्रश्न कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हों किन्तु पिछले सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये हों और उत्तर के लिये लम्बित हों, व्यपगत नहीं होंगे ।

(ख) सत्रावसान के समय जो विधेयक सदन में लम्बित हो वह सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा ।

(ग) किसी समिति के समक्ष लम्बित कोई कार्य व्यपगत नहीं होगा ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन जो उपस्थित किया जा चुका हो और सदन में लम्बित हो, व्यपगत नहीं होगा ।

अध्याय ५

राज्यपाल का सभा को अभिभाषण तथा संदेश

अनु० १७६(१)

२०—विधान मंडल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा—(१) सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को आह्वान के कारण बतायेंगे :

परन्तु सदस्यों के विहित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने का कार्य तथा अध्यक्ष का निर्वाचन, यदि आवश्यक हो तो, राज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व किया जा सकेगा ।

(२) राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़कर सुना सकेंगे ।

(३) अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया तीन दिन होगा :

परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत होते हुए भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा।

व्याख्या—विधेयक के पुरःस्थापन का प्रस्ताव औपचारिक कार्य है ।

(४) इस प्रकार नियत दिन या दिनों में सदन एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(५) ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव में ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझें ।

(६) ऐसे प्रस्ताव की चर्चा पर संकल्पों के विषय से सम्बद्ध नियम यथोचित परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे:

परन्तु ऐसे प्रस्ताव या उस पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी :

और कोई ऐसे संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे जो मूल प्रस्ताव के अन्त में शब्द जोड़ने के रूप में न हों।

(७) प्रस्ताव, संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित स्वीकृत होने पर अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया जायेगा।

(८) अध्यक्ष प्रस्ताव पर राज्यपाल के उत्तर को सभा में पढ़ कर सुनायेंगे ।

अनु० १७५ (१)

२१—अनुच्छेद १७५ (१) के अन्तर्गत राज्यपाल का अभिभाषण—अनुच्छेद १७५ (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए अध्यक्ष समय नियत कर सकेंगे ।

अनु० १७५ (२)

२२—अनुच्छेद १७५ (२) के अन्तर्गत राज्यपाल का संदेश—जब अध्यक्ष को सदन के लिये अनुच्छेद १७५(२) के अन्तर्गत राज्यपाल से संदेश मिले तो वह सदन को संदेश पढ़ कर सुनायेंगे और संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के लिये अनुसरणीय प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निदेश देंगे। ऐसे निदेश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी जिस सीमा तक कि आवश्यक हो।

अध्याय ६

कार्य का क्रम

२३—कार्यसूची—(१) सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य के प्रयोग के लिये उपलब्ध की जायेगी।

(२) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य न लिया जायेगा जो उस दिन की सूची में सम्मिलित न हो।

(३) जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न करें कोई ऐसा कार्य जिसके लिये सूचना की आवश्यकता हो, अपेक्षित सूचना की अवधि पूरी होने से पहले साधारणतया किसी दिन की कार्य-सूची में नहीं रखा जायेगा।

२४—असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये समय-नियतन—(१) प्रत्येक मास के द्वितीय और चतुर्थ शुक्रवार को असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें उसको सरकारी कार्य पर पूर्वता प्राप्त होगी।

(२) जब अध्यक्ष ने उपनियम (१) के अन्तर्गत पूर्वोक्त रीति से अन्यथा निदेश दिया हो तो वह सदन-नेता से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे।

२५—सरकारी कार्य का क्रम—(१) असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा। सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से विनिश्चित करें:

परन्तु अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे।

(२) प्रत्येक सप्ताह के प्रथम कार्य-दिवस पर जब सदन समवेत हो, सदन-नेता अथवा मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को उस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देगा।

२६—दिन के अन्त में असरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य—असरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उस वर्ग के कार्य के लिये नियत किये गये दिन के लिये रखा गया हो और उस दिन न लिया गया हो, किसी आगामी दिन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक उसे उस दिन के सम्बन्ध में की गयी शलाका में प्राथमिकता प्राप्त न हो गयी हो:

परन्तु जो कार्य उस दिवस के अन्त में चर्चाधीन हो, वह उस वर्ग के कार्य के लिये नियत आगामी दिन के लिये रखा जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य समस्त कार्यों पर पूर्वता मिलेगी।

अध्याय ७

प्रश्न

२७—प्रश्नों का वर्गीकरण—प्रश्नों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होगा—

(क) अल्पसूचित प्रश्न,
(ख) तारांकित प्रश्न, तथा
(ग) अतारांकित प्रश्न।

व्याख्या—(१) अल्पसूचित प्रश्न का तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है जो अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय से सम्बन्धित हो। इसका विभेद दो तारांक लगा कर किया जायेगा। दिये हुये उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न उसके बारे में अध्यक्ष की अनुज्ञा से किये जा सकेंगे।

व्याख्या—(२) तारांकित प्रश्न का तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है जिस पर दिये हुये उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष की अनुज्ञा से किये जा सकेंगे। एक तारांक लगा कर उसका विभेद किया जायगा।

व्याख्या—(३) अतारांकित प्रश्न से उस प्रश्न का तात्पर्य है जिसका लिखित उत्तर संबंधित सदस्य को दिया जाये और जिस पर अनुपूरक प्रश्न करने की अनुज्ञा न हो।

२८—प्रश्नों का विषय—प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से सम्बद्ध होना चाहिये जिसके लिये सरकार उत्तरदायी है। उसका प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्यवाही का सुझाव देना होगा।

२९—प्रश्नों का रूप तथा विषय—कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो, अर्थात्—

(१) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिये सर्वथा आवश्यक न हो,

(२) यदि उसमें सदस्य द्वारा कोई कथन दिया गया हो तो प्रश्नकर्त्ता सदस्य को उस विवरण की परिशुद्धता के लिये स्वयं उत्तरदायी होना पड़ेगा,

(३) यह अत्यधिक लम्बा न होगा तथा उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक या आक्षेपात्मक पद अथवा मानहानिकारक कथन नहीं होंगे,

(४) उसमें राय प्रकट करने या किसी काल्पनिक प्रस्थापन के समाधान के लिये नहीं पूछा जायेगा,

(५) उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक पद के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होगा तथा व्यक्तिगत प्रकरणों का निर्देश भी न होगा जब तक कि कोई सिद्धान्त का विषय अन्तर्निहित न हो,

(६) उसमें ऐसे प्रश्नों की तत्वतः पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर उसी सत्र में पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देने से इनकार कर दिया गया हो,

(७) उसमें ऐसी सूचना नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त दस्तावेजों अथवा सामान्य निर्देश ग्रंथों में उपलब्ध हो,

(८) उसमें किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो,

(९) उसमें किसी न्यायाधीश या न्यायालय के, जिसको भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार हो, आचरण के विषय में किसी ऐसी बात का निर्देश नहीं होगा जो उसके न्यायिक कार्य-सम्पादन से सम्बद्ध हो,

(१०) उसमें व्यक्तिगत रूप का दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा,

(११) उसमें तुच्छ, अस्पष्ट तथा निरर्थक विषयों पर अथवा बहुत ब्यौरे की जानकारी नहीं मांगी जायेगी,

(१२) उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य अर्द्ध स्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेंगे जो उनके शासन के साथ सम्बन्ध से उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के भंग होने से सम्बद्ध हों या सार्वजनिक हित के महत्त्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखते हों,

(१३) उसमें वर्तमान सत्र के वाद-विवाद की ओर निर्देश न किया जायेगा,

(१४) वह किसी सदन के विनिश्चयों की आलोचना न करेगा,

(१५) उसमें ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि-परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि-अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा तथा अन्य तत्सम विषय,

(१६) वह किसी समिति के समक्ष विषयों से अथवा समिति के सभापति अथवा सदन के प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विषयों से सम्बद्ध नहीं होगा,

(१७) इसका सम्बन्ध किसी असरकारी व्यक्ति अथवा असरकारी निकाय द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य से न होगा,

(१८) उसमें उन व्यक्तियों के चरित्र अथवा आचरण पर आक्षेप नहीं होगा जिनके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो,

(१९) उसमें ऐसी नीति के, जो इतनी विस्तीर्ण हो कि वह प्रश्न के उत्तर की परिधि के भीतर न आ सके, प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे,

(२०) उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो कोई न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या

विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किन्तु उसमें जांच की प्रकिया या विषय या प्रक्रम से सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा यदि उससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

३०—अल्पसूचित प्रश्न—(१) जब कोई सदस्य अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहे तो वह ऐसे प्रश्न की पूरे तीन दिन की सूचना लिखित रूप में सचिव को देगा। सचिव साधारणतया प्रश्न की अल्पसूचित प्रश्न के रूप में ग्राह्यता पर उसकी प्राप्ति से २४ घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेगा।

(२) अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को इस निवेदन के साथ भेज दी जायेगी कि वह सचिव को सूचित करें कि क्या वह प्रश्न का उत्तर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में देने के लिए सहमत ह।

(३) यदि मंत्री अल्प सूचना पर उत्तर देने के लिए सहमत हों तो वह तत्काल या तदुपरान्त इतने शीघ्र कार्य-सूची में रख दिया जायगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें।

(४) यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्त्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न-सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाये, जिस दिन पूर्वगामी नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उसकी बारी है।

(५) जब दो या दो से अधिक सदस्य एक ही विषय पर अल्पसूचित प्रश्न दें और एक सदस्य का प्रश्न अल्प सचना पर उत्तर के लिये ग्राह्य हो जाये, तो अन्य सदस्यों के नाम भी उस सदस्य के नाम के साथ रख दिये जायंगे, जिसका प्रश्न उत्तर के लिये ग्राह्य कर लिया गया हो:

परन्तु अध्यक्ष यह निदेश दे सकेंगे कि सब सूचनाओं को एक ही सूचना में समेकित कर दिया जाय यदि उनकी राय में एक ही स्वयं पूर्ण ऐसा प्रश्न तैयार करना वांछनीय हो जिसमें सदस्यों द्वारा उठायी गयी सब महत्त्वपूर्ण बातें आ जायें और तब मंत्री उस समेकित प्रश्न का उत्तर देंगे:

किन्तु समेकित प्रश्न की अवस्था में सभी सम्बन्धित सदस्यों के नाम साथ-साथ दिये जा सकेंगे और उनकी सूचनाओं की प्राथमिकता के क्रम से प्रश्न के सामने दिखाये जा सकेंगे।

३१—तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों की सूचना—(१) तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा सचिव को कम से कम पूरे २० दिन पूर्व दी जायगी।

(२) ऐसे प्रश्न सचिव द्वारा शासन को साधारणतया ५ दिन के भीतर भेज दिये जायेंगे:

परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चय न करें कोई प्रश्न उत्तर के लिये प्रश्न-सूची में तब तक नहीं रखा जायगा जब तक कि मंत्री या संबंधित विभाग को ऐसे प्रश्न की सूचना देने के दिनांक से १५ दिन समाप्त न हो जायं.

किन्तु यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न की ग्राह्यता या उसके सम्बन्ध में अन्यथा विनिश्चय करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है तो वह प्रश्न उत्तर के लिए कार्य-सूची में उस दिन के बाद किसी दिन रखा जायेगा जिस दिन वह पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन नियत किया जाता।

(३) नियम ३० के उपनियम (५) के उपबन्ध तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की दशा में भी प्रवृत्त होंगे।

३२—प्रश्नों के लिये समय—जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रत्यक उपवेशन का पहला घंटा प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा और अल्पसूचित प्रश्नों को अन्य प्रश्नों की अपेक्षा पूर्वता मिलेगी।

३३—लिखित उत्तरों की प्रतियां सदस्य को उपलब्ध करना—प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध कर दी जायेगी। उत्तर सम्बद्ध मंत्री द्वारा पढ़ कर सुनाया जायेगा।

३४—प्रश्नों की संख्या की परिसीमा—एक सदस्य एक दिन में तीन तारांकित प्रश्नों से अधिक नहीं पूछेगा। अध्यक्ष किसी ऐसे प्रश्न को अग्राह्य कर सकेंगे जिसमें एक से अधिक विषयों पर सूचना मांगी गयी हो।

३५—प्रश्नों के मौखिक उत्तरों के लिये दिन नियत करना—प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उपलब्ध समय सम्बद्ध मंत्री अथवा मंत्रियों से सम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर देने के लिये भिन्न-भिन्न दिनों में चक्रानुक्रम से उस प्रकार नियत किया जायेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर उपबंधित करें। प्रत्येक ऐसे दिन, जब तक अध्यक्ष सम्बद्ध मंत्री की सम्मति से अन्यथा निदेश न दें, केवल ऐसे मंत्री अथवा मंत्रियों से सम्बद्ध प्रश्न ही, जिनके लिये उस दिन समय नियत किया गया हो, उत्तर के लिये प्रश्न सूची में रखे जायेंगे। यह नियम अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रवृत्त न होगा।

३६—मंत्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्न का स्थगन—विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सम्बद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में तद्विषयक प्रार्थना किये जाने पर अध्यक्ष प्रश्न को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर सकेंगे।

३७—प्रश्न पूछने की रीति—प्रश्नों के घंटे में अध्यक्ष उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रश्न सूची-बद्ध किये गये हों, क्रमानुसार तथा प्रश्नों की प्राथमिकता का यथोचित ध्यान रखते हुये अथवा ऐसी अन्य रीति से पुकारेंगे जिसको अध्यक्ष स्वविवेक से विनिश्चित करें और ऐसा सदस्य पुकारे जाने पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए अपने स्थान पर खड़ा होगा। यदि वह सदस्य जो पुकारा गया हो, अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष आगामी प्रश्न को ले लेंगे।

३८—प्रश्नों की सूचना देने की रीति—प्रश्न, सचिव को उसकी लिखित सूचना देकर, पूछे जायेंगे जिनमें उस मंत्री का सरकारी पद दिया गया हो, जिनके विभाग से प्रश्न संबंधित है।

३९—प्रश्नों के उत्तर देने का ढंग—(१) प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा की मेज पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे ।

(२) किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो । यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे ।

(३) यदि मंत्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोक-हित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे । इस आधार पर मंत्री का सूचना देने से इनकार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न इस आधार पर सदन के स्थगन का प्रस्ताव ही लाया जा सकता है ।

४०—अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न—जब समस्त प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर अभिप्रेत है, पुकारे जा चुके हों, तब अध्यक्ष, यदि समय हो, किसी प्रश्न को पुनः पुकार सकेंगे जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम में वह प्रश्न हो तथा अध्यक्ष किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे यदि वह उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो या यदि अन्य कोई सदस्य उस प्रश्न में अभिरुचि रखता हो ।

४१—प्रश्नों की वापसी अथवा उनका स्थगन—कोई भी सदस्य उस अधिवेशन के पूर्व जिसके लिये उसका प्रश्न सूचीबद्ध किया गया हो, सूचना देकर अध्यक्ष की सहमति से किसी भी समय अपने प्रश्न को वापस ले सकेगा अथवा सूचना में निर्दिष्ट किसी आगामी दिन के लिये उसको स्थगित करने की प्रार्थना कर सकेगा और नियम ३५ के उपबन्धों के अधीन ऐसे आगामी दिन के लिये रखा गया प्रश्न उस दिन के निर्दिष्ट प्रश्नों की सूची के अन्त में रखा जायेगा ।

४२—मौखिक उत्तर न दिये जाने वाले प्रश्नों का लिखित उत्तर—यदि किसी दिन प्रश्न-सूची में सम्मिलित किसी अल्पसूचित अथवा तारांकित प्रश्न का उत्तर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न दिया जा सके अथवा प्रश्नों के उत्तर देने के लिये नियत घंटे के बीच वह न लिया जा सके तो उसका उत्तर दिया हुआ माना जायगा और ऐसे प्रश्नों के लिखित उत्तर उस दिन की कार्यवाही के अंश के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे ।

४३—अनुपूरक प्रश्न—(१) नियम ३२ के अन्तर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न पर अथवा किसी प्रश्न के संबंध में चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(२) कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञा दिये जाने पर किसी ऐसे तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिये, जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों सम्बन्धी नियम भंग होते हैं ।

४४—अध्यक्ष से प्रश्न—अध्यक्ष से प्रश्न व्यक्तिगत सूचना द्वारा किये जायेंगे । ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से अथवा अध्यक्ष के निजी कमरे में दिया जा सकेगा ।

४५—असरकारी सदस्यों से प्रश्न—प्रश्न एक सदस्य द्वारा किसी दूसरे असरकारी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकेगा यदि प्रश्न का विषय किसी विधे-

यक, संकल्प अथवा सदन के कार्य के अन्य विषय से सम्बद्ध हो जिसके लिये वह सदस्य उत्तरदायी है और ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यथासम्भव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री से पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रयोग की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जायेगा जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझें।

४६--अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे--अध्यक्ष प्रश्न की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे और वे किसी प्रश्न को अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकेंगे जो उनकी राय में इन नियमों के प्रतिकूल है अथवा प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग है। अध्यक्ष सम्बद्ध सदस्य को संक्षेप में प्रश्न को अग्राह्य करने के कारणों की सूचना देंगे। वे किसी प्रश्न को नियमानुकूल बनाने के लिये उसमें संशोधन कर सकेंगे अथवा प्रश्न को सुधार के निमित्त वापस कर सकेंगे।

४७--प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन करने की अध्यक्ष की शक्ति--अध्यक्ष किसी अल्पसूचित प्रश्न को तारांकित या अतारांकित प्रश्न में तथा किसी तारांकित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर सकेंगे :

परन्तु अध्यक्ष यदि उचित समझें तो तारांकित प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से अपने प्रश्न को इस वर्ग में रखने का कारण संक्षिप्त रूप से बताने के लिये कह सकेंगे और उस पर विचार करने के उपरान्त अध्यक्ष निदेश दे सकेंगे कि प्रश्न को उस वर्ग में रक्खा जाय।

४८--किसी दिन के लिये प्रश्नों की सूची--(१) ऐसे प्रश्न जो अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य किये गये हों किसी दिन के प्रश्नों की सूची में साधारणतया प्राप्ति के क्रमानुसार रखे जायेंगे और उस उपवेशन में अन्य किसी कार्य के लेने से पहले प्रश्नों के लिये उपलब्ध समय के भीतर उस क्रम से पुकारे जायेंगे जिस प्रकार वे सूची में दिये हों।

(२) सचिव किसी दिन विशेष के लिये निर्धारित प्रश्नों की एक अस्थायी सची बनायेगा तथा उस दिनांक से साधारणतया एक सप्ताह के पूर्व उसकी प्रतिलिपियां सब सदस्यों को भेज देगा। यदि उस दिन सदन का उपवेशन हो रहा हो तो वह सदस्यों को प्रतिलिपियां भेजने के बदले उन्हें सदस्यों की मेजों पर रखेगा।

४९--प्रश्नोत्तरों का सभा की कार्यवाहियों में समावेश--प्रश्न जो पूछे जायं तथा जिनके उत्तर दिये जायं उन सबका सभा की कार्यवाही में समावेश होगा:

परन्तु किसी प्रश्न का जो अस्वीकार किया गया हो इस प्रकार समावेश नहीं हो सकेगा।

५०--प्रश्नोत्तरों से उत्पन्न होने वाले विषयों पर चर्चा--(१) अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्त्व के विषय पर जो सदन में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे।

(२) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें यह नियतन साधारणतया सदन की बैठक के दौरान में किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार के लिये सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा।

(३) कोई सदस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहता हो, उस दिन से, जिस दिन वह उस विषय को उठाना चाहता हो, तीन दिन

पूर्व सचिव को उसकी लिखित सूचना भेजेगा और उस विषय या उन विषयों का, जिनको वह उठाना चाहता है, संक्षेप में उल्लेख करेगा:

परन्तु सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें सम्बद्ध विषयों पर चर्चा उठाने के कारण बताये जायेंगे:

किन्तु अध्यक्ष सम्बद्ध मंत्री की सम्मति से सूचना की अवधि सम्बन्धी अपेक्षण को हटा सकेंगे।

(४) यदि आवश्यक हो तो एक ही उपवेशन में दो सूचनाएं ली जा सकेंगी। यदि दो से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष ने उनको स्वीकार कर लिया हो तो अध्यक्ष यह विनिश्चित करेंगे कि उनमें से कौन-सी दो ली जायं :

परन्तु कोई विषय जो किसी विशेष दिन के लिये चर्चार्थ रखा गया हो यदि उस दिन निस्तीर्ण न हो सके तो वह अन्य किसी दिन तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें।

(५) सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेगा। सम्बद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

५१--प्रश्नों और उत्तरों के पूर्व प्रकाशन का प्रतिषेध--प्रश्न, जिनकी सदस्यों ने सूचना दी हो, और उनके उत्तर, जो मंत्री सदन में देना चाहते हों, तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिये जायेंगे जब तक कि सदन में प्रश्न न ले लिये जायं और उनके उत्तर न दे दिये जायं या मेज पर न रख दिये जायं।

अध्याय ८

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषयों पर ध्यान दिलाना

५२--अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषयों पर ध्यान दिलाना--(१) कोई सदस्य जो अविलम्बनीय लोक महत्त्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हो ऐसे विषय की उस दिन के उपवेशन के आरम्भ से आध घंटे पूर्व जिस दिन वह विषय उठाना चाहता हो द्विप्रतिक सूचना देगा। सचिव सूचना की एक प्रति संबंधित मंत्री को भेज देगा।

(२) यदि अध्यक्ष उक्त विषय को उठाने के लिये अपनी अनुमति दे दें तो यह कार्य प्रश्नों के उपरान्त और कार्य-सूची प्रारम्भ करने से पूर्व किया जायगा।

(३) मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे या किसी भावी समय या तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे।

(४) ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाय, कोई वाद-विवाद नहीं होगा :

परन्तु अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे।

(५) एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे।

(६) एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को प्राथमिकता दी जायेगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्त्वपूर्ण हो।

अध्याय ९

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा

५३—चर्चा उठाने की सूचना—अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी :

और सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा।

५४—अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे—यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वे आवश्यक समझें, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्त्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिये, तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन-नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे। वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो ढाई घंटे से अधिक न हो :

परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिये इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इंकार कर सकेंगे।

५५—औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायगा—सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।

५६—भाषणों के लिये समय-सीमा—अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेंगे।

अध्याय १०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव

५७—सूचना देने की रीति—जिस दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व उसकी द्विप्रतिक सूचना सचिव को दी जावेगी। सचिव सूचना की एक प्रति को सम्बद्ध मंत्री के पास भेज देगा।

५८—प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष को सम्मति की आवश्यकता—इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी लोक महत्त्व क निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

५९—प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निर्बन्धन—किसी लोक महत्व क निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के लिये सदन स्थगन का प्रस्ताव करने का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात्—

(१) एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे;

(२) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;

(३) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा;

(४) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(५) प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो;

(६) प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा, जो पहले ही से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो । यह निश्चित करने के लिये कि विषय के पहले से विचारार्थ रखे जाने के कारण चर्चा अनियमित है या नहीं, अध्यक्ष पहले से रखे गये विषय की उचित समय के भीतर सभा के सामने आने की सम्भावना का ध्यान रखेंगे; तथा

(७) प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके ।

६०—न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव—साधारणतया ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हों जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामन लम्बित हों:

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

६१—कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा मांगने की रीति—(१) प्रश्नों के अनन्तर और कार्य-सूची में दिये हुये कार्य के आरम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष प्रस्ताव को लेंगे और यदि उनका यह विचार हो कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियम ५८ के अन्तर्गत वे अपनी सम्मति दें तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़ा होकर सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगेगा ।

(२) यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि तदनुसार कम से कम तात्कालिक सदन के कुल सदस्यों के द्वादशांश सदस्य खड़े हो जायं तो अध्यक्ष, सूचित करेंगे कि अनुज्ञा प्रदान की गयी। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित कर देंगे कि उसे सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।

६२—प्रस्ताव को लेने का समय—यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिये साधारणतया नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायेगा।

६३—चर्चा के समय की परिसीमा—(१) अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा, यदि पहिले समाप्त न हो जाय, आरम्भ होने से दो घंटे पूरे होने पर आप से आप समाप्त हो जायगी और उसके पश्चात् कोई प्रश्न नहीं रखा जायेगा।

(२) अध्यक्ष भाषणों के समय को निर्धारित करेंगे :

परन्तु कोई भाषण १५ मिनट से अधिक अवधि का नहीं होगा।

अध्याय ११

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न

६४—विशेषाधिकार की अवहेलना व अवमान को किस प्रकार सदन की सूचना में लाया जाय—किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से—

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,
(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,
(३) याचिका द्वारा, अथवा
(४) समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा सदन की सूचना में लाया जा सकेगा :

परन्तु यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा :

किन्तु शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पूर्व सदस्य की सफाई को सुनेंगे।

६५—सदस्य द्वारा शिकायत—जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहे वह जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार करता हो, उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का आधार कोई दस्तावेज हो तो मूल दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी।

६६—विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें—विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगा—

(१) एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे,

(२) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध रहेगा, तथा

(३) उस मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो।

६७—शिकायत का प्रस्तुत किया जाना—यदि नियम ६४ के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सम्मति दें तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करके सदन को यह सूचना दे सकेंगे अथवा प्रश्नों के अनन्तर तथा कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वे शिकायत करने वाले सदस्य से अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये कह सकेंगे। तत्पश्चात् सदस्य अपनी शिकायत, यदि कोई दस्तावज हो तो उसके सहित, सदन के सम्मुख पढ़ेगा तथा एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा। अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य सदस्य को सुनने के उपरान्त, यह विनिश्चित करेंगे कि क्या शिकायत नियमित है:

परन्तु यदि अध्यक्ष का, विषय की अविलम्बनीयता के संबंध म समाधान हो जाय तो वे किसी अन्य समय भी विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा दे सकेंगे:

किन्तु जब अध्यक्ष ने नियम ६४ के अन्तर्गत सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो या उनकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो वे शिकायत को सदन में पढ़ कर सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि वे सम्मति देने से इन्कार करते हैं या वे उसको नियमानुकूल नहीं ठहराते।

६८—सदस्य के विरुद्ध शिकायत—(१) यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो और विषय सदन के सामने लाया जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायेगी, यदि नियम ६४ के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा उसकी सुनवाई पहले ही न हो चुकी हो।

(२) शिकायत की एक प्रति, उस दस्तावेज की एक प्रति के साथ सदस्य को दी जायेगी जिस पर शिकायत आधारित है और सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति से अधिकार होगा कि वह सब दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके। उसको स्पष्टीकरण अथवा निर्दोषिता-सिद्धि के संबंध में सुने जाने का अवसर भी दिया जायेगा।

(३) वह सदस्य जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है, इस प्रकार नियत दिन पर सदन में अपने स्थान पर उपस्थित होगा और यदि वह उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अध्यक्ष को अनुपस्थिति के कारणों की सूचना देगा और सदन दिये गये कारणों को देखते हुये उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगा। किन्तु यदि सदन की राय में अनुपस्थिति का समुचित कारण नहीं है या वह जान-बूझकर अनुपस्थित रहे तो सदन उसकी अनुपस्थिति में ही उस विषय पर विचार प्रारम्भ कर सकेगा। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित हो और अपरिहार्य परिस्थितियोंवश वह अपनी अनुपस्थिति के कारणों की सूचना न दे सका हो, तो सदन उसकी प्रार्थना पर प्रश्न को पुनः प्रारम्भ कर सकेगा।

(४) वह सदस्य जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है, उपर्युक्त प्रकार से सदन में उपस्थित हो कर उपनियम (२) के अन्तर्गत अपना स्पष्टीकरण देने के बाद सदन से बाहर चला जायेगा और वह तब तक सदन में प्रवेश नहीं करेगा

टिप्पणी—विशेषाधिकार समिति के लिये अध्याय १६ देखिये।

जब तक कि वह विषय सदन के विचाराधीन रहे। किन्तु सदन उसे कार्यवाही सुनने की अनुमति दे सकेगा और अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये, या क्षमायाचना के लिये उसे पुनः बुला सकेगा।

६९—अध्यक्ष द्वारा विषय का विशेषाधिकार समिति को निर्देशन—जब अध्यक्ष नियम ६७ के प्रथम भाग में उक्त रीति से अतिरिक्त व्याख्या मांग लेने के बाद, शिकायत को उपर्युक्त नियम के पश्चाद्वर्ती भाग के अन्तर्गत नियमानुकूल ठहरायें तो वे उस विषय को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे या यदि उनकी यह राय हो कि विषय ऐसा है, जो सदन द्वारा निस्तीर्ण किया जा सकता है तो वे शिकायत करने वाले सदस्य से यह प्रस्ताव करने के लिये कह सकेंगे कि विषय पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय।

७०—प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रस्ताव—समिति के सभापति अथवा उसका कोई सदस्य या सदन का कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि समिति के प्रतिवेदन पर तुरन्त ही या किसी भावी समय में, विचार किया जाय जिसके भीतर प्रतिवेदन मुद्रित कराकर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को दी जा सकें।

७१—सचिव द्वारा अथवा याचिका द्वारा शिकायत—(१) जब कभी नियम ६४ (२) अथवा ६४ (३) के अन्तर्गत सचिव के प्रतिवेदन द्वारा या याचिका द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाय तथा अध्यक्ष यदि वे उसके लिये अपनी सम्मति दे दें, उस विषय को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करके सदन को उस विषय से अवगत करा सकेंगे अथवा वे शिकायत को पढ़ने तथा किसी सदस्य को सुनने के उपरान्त यह विनिश्चय कर सकेंगे कि शिकायत नियमानुकूल है या नहीं और यदि वह नियमानुकूल पायी जावे तो अध्यक्ष उसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

(२) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि विषय ऐसा है जिसे सदन के सम्मुख विचारार्थ रखा जाना चाहिये तो वे सचिव से सदन के सम्मुख शिकायत पढ़ने के लिये कहेंगे। सदन प्रतिवेदन को तुरन्त ही अथवा भविष्य में किसी समय विचाराधीन ले सकेगा :

परन्तु सदन में विषय पर विचार आरम्भ होने के पूर्व शिकायत की प्रतियां छपाई जायेंगी और सदस्यों को दे दी जायेंगी।

७२—समिति द्वारा शिकायत—जब कभी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो तो उस समिति के सभापति अध्यक्ष को उस विषय का प्रतिवेदन देगा। अध्यक्ष इस मामले की सूचना सदन को देंगे और सभापति, अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति का अन्य कोई सदस्य, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को तुरन्त ही या भविष्य में किसी समय विचाराधीन लिया जाय। तदुपरान्त नियम ६७ और ६८ में विहित प्रक्रिया का, जहां तक वह असंगत न हो, अनुसरण किया जायेगा।

७३—मूल प्रस्ताव—जब सदन निम्नलिखित किसी प्रस्ताव से सहमत हो जाय तो कोई सदस्य मूल प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का किया जाना दर्शाया जायेगा और सदन को उस पर जो कार्य-

वाही करनी चाहिये उसका सुझाव भी दिया जायगा तथा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा :

(१) नियम ६९ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव कि विषय को विचाराधीन लिया जाय, अथवा

(२) नियम ७० के अन्तर्गत यह प्रस्ताव कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन लिया जाय, अथवा

(३) नियम ७१ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव कि शिकायत अथवा याचिका को विचाराधीन लिया जाय, अथवा

(४) नियम ७२ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को जैसा कि वह समिति के प्रतिवेदन में दिया गया है, विचाराधीन लिया जाय।

प्रस्ताव तथा संशोधनों पर, यदि कोई हों, संक्षिप्त चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष प्रश्न उपस्थित करेंगे।

७४—दोषारोपित व्यक्ति के लिये अवसर—उस दशा को छोड़ कर जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष की गयी हो, सदन दंड-आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता-सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा :

परन्तु यदि यह विषय विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका है और दोषारोपित व्यक्ति समिति के समक्ष अपना पक्ष उपस्थित कर चुका है तो जब तक सदन अन्यथा निदेश न दे, उस व्यक्ति के लिये सदन द्वारा ऐसा अवसर दिया जाना आवश्यक न होगा।

७५—दोषारोपित पक्ष का आह्वान—अध्यक्ष दोषारोपित व्यक्ति को सूचना अथवा बन्दीकरण के अधिपत्र द्वारा कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर सदन के सम्मुख उपस्थित होने के लिये आहूत कर सकेंगे।

अनुच्छेद १९४।

७६—दंड—यदि विशेषाधिकार समिति की यह राय हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, तो समिति सिफारिश कर सकेगी और सदन को निम्नलिखित दंड देने की शक्ति होगी—

(१) भर्त्सना,

(२) शास्ति,

(३) सदस्य का निलम्बन,

(४) जुर्माना,

(५) सदस्य का निष्कासन,

(६) कारावास, जिसकी अवधि सदन के प्रसाद पर निर्भर है, परन्तु सत्रावसान या विघटन के उपरान्त आगे नहीं बढ़ सकती, और

(७) कोई अन्य दंड जिसे सदन अनुच्छेद १९४ के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित और ठीक समझे।

७७—निराधार शिकायत—ऐसी अवस्था में जब कि सदन को यह पता चले कि विशेषाधिकार की अवहेलना का आरोप निराधार है, तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, वाद-व्यय के रूप में ऐसी धनराशि दे जो ५०० रुपये से अधिक न होगी।

७८—सदन के आदेश का निष्पादन—अध्यक्ष या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि सदन द्वारा दिये गये आदेशों और दंड का निष्पादन कर सकें।

७९—वाद-विवाद की संक्षिप्तता—विशेषाधिकार की अवहेलना विषयक प्रश्नों पर सभी प्रक्रमों में वाद-विवाद संक्षिप्त होगा।

८०—प्रक्रिया का विनियमन—समिति में अथवा सदन में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार से सम्बद्ध विषयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये अध्यक्ष ऐसे निदेश दे सकेंगे, जो आवश्यक हों।

८१—अवमान पर नियमों की प्रवृत्ति—उपर्युक्त नियम, जहां तक वे असंगत न हों, अवमान के सभी मामलों में प्रवृत्त होंगे।

८२—विशेषाधिकार के प्रश्न को समिति को निर्दिष्ट करने की अध्यक्ष की शक्ति—इन नियमों में किसी बात के रहते हुए भी अध्यक्ष विशेषाधिकार क किसी प्रश्न को परीक्षा, जांच या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे और उससे सदन को अवगत करायेंगे।

८३—एक सदन के सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक द्वारा किसी दूसरे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान पर कार्यवाही की प्रक्रिया—यदि दूसरे सदन या भारत में किसी अन्य विधान मंडल का सदस्य, अधिकारी या सेवक इस सदन के अवमान या अभिकथित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में अन्तर्ग्रस्त हो तो अध्यक्ष उस विषय को उस सदन के अधिष्ठाता अधिकारी को निर्दिष्ट कर देंगे, परन्तु यदि प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने के उपरान्त अथवा जहां शिकायत किसी लेख्य पर आधारित हो वहां लेख्य का अवलोकन करने के उपरान्त अध्यक्ष को यह समाधान हो जाय कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है तो उस दशा में वे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को अग्राह्य कर सकेंगे। जब दूसरे सदन या भारत के किसी अन्य विधान मंडल के अवमान अथवा विशेषाधिकार की अभिकथित अवहेलना का मामला जिसमें इस सदन का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक अन्तर्ग्रस्त हो, इस सदन को अवमानित सदन के अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाय तो अध्यक्ष उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे जैसे कि यह इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला हो और प्राप्त हुए मामले में की गयी जांच तथा कार्यवाही का प्रतिवेदन उस अधिष्ठाता अधिकारी को, जिसने मामला निर्दिष्ट किया हो, भेज देंगे।

सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध, आदि और रिहाई की अध्यक्ष को सूचना

८४—दंडाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध, आदि की अध्यक्ष को सूचना—जब कोई सदस्य किसी दंड, दोषारोप या किसी दंड अपराध के लिये बन्दी किया जाय या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति समर्पक न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुये ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा।

८५—सदस्य की रिहाई पर अध्यक्ष को सूचना—जब कोई सदस्य बन्दी किया जाय और दोषसिद्धि के बाद अपील लम्बित होने तक जमानत पर रिहा किया जाय या अन्यथा रिहा किया जाय तो ऐसे तथ्य की सूचना भी सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जायेगी।

८६—दंडाधिकारी से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही—नियम ८४ या ८५ में निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र अध्यक्ष उसे सदन में पढ़ कर सुनायेंगे, यदि वह सत्र में हो, या यदि सदन सत्र में न हो तो निदेश देंगे कि सदस्यों को उसकी सूचना दे दी जाय :

परन्तु यदि किसी सदस्य की जमानत पर रिहाई या अपील पर मुक्ति की सूचना सदन को मूल बन्दीकरण की सूचना दिये जाने से पहले ही प्राप्त हो जाय तो उसके बन्दीकरण या उसकी बाद में रिहाई या मुक्ति का तथ्य अध्यक्ष चाहें तो सदन को सूचित न करें।

सदन के परिसर के भीतर विधि सम्बन्धी आदेशिका की तामीली तथा गिरफ्तारी से सम्बन्धित प्रक्रिया

८७—सदन के परिसर के भीतर बन्दीकरण—सदन के परिसर के भीतर अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जायगी।

८८—विधि सम्बन्धी आदेशिका की तामीली—दीवानी या फौजदारी विधि सम्बन्धी आदेशिका सदन के परिसर के भीतर अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना तामील नहीं की जायगी।

अध्याय १२

संकल्प

८९—असरकारी सदस्यों द्वारा संकल्पों की सूचना—(१) जो असरकारी सदस्य कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहे वह सचिव को अपने इस मंतव्य की लिखित सूचना कम से कम १५ दिन पहले देगा और सूचना के साथ उस संकल्प की एक प्रति भेजेगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है।

(२) संकल्प यदि शलाका में स्थान प्राप्त कर ले और अध्यक्ष द्वारा गृहीत हो जाय तो उस पर चर्चा के लिये नियत दिनांक से साधारणतया १२ दिन पूर्व उसकी एक प्रतिलिपि शासन को भेजी जायेगी।

९०—शासन द्वारा संकल्प की सूचना—यदि शासन कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगा और उसके साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगा जो उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा :

परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे।

९१—संकल्प का रूप—संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि शासन के किसी कार्य अथवा नीति का सदन द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन अभिलिखित किया जाय या कोई संदेश दिया जाय या किसी कार्यवाही के लिये संस्तवन, अनुरोध अथवा

प्रार्थना की जाय या किसी विषय अथवा स्थिति पर शासन के विचारार्थ ध्यान आकृष्ट किया जाये या किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकेगा जो अध्यक्ष उचित समझें।

९२—संकल्प का वाद-विषय—इन नियमों के उपबन्धों के अधीन कोई सदस्य अथवा मंत्री सामान्य लोक हित के किसी विषय के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

९३—संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें—किसी संकल्प के ग्राह्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे, अर्थात्—

(१) वह स्पष्टतया और सुतथ्यतः व्यक्त किया जायेगा,
(२) उससे सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा,
(३) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे,
(४) उसमें व्यक्तियों के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा, तथा
(५) उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो।

९४—संकल्पों की ग्राह्यता—अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करेंगे और संकल्प को नियमानुकूल बनाने के लिये स्वविवेक से उसके रूप में परिवर्तन कर सकेंगे। वे किसी संकल्प या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेंगे जो नियमानुकूल न हो अथवा किसी अन्य प्रकार से सदन की प्रक्रिया में बाधा या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

९५—न्यायाधिकरण अथवा अन्य संविहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित विषय पर चर्चा उठाना—साधारणतया ऐसे संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो, जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से सम्बन्धित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

९६—संकल्पों का प्रस्तवन तथा वापसी—(१) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह अथवा कोई दूसरा सदस्य, जिसको उसने अपनी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पुकारे जाने पर—

(क) या तो संकल्प को प्रस्तुत करेगा और उस दशा में कार्य-सूची में दिये हुये शब्दों में औपचारिक प्रस्ताव के साथ अपना भाषण आरम्भ करेगा,
(ख) या संकल्प प्रस्तुत करने से इनकार करेगा और उस दशा में वह अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा :

परन्तु अध्यक्ष स्वविवेक से उस सदस्य को संक्षेप में यह वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे कि वह संकल्प को क्यों प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

(२) यदि सदस्य पुकारे जाने के समय अनुपस्थित हो और उपनियम (१) के अन्तर्गत किसी दूसरे सदस्य को उसकी ओर से कार्य करने के लिये नियमित रूप से प्राधिकृत न किया गया हो तो उसके नाम में अंकित संकल्प व्यपगत हो जायगा ।

९७—संशोधन—जब कोई संकल्प चर्चाधीन हो तो कोई सदस्य संकल्पों से सम्बन्धित नियमों के अधीन रहते हुए उस संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसके स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप केवल नकारात्मक मत का प्रभाव हो ।

९८—संशोधनों की सूचना—(१) यदि संशोधन की एक प्रति संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित दिन के छत्तीस घंटे पूर्व सचिव को न दी जा चुकी हो तो कोई सदस्य उस संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यह आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें ।

(२) जिन संशोधनों की सूचना दी गयी हो उनकी सूचियां सचिव, यदि समय हो तो, सदस्यों के लिये समय-समय पर उपलब्ध करेगा ।

९९—भाषणों की समय-सीमा—किसी भाषण की अवधि अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी :

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बद्ध विभाग का भारसाधक मंत्री, जब वे उस पर पहली बार बोलें, २५ मिनट तक या इससे इतने और अधिक समय तक, जिसकी अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बोल सकेंगे ।

१००—संकल्प की वापसी—(१) कोई सदस्य, जिसने संकल्प या किसी संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत किया हो, सदन की अनुज्ञा के बिना उसे वापस नहीं लगा ।

(२) वापस लेने की अनुज्ञा मांगने के प्रस्ताव पर चर्चा की आज्ञा नहीं दी जायेगी ।

१०१—संकल्प जिन पर चर्चा नहीं हुई—यदि किसी संकल्प पर, जिसकी सूचना दी जा चुकी हो और जो कार्य-सची में प्रविष्ट किया जा चुका हो, उस उपवेशन में चर्चा न हुई हो तो उसको व्यपगत हुआ समझा जायेगा ।

१०२—संकल्प का विभाजन—जब किसी संकल्प पर, जिसमें कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, चर्चा हो चुकी हो, तब अध्यक्ष उस संकल्प को स्वविवेक से विभाजित करेंगे और प्रत्येक या किसी अंश को, जैसा भी वे उचित समझें, पृथक् मत के लिये रखेंगे ।

१०३—संकल्प की पुनरावृत्ति—जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका हो तब ऐसा कोई संकल्प या संशोधन, जिसमें सारतः वही प्रश्न उठाया जाय, पहले संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।

१०४—मंत्री के पास पारित संकल्प की प्रति भेजना—प्रत्येक संकल्प की, जिसे सदन ने पारित किया हो, एक प्रति सम्बद्ध मंत्री के पास भेजी जायगी ।

१०५—असरकारी सदस्यों के संकल्पों को पूर्वता—(१) संकल्पों की सूचनाओं की, जो असरकारी सदस्यों ने प्रस्तुत की हों, सापेक्ष पूर्वता का निर्णय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार की जाने वाली शलाका द्वारा उस दिवस को होगा जो अध्यक्ष नियत करें।

(२) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, असरकारी सदस्यों को संकल्पों के निस्तारण के निमित्त किसी दिन की कार्यसूची में (नियम २६ के परन्तुक के अन्तर्गत अवशिष्ट किसी संकल्प के अतिरिक्त) पांच से अधिक संकल्प नहीं रखे जायंगे।

अध्याय १३

प्रस्ताव

१०६—लोक-हित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा—संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

१०७—प्रस्ताव की सूचना—नियम ११३ में उपबंधित अवस्था को छोड़ कर प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और सचिव को सम्बोधित होगी।

१०८—प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें—कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् कि—

(१) उसमें सारवान् रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा,

(२) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मान-हानिकारक कथन नहीं होंगे,

(३) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा,

(४) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

(५) उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायेगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले ६ मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो,

(६) उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो,

(७) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो।

१०९—अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे—अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वे कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेंगे जो उनकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।

११०—न्यायाधिकरण, आयोग आदि के समक्ष विषयों पर चर्चा उठाने के लिए प्रस्ताव—साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

१११—समय-नियतन और प्रस्तावों पर चर्चा—अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे।

११२—भाषणों के लिए समय-सीमा—अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेंगे।

११३—बिना सूचना के प्रस्ताव—निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे:—

(१) समवेदना या बधाई का प्रस्ताव,
(२) उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव,
(३) अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव,
(४) समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव,
(५) किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव,
(६) किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव,
(७) वादविवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव,
(८) किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव,
(९) किसी बैठक की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव,
(१०) राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव,

११४—प्रस्ताव में पूर्व विनिश्चित प्रश्न नहीं उठाया जायगा—किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान् रूप से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में या पिछले छः महीने के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, विनिश्चय कर चुकी हो :

परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें यहां कही गयी किसी बात से निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने को रोका गया नहीं समझा जायेगा, अर्थात्—

(क) किसी विधेयक को विचारार्थ लेने या प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव, जब उसी प्रकार के किसी पिछले प्रस्ताव पर इस आशय का कोई संशोधन कि उस पर राय जानने के लिये विधेयक को घुमाया जाय या पुनः घुमाया जाय, स्वीकृत हो गया हो ;

(ख) सभा के पुनर्विचार के लिये राज्यपाल द्वारा विधेयक का प्रत्यावर्तन किये जाने के उपरान्त किया गया कोई प्रस्ताव, जो ऐसे संशोधन के लिये किया जाय जो पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट विषय या विषयों से सुसंगत हो ;

(ग) किसी विधेयक के संशोधन का प्रस्ताव जो किसी अन्य संशोधन का, जो स्वीकार हो चुका हो, आनुषंगिक हो या केवल उसका प्रारूपण बदलने के लिए आयोजित हो।

११५—कार्य स्थगित करने के लिए प्रस्ताव—(१) अनुच्छेद २०४ के अन्तर्गत विनियोग विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर, जो पुरःस्थापित किया जा चुका हो, अथवा कार्यस्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य प्रस्ताव पर अथवा संकल्प पर विचार को उसी सत्र में ऐसे कार्य के लिए उपलब्ध किसी भावी दिन अथवा भावी सत्र में अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे प्रस्ताव को तत्समय सभा के सम्मुख अन्य प्रस्तावों पर पूर्ववर्तिता होगी। अध्यक्ष प्रस्तावक को तथा यदि प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने का अवसर देने के बाद और आगे वाद-विवाद के बिना उस पर प्रश्न उपस्थित कर सकेंगे। अनुच्छेद २०४

(२) असरकारी सदस्यों के कार्य को किसी निर्धारित दिन के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो स्थगित कार्य को उस दिन के लिए नियत सरकारी सदस्यों के कार्य पर प्राथमिकता मिलेगी।

(३) अध्यक्ष कार्य स्थगित करने के ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकेंगे यदि उनकी राय में प्रस्ताव सभा के कार्य में बाधा डालने या बैठक को स्थगित कराने के प्रयोजन से किया गया है।

११६—विवादान्त—(१) किसी प्रस्ताव के किये जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि "अब प्रश्न उपस्थित किया जाय" और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्तियुक्त वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे "कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय"।

(२) जब उपनियम (१) के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो उससे आनुषंगिक प्रश्न या प्रश्नों को, और आगे वाद-विवाद के बिना तत्काल प्रस्तुत कर दिया जायगा :

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य के उत्तर देने के अधिकार को अनुज्ञापित करेंगे जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो।

अध्याय १४

विधान निर्माण

(क) विधेयकों का पुरःस्थापन तथा प्रकाशन

११७—विधेयकों को पुरः स्थापित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष की शक्ति—अध्यक्ष से इस विषय की प्रार्थना की जाने पर वे किसी विधेयक (उद्देश्यों और कारणों के विवरण एवं विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन तथा वित्तीय आभारों से संबंधित ज्ञापनों सहित, यदि कोई हो, और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश सहित) के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेंगे, यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया हो। उस दशा में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाय तो उसको पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु साधारणतया विधेयक को इस प्रकार गजट में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होगा यदि सदन सत्र में हो।

अनु० १९६ ११८—असरकारी सदस्य द्वारा विधेयक के पुरःस्थापन की अनुज्ञा मांगने के लिए प्रस्ताव की सूचना—(१) असरकारी सदस्य जो विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति तथा उद्देश्यों और कारणों का एक विवरण, जिसमें प्रतर्क नहीं होंगे, भेजेगा :

परन्तु अध्यक्ष यदि ठीक समझे, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनरीक्षित कर सकेंगे।

(२) यदि किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित करने या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने की सूचना दी जाय जो अध्यक्ष की राय में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो अध्यक्ष सूचना की प्राप्ति के उपरान्त यथाशीघ्र उस विधेयक अथवा संशोधन को राष्ट्रपति या राज्यपाल को यथास्थिति निर्दिष्ट करेंगे।

(३) इस नियम के अन्तर्गत विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि पन्द्रह दिन होगी, यदि अध्यक्ष इस से कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुज्ञा न दे दें।

११९—सदन में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक का पुरः स्थापन—कोई विधेयक, जो सदन में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है उस विधेयक के पारित हो जाने की प्रत्याशा में, जिस पर कि वह निर्भर है, सदन में पुरःस्थापित किया जा सकेगा :

परन्तु दूसरा विधेयक सदन में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिये तभी लिया जायेगा जब कि पहला विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो ।

१२०—तत्सम विधेयक की सूचना—जब कोई विधेयक सदन में लम्बित हो तो किसी तत्सम विधेयक की सूचना को, चाहे वह लम्बित विधेयक के पुरःस्थापन से पहले प्राप्त हुई हो या बाद में, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, यथास्थिति, लम्बित सूचनाओं की सूची से निकाल दिया जायेगा या उसमें प्रविष्ट नहीं किया जायेगा ।

१२१—विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खंड—जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

(२) विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे ।

१२२—विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन—जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक और ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायगा तथा यह भी बताया जायगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की ।

१२३—अध्यादेशों के संबंध में विवरण—(१) जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये तो उसके प्रख्यापन के बाद यथास्थिति अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण मेज पर रक्खा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था ।

(२) तदुपरान्त कोई भी सदस्य तीन दिन की सूचना देकर अध्यादेश का अनुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा और यदि ऐसा संकल्प स्वीकृत हो जाय तो वह परिषद् के पास उसकी सहमति के लिये भेज दिया जायेगा ।

(३) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश को रूपभेद सहित प्रतिस्थापित करता हो, सदन में पुरः स्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायगा, जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण ऐसे रूपभेद करना आवश्यक हो गया था ।

१२४—असरकारी सदस्यों के विधेयकों में पूर्वता—(१) विधेयकों की सूचनाओं की, जो असरकारी सदस्यों ने प्रस्तुत की हों, सापेक्ष पूर्वता का निर्णय शलाका द्वारा जो अध्यक्ष द्वारा दिये गये उन निदेशों के अनुसार उस दिवस को होगा जो अध्यक्ष नियत करें और जो ऐसे दिवस से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व होगा, जिसके लिये शलाका की जाय ।

(२) उक्त विधयकों की सापेक्ष पूर्वता, जो पहले ही सदन में पुरःस्थापित किये जा चुके हों और लंबित हों, निम्न क्रम में निर्धारित की जायगी :—

अनुच्छेद २०० और २०१ ।

(क) वे विधेयक, जो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद २०० और २०१ के अन्तर्गत संदेश सहित वापिस किये गये हों ;

(ख) वे विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव किया जा चुका हो कि विधेयक को पारित किया जाय;

(ग) वे विधेयक जिनके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है कि विधेयक पर विचार किया जाय;

(घ) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया जा चुका हो;

(ङ) वे विधेयक जो राय जानने के लिये परिचालित किये गये हों;

(च) वे विधेयक जिनका पुरःस्थापन हो चुका हो और जिनके संबंध में कोई और प्रस्ताव उपस्थित या स्वीकृत न किया गया हो ।

(३) उपनियम (२) के किसी एक खंड के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्वता शलाका द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे ढंग से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, निर्धारित की जायेगी ।

१२५—पुरःस्थापन की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव—यदि किसी विधेयक के पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे :

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्णरूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे ।

१२६—विधेयक का पुरःस्थापन—नियम ११७ में दी गयी प्रक्रिया के अन्तर्गत अथवा विधेयक के पुरःस्थापन की अनुज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त विधेयक " भार-साधक सदस्य " द्वारा पुरःस्थापित किया जायेगा ।

१२७—विधेयकों का प्रकाशन—विधेयक के पुरःस्थापन किये जाने के पश्चात् विधेयक, यदि वह पहले ही प्रकाशित नहीं किया जा चुका है, यथाशीघ्र गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।

१२८—राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को विधेयक की प्रतिलिपि भेजना—सभा में पुरःस्थापन के पश्चात् प्रत्येक पुरःस्थापित विधेयक की प्रतिलिपि सचिव द्वारा तुरन्त ही राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को सूचनार्थ भेज दी जायगी ।

१२९—मंत्री को असरकारी सदस्य के विधेयक की प्रतिलिपि भेजना—जब कभी सभा का कोई असरकारी सदस्य किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अभिप्राय

की सूचना दे और यदि उसे शलाका में स्थान प्राप्त हो जाये तो सचिव यथाशीघ्र उसकी एक प्रतिलिपि उद्देश्यों और कारणों के विवरण सहित संबंधित मंत्री को भेज देगा।

(ख) पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

१३०—पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव—किसी विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त या किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक भार-साधक सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्तुत कर सकेगा, अर्थात्—

(क) उसे सभा द्वारा तत्काल ही या भविष्य में किसी ऐसे दिन जिसे उसी समय निर्धारित किया जायेगा, विचारार्थ ले लिया जाय ; या

(ख) उसे ऐसे अनुदेशों के सहित जो कि आवश्यक समझे जायं, सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ; या

(ग) उसे ऐसे अनुदेशों के सहित जो कि आवश्यक समझे जायं, संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ; या

(घ) उस पर राय जानने के प्रयोजन से उसे परिचालित किया जाय :

परन्तु उपनियम (ग) के अन्तर्गत निर्देश का प्रस्ताव ऐसे धन विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा जिसमें अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध हो : अनु० १९९

किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।

१३१—विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति—विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।

१३२—विधेयकों के सिद्धान्तों पर चर्चा—(१) उस दिन जब नियम १३० में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाय या किसी अनुवर्ती दिन जिस के लिए चर्चा स्थगित की जाय, विधेयक के सिद्धांतों और उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा की जा सकेगी, किन्तु विधेयक के ब्योरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।

(२) इस प्रक्रम पर विधेयक में संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे किन्तु यदि विधेयक भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक—

(क) विचारार्थ लिया जाय, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या उस पर राय जानने के लिए उस तिथि तक, जो प्रस्ताव में दी गयी हो, परिचालित किया जाय, अथवा

(ख) एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को यथास्थिति एक संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या विधेयक को राय प्राप्त करने के लिए उस तिथि तक जो उस प्रस्ताव में दी गयी हो परिचालित किया जाय।

अनु० १९९ (३) (क) जब पूर्वगामी नियमों के अन्तर्गत किसी विधेयक को राय जानने के लिए परिचालित किये जाने पर रायें प्राप्त हो गयी हों तो राय प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के उपरान्त यथासंभव शीघ्र सचिव द्वारा एक ऐसा विवरण मेज पर रखा जायेगा जिसमें रायों का सारांश दिया हो।

(ख) तदुपरान्त विधेयक भार-साधक सदस्य यदि वह अपने विधेयक पर इसके आगे कार्यवाही करना चाहता हो, प्रस्ताव करेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, यदि अध्यक्ष यह प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें कि विधेयक पर तत्काल या किसी भावी तिथि को विचार किया जाय :

अनु० १९९ परन्तु इस नियम के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए कोई संशोधन या प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा जिसमें अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध हो।

१३३—व्यक्ति जो विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकेंगे—विधेयक के भार-साधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाय या विधेयक को पारित किया जाय और विधेयक के भार-साधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा, विधेयक के भार-साधक सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर, संशोधन के रूप के अतिरिक्त यह प्रस्ताव नहीं किया जायेगा कि विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये या पुनः परिचालित किया जाय :

परन्तु यदि विधेयक का भार-साधक सदस्य अपने विधेयक के संबंध में, पुरःस्थापन के उपरान्त किसी अनुवर्ती प्रक्रम पर अगला प्रस्ताव प्रस्तुत करने में ऐसे कारणों से असमर्थ हो जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझें, तो वह किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के अनुमोदन से उस विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

व्याख्या—परंतुक में संनिहित उपबन्धों के रहते हुए भी, विधेयक भार-साधक सदस्य वही रहेगा, जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया है।

टिप्पणी—प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति के नियमों के लिए अध्याय १६ देखिये।

(ग) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त प्रक्रिया

१३४—प्रवर, संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव—(१) यथास्थिति किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि—

(क) यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय :

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिए प्रस्ताव किये जाने के दिन से तीन दिन पहले उपलब्ध न कर दी गयी हो तो कोई सदस्य इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, यदि अध्यक्ष प्रतिवेदन पर विचार किये जाने की अनुमति न दें, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी ; या

(ख) यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक उसी प्रवर समिति या एक नयी प्रवर समिति या उसी संयुक्त प्रवर समिति या एक नयी संयुक्त प्रवर समिति को, या तो :

१—परिसीमा के बिना; अथवा

२—केवल विशेष खंडों या संशोधनों के सम्बन्ध में ही ; अथवा

३—समिति को विधेयक में कोई विशेष या कोई अतिरिक्त उपबन्ध करने के अनुदेशों के साथ, या

(ग) यथास्थिति सदन की प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक यथास्थिति उस पर राय या अतिरिक्त राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाय।

(२) यदि विधेयक भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाय या उस पर राय या अतिरिक्त राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये।

१३५—वाद-विवाद की व्याप्ति—इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय, वाद-विवाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धान्त से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा।

(घ) संयुक्त प्रवर समिति

१३६—संयुक्त प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव—(१) यदि कोई प्रस्ताव किसी विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए स्वीकृत हो जाय, तो सचिव इस निवेदन के साथप रिषद् को सन्देश भेजेगा कि परिषद् उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करे, और यदि उसकी सहमति हो तो संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिए अपेक्षित संख्या में अपने सदस्यों को नियुक्त कर दे।

(२) यदि इस तात्पर्य का संदेश सभा में प्राप्त हो कि परिषद् सहमत नहीं है, तो संयुक्त प्रवर समिति को कोई निर्देशन नहीं होगा।

१३७—संयुक्त प्रवर समिति के निर्देशन के लिए परिषद् द्वारा प्रस्ताव—(१) सचिव, परिषद् से प्राप्त हुए संदेश की प्रतिलिपि सदस्यों के पास भेजेगा, जिसमें सभा की सहमति इस प्रस्ताव पर, जिसे परिषद् ने स्वीकार किया हो, मांगी जाय कि विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(२) परिषद् से ऐसे संदेश के प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री और असरकारी सदस्य के विधेयक की दशा में कोई सदस्य, प्रस्ताव कर सकेगा कि परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय।

(३) यदि सभा राजी हो तो उपनियम (२) में उल्लिखित सदस्य संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु प्रस्ताव ला सकेगा। प्रत्येक अन्य सदस्य को भी इसी प्रकार नाम-निर्देशन करने का अधिकार होगा। यदि आवश्यक हो तो संयुक्त प्रवर समिति के लिए सभा के प्रतिनिधियों की अपेक्षित संख्या का निर्वाचन नियम २६१ के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा व निर्णीत होगा। तदनन्तर परिषद् को एक सन्देश भेज दिया जायगा, जिसमें परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर सभा की सहमति तथा संयुक्त प्रवर समिति के लिए सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूचना दी जायेगी।

(४) यदि सभा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से सहमत न हो तो परिषद् के पास असहमति की सूचना भेज दी जायगी।

(ङ) खंडों आदि में संशोधन तथा विधेयकों पर विचार

१३८—संशोधनों की सूचना—(१) यदि विधेयक के किसी खंड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से छत्तीस घंटे पूर्व न दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी :

परन्तु किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में ऐसा संशोधन, जिसकी सूचना विधेयक भार-साधक सदस्य से मिली हो, इस कारण व्यपगत नहीं होगा कि विधेयक भार-साधक सदस्य, मंत्री या सदस्य नहीं रहा है और ऐसा संशोधन विधेयक के नये विधेयक भार-साधक सदस्य के नाम में छापा जायेगा :

किन्तु ऐसे संशोधनों के लिये जो पूर्णतया शाब्दिक हों या एसे संशोधनों पर आनुषंगिक हों या उनके सम्बन्ध में हों, जो स्वीकृत किये जा चुके हों, पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी ।

(२) यदि समय हो तो सचिव सदस्यों को, समय-समय पर, उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध करेगा जिनकी सूचनायें प्राप्त हो चुकी हों ।

१३९—संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें—किसी विधेयक के खंडों या अनुसूचियों में संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

(१) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से सुसंगत होगा ।

(२) संशोधन सभा के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा ।

(३) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खंड, जिसे संशोधित करने की उसमें प्रस्थापना हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये ।

(४) यदि संशोधन में बाद के किसी संशोधन या अनुसूची की ओर निर्देश किया जाय या उसके बिना वह बोधगम्य न हो तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जायेगी, जिससे कि संशोधनमाला पूर्णरूप में बोधगम्य हो जाय ।

(५) अध्यक्ष वह क्रम निर्धारित करेंगे जिसमें संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(६) अध्यक्ष ऐसे संशोधन की अनुज्ञा देने से इनकार कर सकेंगे जो उनकी राय में तुच्छ या अर्थहीन हो ।

(७) जिस संशोधन की अध्यक्ष पहले अनुज्ञा दे चुके हों उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

१४०—संशोधन की सूचना के साथ राष्ट्रपति की मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश का संलग्न किया जाना—(१) यदि शासन कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित करना चाहे जो संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो, तो वह आवश्यक सूचना के साथ ऐसी मंजूरी या सिफारिश की एक प्रति संलग्न करेगा और सूचना तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह आवश्कता पूरी न हो जाय । अनु० २०७ व ३०४

(२) यदि कोई असरकारी सदस्य किसी ऐसे संशोधन की सूचना व जो अध्यक्ष की राय में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तावित नहीं किया जा सकता हो, तो अध्यक्ष सूचना की प्राप्ति के उपरान्त यथासम्भव शीघ्र उस संशोधन को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को, यथास्थिति, निर्दिष्ट कर देंगे ।

१४१—संशोधनों का क्रम—(१) संशोधनों पर विधेयक के खंडों के क्रम के अनुसार, जिनसे क्रमशः उनका सम्बन्ध हो, साधारणतया विचार किया जायेगा और किसी ऐसे खंड के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया हुआ समझा जायगा "कि यह खंड विधेयक का अंश माना जाय"।

(२) अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, किसी खंड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकेंगे :

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग से रखेंगे :

किन्तु समय और पुनरावृत्ति बचाने के अभिप्राय से परस्पर निर्भर संशोधनों के समूह पर केवल एक चर्चा की अनुमति दी जा सकेगी।

१४२—संशोधनों की वापसी—प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य की प्रार्थना पर सदन की अनुमति से वापस लिया जा सकेगा, किन्तु अन्यथा नहीं। यदि किसी संशोधन में संशोधन प्रस्थापित किया गया हो तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जायगा जब तक उसमें प्रस्थापित संशोधन निस्तीर्ण न कर दिया जाय।

१४३—विधेयकों का खंडशः प्रस्तुत किया जाना—(१) जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय तो इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी यह अध्यक्ष के स्वविवेक में होगा कि विधेयक या विधेयक के किसी भाग को खंड प्रतिखंड सभा के समक्ष रखें। अध्यक्ष, प्रत्येक खंड को पृथक-पृथक् लेंगे और जब उससे सम्बद्ध संशोधन का निस्तारण हो जाय तब यह प्रश्न उपस्थित करेंगे कि "यह खंड या, यथास्थिति, यह संशोधित खंड, विधेयक का अंश माना जाय"।

(२) अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, ऐसे खंडों के समूह को एक प्रश्न के रूप में रख सकेंगे जिन पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हों :

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खंड अलग से रखा जाय, तो अध्यक्ष उस खंड को अलग से रखेंगे।

१४४—किसी खंड का स्थगन—अध्यक्ष, यदि ठीक समझें तो किसी खंड पर विचार स्थगित कर सकेंगे।

१४५—अनुसूची पर विचार—अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हों, खंडों पर विचार होने के बाद विचार किया जायेगा। अनुसूचियां अध्यक्ष-पीठ से रखी जायेंगी, और वे उस रीति से संशोधित की जा सकेंगी जैसे कि खंड और नयी अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा। तब यह प्रश्न रखा जायेगा : "कि यह अनुसूची या, यथास्थिति यह संशोधित अनुसूची, विधेयक का अंश मानी जाय" :

परन्तु अध्यक्ष अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हों, खंडों के निस्तीर्ण किये जाने के पहले या किसी खंड के साथ या अन्यथा, जैसा कि वे ठीक समझें, विचार किये जाने की अनुज्ञा दे सकेंगे।

१४६—विधेयक का प्रथम खंड, प्रस्तावना और शीर्षक—विधेयक का प्रथम खंड, प्रस्तावना, यदि कोई हो, और शीर्षक तब तक स्थगित रहेंगे जब तक कि अन्य खंडों और अनुसूचियों (नये खंडों और नयी अनुसूचियों सहित)

का निस्तारण न हो जाय और तदुपरान्त अध्यक्ष यह प्रश्न उपस्थित करेंगे, "कि प्रथम खंड या प्रस्तावना या शीर्षक (अथवा यथास्थिति संशोधित प्रथम खंड, प्रस्तावना या शीर्षक) को विधेयक का अंश माना जाय"।

(च) विधेयकों का पारण तथा प्रमाणीकरण

१४७—विधेयकों का पारण—(१) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकार हो गया हो और विधेयक में कोई संशोधन न हुआ हो, तब विधेयक का भार-साधक सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक पारित किया जाय।

(२) यदि विधेयक में कोई संशोधन किया जाय, तो कोई भी सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के उसी दिन किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा कि विधेयक को पारित किया जाय, और यदि अध्यक्ष उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दे दें तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(३) ऐसे प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

१४८—वाद-विवाद की व्याप्ति—इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाय, चर्चा विधेयक के समर्थन या उसकी अस्वीकृति के प्रतर्कों तक सीमित होगी।

१४९—विधेयकों में औपचारिक संशोधन—जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित हो जाय तब सचिव खंडों को पुनरंकित करेगा, उनकी उपांतीय टिप्पणियों को पुनरीक्षित एवं पूर्ण करेगा, उनमें केवल ऐसे औपचारिक, शाब्दिक अथवा आनुषंगिक संशोधन करेगा जो आवश्यक हों और ऐसी त्रुटियों का शोधन करेगा जो उस को असावधानता के कारण रह गयी प्रतीत हों।

१५०—विधेयकों का परिषद् को पहुंचाया जाना—(१) सचिव विधेयक की तीन प्रतियां अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा और यदि व उसको ठीक अनुमोदित करें, तो उन पर हस्ताक्षर करेंगे। धन विधेयक की दशा में व अनुच्छेद १९९(४) के अन्तर्गत प्रमाण अंकित करेंगे: अनु० १९७, १९८, १९९ (४)।

परन्तु अध्यक्ष के उपस्थित न रहने पर अविलम्बनीय अवस्था में सचिव अध्यक्ष के कृते विधेयक को प्रमाणित करेगा।

(२) उक्त प्रतियों में से दो प्रतियां परिषद् को उसके विचारार्थ तथा धन विधेयक की दशा में उसकी सिफारिश के लिए निम्नलिखित रूप में भेजी जायंगी:

"इस विधेयक को विधान सभा ने.....
को पारित किया।

दिनांक.....१९ ....। अध्यक्ष।"

परन्तु यदि अनुच्छेद १९९ के अर्थ के अनुसार यह एक

धन विधेयक हो तो विधेयक के अन्त में अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार से अंकित होगा :

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद १९९ के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है।

दिनांक--------१९ . . . . । अध्यक्ष ।"

(छ) धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के परिषद् से प्रत्यावर्तित होने पर प्रक्रिया

१५१---संशोधन के बिना पारित विधेयकों के बारे में परिषद् से संदेश--यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा परिषद् को पहुंचाया गया कोई विधेयक उस सदन द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाय तो परिषद् से प्राप्त तत्सम्बन्धी सन्देश यदि सदन की बैठक हो रही हो तो सचिव द्वारा सदन को तुरन्त बाद या आगामी सत्र के प्रारम्भ पर प्रतिवेदित किया जायगा और सचिव विधेयक को यथास्थिति राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा :

परन्तु यदि सदन की बैठक न हो रही हो तो विधेयक यथास्थिति राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जायगा।

अनु० १९७ १५२---परिषद् से विधेयक का प्रत्यावर्तन--(१) जब धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक, जो सभा में आरम्भ हुआ हो, परिषद् द्वारा अस्वीकृत हो जाय या उस तिथि से जब विधेयक परिषद् के समक्ष रखा गया था परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन मास से अधिक व्यतीत हो जायं, तो सचिव उपर्युक्त तथ्यों की सूचना सदन को देगा और तब सभा पूर्वगामी नियमों में विधेयक के तृतीय पठन के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को पुनः पारित करने के लिए अग्रसर होगी।

(२) यदि विधेयक परिषद् द्वारा संशोधनों सहित पारित किया जाय तो संशोधनों सहित विधेयक की प्रतिलिपियां यथाशीघ्र मेज पर रखी जायेंगी और तब सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री अथवा किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना क पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना के प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित विचारार्थ लिया जाय।

अनु० १९७ १५३---संशोधन पर विचार करने की प्रक्रिया--(१) यदि यह प्रस्ताव कि संशोधन विचारार्थ लिया जाय, स्वीकृत हो जाय, तो अध्यक्ष संशोधन को इस प्रकार सदन के समक्ष रखेंगे जिसे वे उस पर विचार करने के लिए ठीक समझें।

(२) यदि परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार न किया जाय, तो परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के विषय से सुसंगत संशोधन किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु विधेयक में कोई और संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा किये गये संशोधन का आनुसंगिक या वैकल्पिक न हो।

(३) यदि सदन परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत हो तो वह परिषद् को तत्सम्बन्धी संदेश भेजेगा किन्तु यदि वह असहमत हो या कोई भी और संशोधन या वैकल्पिक संशोधन प्रस्थापित करता हो, तो सदन विधेयक को या और अधिक संशोधित विधेयक को तत्सम्बन्धी सन्देश सहित परिषद् को लौटायेगा।

१५४—संशोधन के विचार की प्रक्रिया—(१) यदि विधेयक परिषद् द्वारा सभा को पुनः इस सन्देश के साथ लौटाया जाय कि परिषद् उस संशोधन या उन संशोधनों पर आग्रह करती है जिनसे सदन पहले असहमत हो चुका है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह सभा द्वारा दूसरी बार पारित हुआ था। अनु० १९७

(२) यदि नियम १५२ (१) के अधीन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक जैसा मूलतः पारित हुआ है, पारित किया जाय, तो विधेयक पुनः परिषद् को पहुंचाया जायेगा और यदि—

(क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अथवा

(ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से, उससे विधेयक पारित हुए बिना एक मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है, अथवा

(ग) परिषद् द्वारा विधेयक संशोधनों सहित पारित होता है,

तो उपनियम (क) और (ख) की दशा में विधेयक सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह सभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया था। उप नियम (२) (ग) की दशा में सभा की सहमति या असहमति नियम १५३ में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जायेगी।

(ज) धन विधेयक

१५५—धन विधेयकों पर परिषद् की सिफारिश—यदि सदन द्वारा पारित तथा परिषद् को पहुंचाया गया कोई धन विधेयक सभा को बिना सिफारिश के लौटा दिया जाय या उस दिनांक से जब वह परिषद् में प्राप्त हुआ था चौदह दिन की कालावधि समाप्त हो जाय तो सचिव तदनुसार इस विषय का एक सन्देश सदन को देगा और विधेयक राज्यपाल को उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। अनु० १९८

१५६—परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार—(१) यदि सभा द्वारा पारित तथा परिषद् को पहुंचाया गया कोई धन विधेयक परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों सहित सदन को लौटाया जाय तो वह प्राप्त होने पर मेज पर रखा जायेगा। अनु० १९८

(२) विधेयक के परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों सहित मेज पर रखे जाने के बाद सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री, या किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देने के बाद, या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना के, प्रस्ताव कर सकेगा कि परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया जाय।

१५७—परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार करने की प्रक्रिया—(१) यदि यह प्रस्ताव कि परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया जाये, स्वीकृत हो जाये, तो अध्यक्ष परिषद् द्वारा की गयी ऐसी सिफारिशों को सदन के सामने ऐसी रीति से रखेंगे जिसे वे ठीक समझें। अनु० १९८

(२) यदि सदन परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर ले, तो विधेयक परिषद् द्वारा की गयी ऐसी सिफारिशों सहित जो सदन द्वारा स्वीकृत हैं दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जायेगा।

अनु० १९८ १५८—सदनों के मध्य असहमति—यदि सदन परिषद् की किसी सिफारिश को स्वीकार न करे, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायगा जिसमें कि वह सभा द्वारा परिषद् की किसी सिफारिश के बिना पारित हुआ था।

१५९—सभा के विनिश्चयों का परिषद् को संचार—परिषद् की सिफारिशों पर सभा के विचार क परिणाम की सूचना देते हुए एक सन्देश परिषद् को भेजा जायेगा।

(झ) सामान्य

१६०—विधेयक के वर्ष को अनुमति के वर्ष के अनुरूप करने की अध्यक्ष की शक्ति—पूर्वगामी वर्ष में पुरःस्थापित किन्तु अनुवर्ती वर्ष में पारित विधयकों की दशा में अथवा ऐसे विधेयकों की दशा में जो उसी वर्ष पारित हों किन्तु जिनके लिये अनुवर्ती वर्ष में अनुमति दिये जाने की सम्भावना हो, अध्यक्ष विधेयक के वर्ष को परिवर्तित कर देंगे जिससे कि वह पारण के वर्ष के अनुरूप या उस वर्ष के अनुरूप हो जाय जिसमें कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुमति मिलने की सम्भावना हो।

अनु० १९९ (४) तथा २०० १६१—विधेयक पर अनुमति—जब सभा द्वारा प्रारब्ध तथा पारित विधेयक संविधान के उपबन्धों के अनुसार दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो तब सचिव उसमें शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधन, यदि कोई हो, करेगा और उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर और यदि वह धन विधेयक हो तो उस पर अनुच्छेद १९९(४) के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्र अंकित हो जाने के उपरान्त वह विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जायेगा।

१६२—शाब्दिक संशोधनों का विवरण—नियम १६० के अधीन हस्ताक्षरित प्रति के साथ राज्यपाल को एक विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें विधेयक में किये गये ऐसे शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधन या त्रुटियों का शोधन दर्शाया जायेगा जो नियम १४९ और १६० के अन्तर्गत किये गये हैं। विधेयक में किये गये इन परिवर्तनों की प्रतिलिपि राज्यपाल की अनुमति की घोषणा से पूर्व सभा की मेज पर रखी जायेगी।

(ञ) परिषद् में पुरःस्थापित विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

१६३—विधेयक, जिनको परिषद् ने पारित किया है—जब कोई विधेयक जो परिषद् में प्रारब्ध हुआ हो और परिषद् ने उसको पारित किया हो, सभा में प्राप्त हो तो विधेयक की प्रतिलिपियां यथाशीघ्र मेज पर रखी जायेंगी।

१६४—विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की सूचना—नियम १६३ के अन्तर्गत प्रतिलिपियों के मेज पर रखे जाने के उपरान्त किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मन्त्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दे सकेगा कि विधेयक विचार लिया जाय।

१६५—विचार करने के लिए प्रस्ताव—जिस दिन प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाय, जो जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, सूचना पाने

के बाद से दो दिन से कम का न होगा, उस दिन सूचना देने वाला सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय ।

१६६—चर्चा—उस दिन जब ऐसा प्रस्ताव किया जाय, या किसी अनुवर्त्ती दिन जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाय, विधेयक के सिद्धान्त और उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा हो सकेगी, किन्तु विधेयक के सविस्तार विवरणों पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो ।

१६७—प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्देशन—कोई भी सदस्य (यदि विधेयक पहले ही संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट न कर दिया गया हो किन्तु अन्यथा नहीं) संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो विधेयक तदनुसार निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और तब सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयकों की प्रवर समितियों अथवा संयुक्त प्रवर समितियों से सम्बद्ध नियम प्रवृत्त होंगे ।

१६८—विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—यदि प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकृत हो जाय तो विधेयक विचारार्थ ले लिया जायेगा और तब विधेयकों के संशोधनों पर विचार से सम्बद्ध नियमों के उपबन्ध तथा विधेयकों के पारण से सम्बद्ध अनुवर्ती प्रक्रिया लागू होगी ।

१६९—संशोधन रहित पारित विधेयक—यदि विधेयक संशोधन के बिना पारित हो जाय तो विधेयक एतद्विषयक संदेश के साथ परिषद् को भेजा जायेगा कि सभा विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत है ।

१७०—संशोधनों सहित पारित विधेयक—(१) यदि विधेयक संशोधनों सहित पारित हो जाय तो विधेयक इस संदेश के साथ लौटाया जायेगा कि परिषद् संशोधनों को स्वीकार कर ले :

(क) यदि परिषद् सभा द्वारा किये गये संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन से असहमत हो या सभा द्वारा किये गये संशोधनों में से किसी संशोधन को और संशोधनों के साथ स्वीकार करे या सभा द्वारा किये गये संशोधनों के स्थान में और संशोधन प्रस्थापित करे, तो संशोधन यदि कोई हों, सचिव द्वारा प्राप्त होने पर विधेयक के साथ मेज पर रखे जायेंगे ।

(ख) संशोधनों के, यदि कोई हों, विधेयक सहित इस प्रकार मेज पर रखे जाने के बाद, सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री, और किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य, दो दिन की सूचना देकर या अध्यक्ष की सम्मति से, बिना सूचना के प्रस्ताव कर सकेगा कि इस प्रकार प्रस्थापित संशोधनों पर विचार किया जाय ।

(ग) तदुपरान्त नियम १५३ में संशोधनों पर विचार के लिये विहित प्रक्रिया लागू होगी ।

(घ) इस प्रकार के विचार के उपरान्त विधेयक इस संदेश के साथ लौटाया जा सकेगा कि सभा विधेयक को ऐसे संशोधनों सहित या ऐसे संशोधनों के बिना, यदि कोई हों, या किये गये हों, या जिनका सुझाव दिया गया हो, या जिनसे परिषद् सहमत हो, पारित करती है, अथवा वह मूलतः प्रस्थापित संशोधनों पर आग्रह करती है । ऐसी अवस्था में परिषद्

सभा द्वारा पारित विधेयक पर विचार कर सकेगी। किन्तु यदि परिषद् सभा द्वारा पारित विधेयक से अब भी असहमत हो तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ समझा जायगा।

(२) परिषद् को इस तरह लौटाया गया विधेयक अध्यक्ष द्वारा निम्न-प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा :

"यह विधेयक.....१९.....को सभा द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया है।

दिनांक.....१९....। अध्यक्ष।"

(ट) राज्यपाल द्वारा प्रत्यावर्तित विधेयकों पर पुनर्विचार

१७१—राज्यपाल द्वारा प्रत्यावर्तित विधेयकों पर पुनर्विचार—(१) जब कोई विधेयक जो पारित हो चुका हो, राज्यपाल द्वारा सभा के पास पुनः विचारार्थ प्रत्यावर्तित किया जाय तो ऐसा विषय या ऐसे विषय जो पुनः विचारार्थ निर्दिष्ट किये गये हों अथवा जिन संशोधनों की सिफारिश उनके संदेश में की गयी हो, वे अध्यक्ष द्वारा सभा के समक्ष रखे जायेंगे और उन पर जिस प्रकार विधेयक के संशोधन लिये जाते हैं उसी प्रकार या किसी दूसरे ऐसे प्रकार से जैसा कि अध्यक्ष सभा द्वारा उन पर विचार के लिए ठीक समझें चर्चा की जायेगी तथा उन पर मत लिये जायेंगे।

(२) तदुपरान्त उसी प्रक्रिया का जो सभा में प्रारब्ध विधेयकों के निस्तीर्ण करने के सम्बन्ध में विहित की गयी है, जहां तक व्यवहार्य होगी, अनुसरण किया जायगा।

(ठ) सदन के सामने रखे गये संविहित विनियम, नियम आदि

अनु० २००

१७२—विनियम, नियम आदि का सदन की मेज़ पर रखा जाना—(१) जब संसद या विधान मंडल द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सदन के सामने रखे जायं तो सम्बद्ध अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिये उसके रखे जाने की अपेक्षा हो सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायेगी जब तक कि सम्बद्ध अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो।

(२) जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो तो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाय।

१७३—संशोधन पर चर्चा के लिये समय का नियतन—अध्यक्ष नेता सदन के परामर्श से ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाय, विचार करेंगे और उसे पारित करने के लिये, एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग, जैसा कि वे ठीक समझें, निश्चित करेंगे :

परन्तु संशोधन की सूचना ऐसे रूप में होगी, जैसा कि अध्यक्ष समुचित समझें और उसमें इन नियमों का पालन किया जायेगा।

१७४—संशोधन का परिषद् को पहुंचाना—संशोधन सदन द्वारा पारित किये जाने के बाद परिषद् को उसकी सहमति के लिये पहुंचाया जायेगा और परिषद् से संशोधन की स्वीकृति का सन्देश प्राप्त होने पर सचिव द्वारा शासन को भेजा जायेगा।

१७५—परिषद् द्वारा लौटाया गया संशोधन—यदि परिषद् सदन द्वारा पारित संशोधन से असहमत हो या उसे उसके अग्रेतर संशोधन के अधीन स्वीकार करे या उसके स्थान में अन्य संशोधन प्रस्थापित करे, तो सदन या तो संशोधन को अपास्त कर सकेगा या प्रस्थापित संशोधन में परिषद् से सहमत हो सकेगा या सदन द्वारा पारित मूल संशोधन पर आग्रह कर सकेगा। प्रत्येक दशा में परिषद् को संदेश भेजा जायेगा। यदि सदन परिषद् द्वारा अग्रेतर संशोधित संशोधन से सहमत हो तो संशोधित संशोधन सचिव द्वारा शासन को भेजा जायेगा।

१७६—सदनों के बीच असहमति—यदि परिषद् सदन द्वारा पारित मूल संशोधन से सहमत हो जाय तो वह सचिव द्वारा शासन को भेजा जायगा, किन्तु यदि परिषद् असहमत हो या ऐसे संशोधन पर आग्रह करे जिससे सदन सहमत न हुआ हो तो यह समझा जायेगा कि सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गये हैं और उस पर सब अग्रेतर कार्यवाही अपास्त कर दी जायेगी।

(ड) विधेयकों की वापसी तथा अपास्त विधेयक

१७७—विधेयक पर वाद-विवाद का स्थगन—सदन में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।

१७८—विधेयक की वापसी—विधेयक का भार-साधक सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि—

(क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है, या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारतः रूपान्तर हो जायेगा ;

और यदि ऐसी अनुमति दी जाय तो उस विधेयक के सम्बन्ध में अग्रेतर प्रस्ताव नहीं किया जायेगा और वह स्वतः वापस किया हुआ समझा जायेगा :

परन्तु जब कोई विधेयक परिषद् में आरम्भ हुआ हो और सदन के समक्ष लम्बित हो तो विधेयक भारसाधक सदस्य सदन में एक प्रस्ताव करेगा जिसमें यह सिफारिश की जायेगी कि परिषद् विधेयक को सदन द्वारा वापस किये जाने की अनुमति से सहमत हो और सदन द्वारा प्रस्ताव के अंगीकृत किये जाने के और परिषद् द्वारा सहमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त विधेयक भारसाधक सदस्य विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करेगा। जब सदन द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव से परिषद् सहमत हो जाये तो सदन का विनिश्चय अभिभावी होगा।

१७९—प्रस्ताव की वापसी का प्रस्ताव या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यात्मक वक्तव्य—यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे और उसके बाद, और अधिक वाद-विवाद के बिना प्रश्न रख सकेंगे।

१८०—विधेयकों की पंजी से किसी विधेयक को हटाना—(१) जब सदन विधेयक भार-साधक सदस्य द्वारा किये गये निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं किया जायगा, और ऐसा विधेयक उस सत्र के लिये सदन में लम्बित विधेयकों की पंजी में से निकाल दिया जायगा—

१—कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय,

२—कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाये,

३—कि विधेयक पर विचार किया जाये,

४—कि प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय, और

५—कि विधेयक (या यथास्थिति, संशोधित रूप में विधेयक) पारित किया जाय ।

(२) सदन के सामने लम्बित विधेयक सदन द्वारा सारवान् रूप से समान विधेयक पारित हो चुकने की अवस्था में सदन में लम्बित विधेयकों की पंजी में से निकाल दिया जायगा ।

व्याख्या—सदन के सामने लम्बित विधेयक में ये सम्मिलित होंगे—

(१) सदन में पुरःस्थापित विधेयक जो इस नियम या नियम १८१ में उल्लिखित विधेयकों के वर्गों के अन्दर नहीं आता;

(२) यथास्थिति, परिषद् को पहुंचाया गया तथा परिषद् द्वारा संशोधन, या सिफारिश सहित लौटाया गया, और नियम १५६ के अन्तर्गत मेज पर रखा गया विधेयक;

(३) परिषद में आरम्भ हुआ और सदन को पहुंचाया गया और नियम १६३ या १७० (१) (क) के अन्तर्गत मेज पर रखा गया विधेयक ; तथा

(४) यथास्थिति, संविधान के अनुच्छेद २०० या २०१ के अन्तर्गत राज्यपाल के या राष्ट्रपति के संदेश के साथ लौटाया गया विधेयक ।

अनुच्छेद २०० और २०१ ।

१८१—विधेयकों की पंजी से असरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिए विशेष उपबन्ध—सदन के सामने लम्बित किसी असरकारी सदस्य का विधेयक भी सदन में लम्बित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जायगा, यदि—

(क) विधेयक भार-साधक सदस्य सदन का सदस्य न रहे,

(ख) विधेयक भार-साधक सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय ।

१८२—अपास्त विधेयक—विधेयक, जिसके सम्बन्ध में दो वर्ष तक सभा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न हुआ हो अपास्त समझा जायेगा और अध्यक्ष क आदेश से विधयकों की पंजी में से हटा दिया जायगा ।

(ढ) संविधान में संशोधनों के अनुसमर्थन की प्रक्रिया

१८३—संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन—(१) संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के संचार या संदेश की प्राप्ति होने पर उसको विधेयक एवं तद्विषयक वादविवाद की प्रतिलिपि सहित सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखा जायेगा ।

(२) अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से उस पर चर्चा के लिये दिनांक नियत करेंगे।

(३) संकल्प पर चर्चा से सम्बन्धित नियम एवं आदेश उक्त संकल्प की चर्चा पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(४) सभा द्वारा पारित हो जाने पर संकल्प की प्रतिलिपि सचिव द्वारा शासन तथा संसद् को भेजी जायगी। संकल्प के पारित न होने की दशा में तदविषयक सूचना भेज दी जायेगी।

अध्याय १५

वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

(क) आय-व्ययक

१८४—आय-व्ययक और उसका उपस्थापन—प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण (जिसे इसके पश्चात् 'आय-व्ययक' कहा गया है) ऐसे दिन पर सभा के समक्ष रखा जायेगा जो राज्यपाल नियत करें।

१८५—आय-व्ययक पर चर्चा—आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा न होगी जिस दिन वह सभा के समक्ष रखा जायेगा।

१८६—अनुदानों के लिए मांगें—(१) राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान के लिये कोई मांग नहीं की जायेगी।

(२) शासन के प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्थापित अनुदान के सम्बन्ध में साधारणतया एक पृथक् मांग रखी जायेगी :

परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिये प्रस्थापित अनुदान को एक ही मांग में सम्मिलित कर सकेंगे अथवा ऐसे व्यय के सम्बन्ध में, जिनका सुगमतया किन्हीं विशेष विभागों के अधीन वर्गीकरण नहीं हो सकता, एक ही मांग प्रस्तुत कर सकेंगे।

(३) प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदनन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तर प्राक्कलन का विवरण, जो मदों में बंटा हो, दिया जायेगा।

(४) इन नियमों के अधीन आय-व्ययक ऐसे रूप में उपस्थापित किया जायेगा जिसे प्राक्कलन समिति के सुझावों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् वित्त मंत्री सर्वोत्तम समझें।

१८७—आय-व्ययक सम्बन्धी विवाद के प्रक्रम—सभा में आय-व्ययक पर दो प्रक्रमों में विचार होगा, अर्थात्—

१—साधारण चर्चा, तथा

२—अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान।

१८८—साधारण चर्चा—(१) अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किन्हीं दिनों, जो उस दिन के बाद दो दिन से पहले न होंगे, जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाय, तथा तदुपरान्त इतने समय के लिये जो साधारणतया पांच दिन

होगा और जिसको अध्यक्ष इस अभिप्राय के लिये नियत करें, सदन को स्वतंत्रता होगी कि वह समस्त आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त के किसी प्रश्न पर चर्चा करे, किन्तु इस प्रक्रम पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सदन में मतदान के लिये रखा जायेगा।

(२) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा।

(३) यदि अध्यक्ष उपयुक्त समझें तो वे भाषणों की समय-सीमा विहित कर सकेंगे।

१८९—मांगों पर मतदान—(१) अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो चौबीस दिनों से अधिक न होंगे) मत लिये जायेंगे, जिनको इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सदन-नेता से परामर्श करके नियत करे।

(२) अनुदानों के लिये मांगें ऐसे क्रम से उपस्थापित की जायेंगी तथा वाद-विवाद उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत काल के भीतर उतने समय तक जारी रहेगा जैसा कि सदन-नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें।

(३) उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत दिनों में प्रश्नों के अतिरिक्त अध्यक्ष की सम्मति के बिना अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा।

(४) इस प्रक्रम में किसी अनुदान को कम करने या उसको निकाल देने के प्रस्ताव किये जा सकेंगे, किन्तु अनुदान में वृद्धि या उसके लक्ष्य में परिवर्तन करने के प्रस्ताव नहीं किये जा सकेंगे।

(५) किसी अनुदान को कम करने के प्रस्ताव पर संशोधन करने की अनुज्ञा न होगी।

(६) जब एक ही मांग से सम्बद्ध अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायं तो जिस क्रम में उनसे सम्बद्ध शीर्षक आय-व्ययक में दिये हों उसी क्रम से उन पर चर्चा की जायेगी।

(७) उपनियम (१) के अन्तगत नियत दिनों के अंतिम दिन उपवेशन की साधारण समाप्ति के लगभग आधा घंटा पूर्व अध्यक्ष अनुदानों के लिये मांगों के सम्बन्ध में अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के निमित्त प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे, और इस प्रक्रिया में कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, न किसी प्रकार की बाधा ही डाली जायेगी और न उसके सम्बन्ध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायेगा।

१९०—कटौती प्रस्ताव—किसी मांग की राशि कम करने के लिये निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा—

(क) "कि मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय"—मांग में अन्तर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये, ऐसा प्रस्ताव "नीति अननुमोदन कटौती" कहा जायगा, ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य उस नीति का ब्यौरा सुतथ्यतया दर्शायेगा जिस पर वह चर्चा करना चाहता हो। चर्चा, सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे;

(ख) "कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाय"—जो की जा सकने वाली मितव्ययता का प्रतीक हो। ऐसी उल्लिखित राशि या तो मांग में से एकमुश्त घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी या मांग की किसी मद का विलोपन अथवा उसमें घटाई जाने वाली राशि हो सके। ऐसा प्रस्ताव "मितव्ययिता कटौती" कहा जायेगा। सूचना में संक्षेप में और सुतथ्यतया वह विशेष विषय दर्शाया जायेगा, जिस पर चर्चा उठानी हो और भाषण इस बात की चर्चा करने के लिये ही सीमित होंगे कि मितव्ययिता कैसे की जा सकती है;

(ग) "कि मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय"—ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिये जो शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो। ऐसा प्रस्ताव "प्रतीक कटौती" कहा जायेगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशेष शिकायत तक ही सीमित होगी।

१६१—कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्तें—मांग की राशि कम करने की सूचना ग्राह्य हो सके, इस के लिये वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्—

(१) उसका सम्बन्ध केवल एक मांग से होगा,

(२) वह स्पष्टतया व्यक्त की जायगी और उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे,

(३) वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी, जिसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायगा,

(४) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो,

(५) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिये सुझाव नहीं दिये जायेंगे,

(६) वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी, जो मुख्यतया शासन का विषय न हो,

(७) उसका किसी ऐसे व्यय से सम्बन्ध नहीं होगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित हो,

(८) उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो,

(९) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

(१०) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विनिश्चय किया जा चुका हो,

(११) उसमें उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जायगी, जो उसी सत्र में विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो,

(१२) उस म साधारणतया ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठायी जायगी जो कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के, या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे, जो जांच की प्रक्रिया अथवा प्रक्रम से सम्बन्धित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, और

(१३) उसका सम्बन्ध तुच्छ विषय से नहीं होगा।

१९२—अनुदान को हटाने या कम करने के प्रस्ताव की सूचना—यदि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, किसी अनुदान को हटाने या कम करने के प्रस्ताव की सूचना उस अनुदान पर विचार होने के लिये नियत दिन से कम से कम दो दिन पूर्व दी जायगी :

परन्तु अध्यक्ष विनिश्चित करेंगे कि कोई कटौती प्रस्ताव इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वे कोई कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेंगे जो उनकी राय में ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो या अन्यथा अग्राह्य हो।

अनुच्छेद २०६

१९३—प्रत्ययानुदान तथा अपवादानुदान—(१) पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद २०६ के अन्तर्गत अप्रत्याशित एवं अपवाद अनुदानों के लिये प्राक्कलित व्यय के सम्बन्ध में अग्रिम अनुदानों के प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकेंगे।

(२) ऐसी मांगों पर सभा में उसी प्रकार कार्यवाही होगी जिस प्रकार आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर होती है और इस विषय से सम्बद्ध नियम ऐसे रूप भेदों के अनन्तर जो अध्यक्ष आवश्यक समझें, ऐसी मांगों पर लागू होंगे।

१९४—लेखानुदान—(१) लेखानुदान के प्रस्ताव में सम्पूर्ण अपेक्षित राशि बतायी जायगी और विभिन्न धनराशियां जो प्रत्येक विभाग अथवा सेवा अथवा व्यय की मद के लिये आवश्यक हों, जिनसे वह राशि बनती हो, प्रस्ताव से संलग्न अनुसूची में बतायी जायेंगी।

(२) सम्पूर्ण अनुदान को कम करने के लिए अथवा जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो उनके कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(३) प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर सामान्य रूप की चर्चा की अनुज्ञा होगी, किन्तु अनुदान के विवरणों पर उससे और अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि सामान्य विषयों को पर्याप्त रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक हो।

(४) अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो।

१९५—अनुपूरक अथवा अपर अनुदान अथवा अतिरिक्त व्यय के लिए अनुदान—(१) राज्यपाल अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत अनुपूरक अथवा अपर अथवा अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों के लिये मांगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये एक या अधिक दिन नियत कर सकेंगे। अनुच्छेद २०५

(२) अध्यक्ष सदन-नेता से परामर्श कर के ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिए समय-समय पर एक या अधिक दिन नियत कर सकेंगे। इन प्रकरणों में उसी प्रक्रिया का जो नियम १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१ और १९२ में निर्धारित की गयी है ऐसे रूपभेदों के अनन्तर जो अध्यक्ष आवश्यक समझें, अनुसरण किया जायेगा।

१९६—अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की व्याप्ति—अनुपूरक अनुदानों पर वादविवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उन में अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।

१९७—प्रतीकानुदान—जब किसी नयी सेवा या योजना पर प्रस्थापित व्यय के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके, तो कोई प्रतीक राशि के अनुदान की मांग सदन के मतदान के लिये रखी जा सकेगी और यदि सदन मांग की अनुमति दे दे तो धन इस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा।

(ख) विनियोग विधेयक

१९८—विनियोग विधेयक—(१) संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया, ऐसे रूपभेदों के साथ जैसे अध्यक्ष आवश्यक समझें, वही होगी, जो सामान्यतया विधेयकों के लिए होती है: अनु० २०३

परन्तु किसी विनियोग विधेयक पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की धनराशि में या उसके लक्ष्य में परिवर्तन हो जाय।

(२) अध्यक्ष ऐसे विधेयकों को समय के भीतर पारित करने के लिये किसी नियम की क्रिया का निलम्बन कर सकेंगे।

१९९—वित्तीय कार्य के निस्तारण के लिए समय-सीमा—इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोज्य अधिकारों के अतिरिक्त वे उन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक हों और विशेषरूप से ऐसे भिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकेंगे और जब समय इस प्रकार नियत कर दिया जाय तो वे नियत समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में जिनके लिये समय नियत किया गया हो, समस्त अवशिष्ट आवश्यक विषयों के निस्तारण के लिये प्रत्येक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।

व्याख्या—वित्तीय कार्य में किसी ऐसे कार्य का समावेश है जिसे अध्यक्ष समझते हैं कि वह संविधान के अन्तर्गत इस श्रेणी में आता है।

२००—विनियोग तथा वित्त लेखों और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का प्रकाशन—विनियोग और वित्त-लेखों तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के विधान मंडल की मेजों पर रखे जाने के उपरान्त यथासंभव शीघ्र सचिव सर्व-साधारण की सूचनार्थ उनको प्रकाशित हुआ घोषित करने की अधिसूचना जारी करेगा।

अध्याय १६

समितियों की प्रक्रिया

(क) सामान्य

२०१—सदन की समितियों की नियुक्ति—(१) प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होंगी :

परन्तु कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह उस समिति में कार्य करने के लिए राजी न हो ।

(२) इनमें से प्रत्येक समिति में सदस्यों की उतनी संख्या होगी जोकि इन नियमों में प्रत्येक समिति के लिए उपबंधित है ।

(३) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा की जायगी और कोई सदस्य जो ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित हुआ है वह कालावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेगा जिसके लिये वह सदस्य, जिस के स्थान पर वह निर्वाचित या नामनिर्देशित हुआ है, पद धारण करता :

परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर नहीं रोकी जायेगी कि आकस्मिक रिक्ततायें नहीं भरी गयी हैं ।

२०२—समिति का सभापति—(१) इनमें से प्रत्येक समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायगा :

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हों तो वे समिति के पदेन सभापति होंगे ।

(२) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे ।

(३) यदि समिति का सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिये निर्वाचित करेगी ।

२०३—गणपूर्ति—(१) किसी समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या के तृतीयांश से अन्यून होगी जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो ।

(२) समिति की बैठक के लिये निर्धारित किसी समय पर या बैठक के दौरान में किसी समय पर यदि गणपूर्ति न हो तो सभापति या तो बैठक को उस समय तक के लिये निलम्बित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति न हो या बैठक को किसी भावी तिथि क लिये स्थगित कर देगा ।

(३) जब समिति उपनियम (२) के अन्तर्गत समिति की बैठक के लिए निर्धारित दो लगातार दिनांकों पर स्थगित हो चुकी हो तो सभापति इस तथ्य को सदन को प्रतिवेदित करेगा :

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गयी हो तो सभापति स्थगन के तथ्य को अध्यक्ष को प्रतिवेदित करेगा।

(४) ऐसा प्रतिवेदन किये जाने पर, यथास्थिति सदन या अध्यक्ष यह विनिश्चित करेंगे कि आगे क्या कार्य किया जाये।

२०४—समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों का हटाया जाना—यदि कोई सदस्य समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को समिति से हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :

परन्तु जब समिति के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित हों तो किसी सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर देने के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा।

२०५—सदस्य का त्याग-पत्र—कोई सदस्य समिति में अपने स्थान को स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा जो अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्याग सकेगा।

२०६—समिति की पदावधि—इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी :

परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचित या नामनिर्देशित समितियां जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, उस समय तक पद धारण करेंगी जब तक कि नयी समिति नियुक्त न हो जाये।

२०७—समिति में मतदान—समिति की किसी बैठक में समस्त प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मताधिक्य से होगा। किसी विषय में मतसाम्य होने की दशा में सभापति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

२०८—उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति—(१) इन नियमों के अन्तर्गत इनमें से कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों की, जो उसे निर्दिष्ट किये जायं, जांच करने के लिए एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी जिन में से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायं।

(२) उप-समिति के निर्देश-पत्र में अनुसंधान के लिए विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख होगा। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

२०९—समिति की बैठकें—समिति की बैठकें ऐसे समय और दिन होंगी जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाय:

परन्तु यदि समिति का सभापति सुगमतया उपलब्ध न हो तो सचिव बैठक का दिन और समय निर्धारित कर सकेगा।

२१०—समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब सदन की बैठक हो रही हो—समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब सदन की बैठक हो रही हो :

परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाहियों को ऐसे समय तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जो उसकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने का अवसर दे सके ।

२११--बैठकों का स्थान--समिति की बैठकें विधान भवन, लखनऊ में की जायेंगी और यदि यह आवश्यक हो जाय कि बैठक का स्थान विधान भवन के बाहर परिवर्तित किया जाय तो यह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायगा जिनका विनिश्चय अंतिम होगा ।

२१२--साक्ष्य लेने व पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति--

(१) किसी साक्षी को सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेजों को पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों ।

(२) यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह अपने समक्ष दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे ।

(३) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापिस लिया जायगा और न उसमें रूपान्तर किया जायगा ।

(४) समिति को शपथ पर साक्ष्य लेने और व्यक्तियों को उपस्थित कराने, पत्रों या अभिलेखों के उपस्थापन की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि उसके कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाय :

परन्तु शासन किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इनकार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य के हित तथा सुरक्षितता के प्रतिकूल होगा ।

(५) समिति के समक्ष दिया गया समस्त साक्ष्य तब तक गुप्त एवं गोपनीय समझा जायगा जब तक समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थित न कर दिया जाय :

परन्तु यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह किसी साक्ष्य को गुप्त एवं गोपनीय समझे, जिस दशा में वह प्रतिवेदन का अंश नहीं बनेगा ।

२१३--पक्ष या साक्षी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है--समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से कराये जाने की अनुमति दे सकेगी । इसी प्रकार कोई साक्षी समिति के समक्ष अपने द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा ।

२१४--साक्षियों की जांच की प्रक्रिया--समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी--

(१) समिति किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने से पूर्व उस प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकें।

(२) समिति का सभापति इस नियम के उपनियम (१) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह विषय या तत्संबंधी किसी विषय के संबंध में आवश्यक समझे।

(३) सभापति समिति के अन्य सदस्यों को एक-एक करके कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिये कह सकेगा।

(४) साक्षी को समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बातें रखने को कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हों और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(५) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये आहूत किया जाय तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जायगा।

(६) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

२१५--समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर--समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हो या सुगमतया न मिल सकता हो तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी।

२१६--उपस्थापन के पूर्व प्रतिवेदन का शासन को उपलब्ध किया जाना--समिति, यदि वह ठीक समझे, तो वह अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये हुए किसी भाग को सदन में उपस्थापित करने से पूर्व शासन को उपलब्ध कर सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिये जायेंगे तब तक गोपनीय समझे जायेंगे।

२१७--प्रतिवेदन का उपस्थापन--(१) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(२) प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाला सदस्य यदि कोई अभ्युक्ति करे तो अपने आप को तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगा या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेगा किन्तु उस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

(३) संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को, जब तक के लिए वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

२१८--सदन में उपस्थापन से पूर्व प्रतिवेदन का मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन--अध्यक्ष, उनसे प्राथना किये जाने पर और जब सदन सत्र में न हो समिति के प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेंगे यद्यपि वह सदन में उपस्थापित न किया गया हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जायगा।

२१९--प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव देने की शक्ति--(१) समिति को अध्यक्ष के विचारार्थ उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें।

(२) इन समितियों में से कोई, अध्यक्ष के अनुमोदन से, इन नियमों में सन्निहित उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए प्रक्रिया के विस्तृत नियम बना सकेगी।

२२०--प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति--(१) अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दे सकेंगे जिन्हें वे उसकी प्रक्रिया और कार्य के संघटन के विनियमन के लिए आवश्यक समझें।

(२) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य किसी विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति यदि ठीक समझे तो उस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देगा जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।

२२१--समिति का असमाप्त कार्य--कोई समिति जो सदन के विघटन से पूर्व अपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ हो तो वह सदन को प्रतिवेदन देगी कि समिति अपना कार्य समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है। कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो वह नयी समिति को उपलब्ध कर दिया जायगा।

२२२--सचिव समितियों का पदेन सचिव होगा--सचिव इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त समस्त समितियों का पदन सचिव होगा।

२२३--समितियों के सामान्य नियमों की प्रवृत्ति--किसी विशेष समिति के लिए जब तक अन्यथा विशेष रूप से उपबंधित न हो इस अध्याय के सामान्य नियम के उपबन्ध सब समितियों पर प्रवृत्त होंगे।

(ख) कार्य-मंत्रणा समिति

२२४--समिति का गठन--(१) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक समिति होगी जिसे कार्यमंत्रणा समिति कहा जायगा। इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सम्मिलित करके १५ से अनधिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

(२) यदि किसी कारण से अध्यक्ष समिति की किसी बैठक में पीठासीन होने में असमर्थ हों तो उपाध्यक्ष उस बैठक के सभापति होंगे। यदि किसी

कारणवश ये दोनों ही पीठासीन होने में असमर्थ हों तो अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से उस बैठक क लिये सभापति नाम निर्देशित करेंगे ।

२२५—समिति के कृत्य—(१) समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के सम्बन्ध में सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें ।

(२) समिति को प्रस्थापित समय-सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के विभिन्न प्रक्रम किस समय पूरे होंगे ।

(३) समिति के लिये सदन के कार्य से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्य भी निर्दिष्ट किये जा सकेंगे जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर विनिश्चित करें ।

२२६—समिति के प्रतिवेदन—किसी विधेयक या विधेयक समूह या अन्य कार्य क सम्बन्ध में समिति द्वारा सिफारिश की गयी समय-सारिणी की सूचना साधारणतया सदस्यों को पत्र द्वारा, सदन को अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदित किये जाने से कम से कम एक दिन पूर्व, दी जायगी ।

२२७—समय का बंटवारा—(१) सदन को सूचित किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :

"कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है ।"

(२) जब ऐसा प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वह उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि वह सदन का आदेश हो :

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय :

किन्तु प्रस्ताव पर चर्चा के लिये आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा ।

२२८—निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निस्तारण—सदन के संकल्प के अनुसार निश्चित समय पर किसी विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम अथवा अन्य कार्य को पूरा करने के लिये अध्यक्ष विधेयक के उस प्रक्रम अथवा अन्य कार्य से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे ।

२२९—समय के बंटवारे में परिवर्तन—सदन द्वारा विनिश्चित समय-सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि सदन-नेता द्वारा प्रार्थना न की जाय और उस दशा में वह मौखिक रूप से सदन को अधिसूचित करेंगे कि ऐसे परिवर्तन के लिये सामान्य सहमति है और अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानकर उस परिवर्तन को प्रवर्तित करेंगे ।

(ग) लोक-लेखा समिति

२३०—समिति का निर्माण—(१) राज्य के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण या ऐसे अन्य लेखों या वित्तीय विषयों की जो उसके सामने रखे जायं या उसको निर्दिष्ट किये जायं या समिति जिनकी जांच करना आवश्यक समझे, जांच करने के लिये एक लोक-लेखा समिति होगी।

(२) लोक-लेखा समिति में २१ से अनधिक सदस्य होंगे जो प्रत्येक वर्ष सदन द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा और यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(३) सभापति समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा।

२३१—समिति के कृत्य—(१) राज्य के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करते समय लोक लेखा समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि—

(क) जो धन लेखे में व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया है वह उस सेवा या प्रयोजन के लिये विधिवत् उपलब्ध और लगाये जाने योग्य था जिसमें वह लगाया या भारित किया गया है,

(ख) व्यय प्राधिकार के अनुरूप है, जिसके वह अधीन है, और

(ग) प्रत्येक पुनर्विनियोग ऐसे नियमों के अनुसार किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये हों।

(२) लोक लेखा समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा—

(क) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की तथा संतुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो या जो किसी विशेष निगम, व्यापार, संस्था या परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हों और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना,

(ख) स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-स्वायत्तशासी निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वालेलेखा विवरण की जांच करना, जिसकी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के निदेशों के अन्तर्गत या किसी संविधि के अनुसार की जा सके, और

(ग) उन मामलों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके संबंध में राज्यपाल ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा करने की या भंडार के और स्कन्धों

(घ) प्राक्कलन समिति

२३२—समिति का निर्माण—(१) ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिये, जो समिति को ठीक प्रतीत हों या उसे सदन द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायं, एक प्राक्कलन समिति होगी ।

(२) समिति में २५ से अनधिक सदस्य होंगे, जो सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा और यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

२३३—समिति के कृत्य—(१) समिति के कृत्य ये होंगे—

(क) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति से संगत क्या मितव्ययितायें, संघटन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदित करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिये वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करना; तथा

(घ) प्राक्कलन किस रूप में सभा में उपस्थित किये जायेंगे इसका सुझाव देना ।

(२) समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष के भीतर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे जैसे वह जांच करती जाय, सदन को प्रतिवेदित कर सकगी । समिति के लिये यह अनिवार्य न होगा कि किसी एक वर्ष के समस्त प्राक्कलनों की जांच करे । इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई तिवेदन नहीं दिया है अनुदानों की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा ।

(ङ) सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

२३४—समिति का निर्माण और उसके कृत्य—मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिये और निम्न बातों पर तिवेदन करने के लिये सरकारी आश्वासन सम्बन्धी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित १५ से अनधिक सदस्य होंगे—

(क) ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक परिपालन किया गया है, तथा

(ख) जहां परिपालन किया गया है तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन क लिय आवश्यक न्यनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा और यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(च) याचिका समिति

२३५—समिति का निर्माण—अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित १५ से अनधिक सदस्यों की एक याचिका समिति होगी :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा और यदि कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

२३६—याचिका किसको सम्बोधित की जाय और कैसे समाप्त की जाय—प्रत्येक याचिका सदन को सम्बोधित की जायगी और जिस विषय से उसका सम्बन्ध हो उसके बारे में याचिका देने वाले की निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी ।

२३७—याचिकाओं की व्याप्ति—अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर याचिकायें उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी—

(१) ऐसा विधेयक जो नियम ११७ के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सदन में पुरःस्थापित हो चुका हो,

(२) सदन के सामने लम्बित कार्य से सम्बन्धित कोई विषय, और

(३) सामान्य लोक हित का कोई विषय, परन्तु वह ऐसा न हो:—

(क) जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी संविहित न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्द्ध न्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो,

(ख) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता हो, या

(ग) जिसके लिये विधि के अन्तर्गत उपचार उपलब्ध है और विधि में नियम, विनियम, उपविधि सम्मिलित हैं जो संघ या राज्य शासन या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो जिसे ऐसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित हो ।

२३८—याचिका का सामान्य प्रपत्र—(१) प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण, शिष्ट और संयत भाषा में लिखी जायगी ।

(२) प्रत्येक याचिका हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगी और उस पर याचिका देने वाले के हस्ताक्षर होंगे ।

२३९—याचिका के हस्ताक्षरकर्त्ताओं का प्रमाणीकरण—याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जायगा और वह विधिवत् प्रमाणीकृत होगा ।

२४०—किसी याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाये जायेंगे—किसी याचिका के साथ कोई पत्र, शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं लगाये जायेंगे ।

२४१—प्रतिहस्ताक्षर—(१) प्रत्येक याचिका किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होगी ।

(२) कोई सदस्य अपनी ओर से याचिका उपस्थापित नहीं करेगा ।

२४२—उपस्थापन की सूचना—सदस्य सचिव को याचिका उपस्थित करने के अपने मन्तव्य की कम से कम दो दिन की पूर्व सूचना देगा ।

२४३—याचिका का प्रपत्र—याचिका उपस्थित करने वाला सदस्य अपने को निम्नरूप के कथन तक ही सीमित रखेगा:—

"मैं.....के सम्बन्ध में याचिका देने वाले (लों) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।"

और इस कथन पर किसी वादविवाद की अनुज्ञा नहीं होगी ।

२४४—याचिका के उपस्थापन के बाद प्रक्रिया—(१) प्रत्येक याचिका इन नियमों के अधीन उपस्थित किये जाने के उपरान्त समिति को निर्दिष्ट की जायगी ।

(२) समिति—

(क) अध्यक्ष को यह सिफारिश कर सकेगी कि याचिका अस्वीकार कर दी जाय यदि वह नियमों के अनुकूल न हो, और ऐसी दशा म अध्यक्ष उसे अस्वीकार करेंगे,

(ख) यह निदेश दे सकेगी कि याचिका सविस्तार अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जाय ।

(३) परिचालन और साक्ष्य, यदि कोई हों, के उपरान्त समिति का सभापति या समिति का कोई सदस्य याचिका में की गई विशिष्ट शिकायत और इस विशिष्ट मामले में प्रतिकारक उपायों का या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिये सुझाव सदन को प्रतिवेदित करेगा ।

(छ) प्रतिनिहित विधायन समिति

२४५—समिति का निर्माण और कृत्य—अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित पंद्रह से अनधिक सदस्यों की एक प्रतिनिहित विधायन समिति इस बात की छानबीन करने और सदन को प्रतिवेदित करने के लिये होगी कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या अन्य वैध प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया जा रहा है :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा और यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की दिनांक से समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

२४६--समिति के कर्त्तव्य--समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी--

(१) कि तिनिहित विधान, संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है ।

(२) उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है या नहीं जिसको समुचित ढंग से निबटाने के लिये समिति की राय में विधान मंडल का अधिनियम होना चाहिए ।

(३) उसमें कोई करारोपण अन्तर्विष्ट है या नहीं ।

(४) उसमें न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है या नहीं ।

(५) वह उन उपबन्धों में से किसी को गतापेक्षक प्रभाव देता है या नहीं जिनके सम्बन्ध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है ।

(६) उसमें राज्य की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अन्तर्विष्ट है या नहीं ।

(७) उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है ।

(८) उसके प्रकाशन में या विधान मंडल के समक्ष रखे जाने म अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं ।

(९) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिये किसी विशदीकरण की आवश्यकता है या नहीं ।

२४७--समिति का प्रतिवेदन--यदि समिति की राय हो कि ऐसा कोई विधान पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसका कारण सदन को प्रतिवेदित क गी । यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों से सम्बन्धित कोई अन्य विषय सदन की सूचना में लाया जाना चाहिये ो वह उक्त राय तथा विषय सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी ।

(ज) नियम समिति

२४८--समिति का निर्माण--उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संबंध में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करके १५ से अनधिक सदस्यों की एक समिति होगी, शेष सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे ।

२४९--समिति के कृत्य--समिति के कृत्य यह होंगे कि वह सदन की प्रक्रिया तथा कार्य चालन के विषय पर विचार करे और उसके नियमों में ऐसे संशोधनों तथा वृद्धियों की सिफारिश करे जो आवश्यक समझे जायं ।

२५०--समिति का सभापति--अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे । यदि अध्यक्ष किसी कारण से समिति के सभापति के रूप में कार्य करने

में असमर्थ हों तो उपाध्यक्ष उस बैठक के सभापति होंगे। यदि वे दोनों ही किसी कारण से पीठासीन होने में असमर्थ हों तो अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी को उस बैठक का सभापति नामनिर्देशित करेंगे।

२५१—नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया—(क) समिति की सिफारिशें सदन की मेज पर रखी जायंगी और सात दिनों की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकगा।

(ख) ऐसी सूचना पर संशोधन समिति को निर्दिष्ट हो जायगा जो उस पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जो उचित समझे जायं। अन्तिम प्रतिवेदन सदन की मेज पर पुनः रखा जायगा। तत्पश्चात् समिति के किसी सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सदन प्रतिवेदन अंगीकृत कर सकेगा और नियमों के संशोधन सदन द्वारा अनुमोदित किये गय रूप में नियमों में सम्मिलित किये जायेंगे।

(ग) यदि उपनियम (ख) में उल्लेख के अनुसार नियम समिति की सिफारिशों में शोधन की कोई सूचना न दी जाय तो समिति की सिफारिशें सदन द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायंगी और सात दिन की समाप्ति पर सिफारिशें नियमों में सम्मिलित कर ली जायेंगी।

(घ) संशोधित नियम पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार सदन द्वारा अंगीकृत होने पर तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(झ) प्रवर समिति

२५२—प्रवर समिति का निर्माण—(१) किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्य, सदन द्वारा तब नियुक्त किये जायेंगे जब किसी विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का स्ताव किये जाने के उपरान्त स्वीकृत हो जाय।

(२) प्रवर समिति में निम्न प्रकार से १९ सदस्य होंगे—

१—विधेयक भारसाधक मंत्री;

२—विधेयक भारसाधक सदस्य, यदि कोई हो;

३—यथास्थिति सभा के १७ या १८ सदस्य, जो कि अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल क्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

२५३—प्रवर समिति में प्रक्रिया—प्रवर समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकलनों के साथ, जो चाहे रूपभेद के हों अथवा अंश, छोड़ कर या निकाल कर किये गये हों, जैसा अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझें, यथासाध्य वही होगी, जिसका सदन में विधेयक के विचार-प्रक्रम के दौरान में अनुसरण किया जाता है।

२५४—प्रवर समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना—जब कोई विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका हो तो उसके किसी खंड में संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना स्वतः प्रवर समिति को निर्दिष्ट हुई समझी जायगी :

परन्तु यदि संशोधन की सूचना किसी एसे सदस्य से प्राप्त हुई हो जो प्रवर समिति का सदस्य न हो, तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किये गये हों।

२५५—समिति की साक्ष्य लेने की शक्ति—प्रवर समिति विशेष साक्ष्य को और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर उसके समक्ष विधान का प्रभाव पड़ता हो।

२५६—प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का मुद्रण तथा प्रकाशन—(१) प्रवर समिति की चर्चायें बैठक में उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट नहीं की जायंगी और ऐसी चर्चाओं का कोई निर्देश सदन में नहीं किया जायगा।

(२) प्रवर समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य प्रवर समिति के सब सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

(३) समिति निदेश दे सकेगी कि सम्पूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अंश या उसका सारांश मेज पर रख दिया जाय।

(४) प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य प्रवर समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जायगा जब तक वह मेज पर न रख दिया गया हो :

परन्तु अध्यक्ष स्वविवेक से निदेश दे सकेंगे कि ऐसा साक्ष्य मेज पर औपचारिक रूप से रखे जाने से पहले सदस्यों को गुप्त रूप से उपलब्ध कर दिया जाय।

२५७—समिति के विनिश्चयों का अभिलेख—प्रवर समिति के विनिश्चयों का अभिलेख रखा जायगा और सभापति के निदेश के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायगा।

२५८—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन—(१) विधेयक के प्रवर-समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद शीघ्र ही प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर समवेत होगी और सदन द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी :

परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास समाप्त होने से पहले उपस्थित कर दिया जायगा, जिस तिथि को सदन ने प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था :

किन्तु सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।

(२) प्रतिवेदन प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकेंगे।

(३) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि इन नियमों के निदेशों के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो चुका है या नहीं और प्रकाशन किस तिथि को हुआ है।

(४) जब विधेयक में रूपान्तर किया गया हो, तो प्रवर समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवदन में विधेयक के भारसाधक सदस्य के लिये यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि उसका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिये, या जब विधेयक पहल ही परिचालित किया जा चुका हो, तो पुनः परिचालन का।

२५९—सदस्य द्वारा अभिलिखित विमति टिप्पणी—(१) प्रवर समिति का कोई सदस्य विधेयक से संबंधित या प्रतिवेदन में दिये गये किसी विषय या विषयों पर विमति टिप्पणी अभिलिखित कर सकेगा ।

(२) विमति टिप्पणी संयत और शिष्ट भाषा में लिखी जायगी और न उसमें प्रवर समिति में की गई चर्चा का निर्देश किया जायगा और न समिति पर आक्षेप किया जायगा ।

(३) यदि अध्यक्ष की राय में किसी विमति टिप्पणी में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पदावलियां हों जो असंसदीय या अन्यथा अनुपयुक्त हों तो वे ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या पदावलियों को विमति टिप्पणियों में से निकाल दिये जाने का आदेश दे सकेंगे ।

(४) विमति टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रतिवेदन का अंश बनेगी ।

२६०—प्रतिवेदन का मुद्रण तथा प्रकाशन—सचिव प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित करायेगा, और प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध की जायगी । प्रतिवेदन तथा विधेयक, यदि संशोधित किया गया हो, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, गजट में प्रकाशित किया जायगा और संशोधित विधेयक की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जायगी ।

(ञ) संयुक्त प्रवर समिति

२६१—संयुक्त प्रवर समिति का निर्माण—जब तक कि दोनों सदन परस्पर करार द्वारा अन्यथा कोई विनिश्चय न कर लें, संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से २५ होगी :

(क) विधेयक भारसाधक मंत्री ;
(ख) विधेयक भारसाधक सदस्य, यदि कोई हो ;
(ग) परिषद् के आठ सदस्य ;
(घ) यथास्थिति सभा के १५ या १६ सदस्य जिनका निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा ।

२६२—संयुक्त प्रवर समिति की प्रक्रिया—संयुक्त प्रवर समिति में उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा जो प्रवर समिति के लिये निर्धारित है और सदस्यों के निर्वाचन और समिति के सभापति की नियुक्ति और प्रतिवेदन का प्रस्तुत करना तथा उस पर विचार करने के विषय में प्रवर समिति के समस्त नियम यथोचित परिवर्तनों सहित संयुक्त प्रवर समिति पर भी प्रवृत्त होंगे ।

(ट) विशेषाधिकार समिति

२६३—समिति का निर्माण—अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति नामनिर्देशित करेंगे, जिसमें उपाध्यक्ष को सम्मिलित करके कुल १० सदस्य होंगे । उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होंगे ।

२६४—गणपूर्ति—समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति पांच होगी ।

२६५—विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रश्न की जांच तथा उसकी प्रक्रिया—(१) विशेषाधिकार समिति को निर्देश होने पर उस व्यक्ति को

जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, सचिव द्वारा शिकायत की एक प्रति के साथ यह सूचना दी जायेगी कि वह अमुक तिथि को अमुक समय व स्थान पर उपस्थित होवे ।

(२) ऐसा व्यक्ति सुनवायी की हर एक तिथि पर उपस्थित होगा जब तक कि उसकी प्रार्थना पर, समिति उसे वयक्तिक उपस्थिति से विमुक्त न कर दे :

परन्तु उपर्युक्त उपनियम को वाधित न करते हुए उसे यह अधिकार होगा कि वह अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष उपस्थित करा सके ।

(३) यदि उक्त व्यक्ति किसी कारण से सुनवायी के दिन उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह समिति को उन कारणों की सूचना देगा। समिति दिये गये कारणों को देखते हुए उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगी जिससे कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गई ह उपस्थित हो सके । किन्तु यदि समिति यह समझ कि अनुपस्थिति के समुचित कारण नहीं हैं या सदस्य जानबूझ कर अनुपस्थित रहा है तो समिति उसकी अनुपस्थिति में ही उस विषय पर विचार आरम्भ कर सकेगी और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी ।

(४) यदि ऐसा व्यक्ति अपना दोष स्वीकार करे या क्षमा याचना करे तो समिति इस सिफारिश के साथ प्रतिवेदन दे सकगी कि उसकी क्षमा याचना स्वीकार की जाय ।

२६६---समिति द्वारा प्रश्न की जांच----साक्ष्य के प्रकाश में और उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार समिति उस समय प्रश्न की जांच करेगी और इस बात का निर्णय करेगी कि क्या किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तथा यह देखेगी कि किस प्रकार की अवहेलना हुई है और किन परिस्थितियों के कारण हुई है और ऐसी सिफारिशें करेगी जिन्हें वह ठीक समझे ।

२६७---समिति के सदस्यों की निर्योग्यतायें---शिकायत करने वाला सदस्य अथवा वह सदस्य जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, यदि समिति का सदस्य हो, तब तक समिति में नहीं बैठेगा जब तक कि उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध, यथास्थिति, की गयी शिकायत का विषय समिति के समक्ष विचाराधीन हो ।

२६८---विशेषाधिकार समिति का उपवेशन---विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार प्रश्न के निर्दिष्ट किये जाने के उपरान्त यथाशीघ्र और उसके बाद समय-समय पर जब तक कि यथास्थिति सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा नियत समय के भीतर प्रतिवेदन स्तुत न कर दिया जाय, समवेत होगी :

परन्तु जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नियत न किया गया हो तो प्रतिवेदन निर्देश के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा :

किन्तु अध्यक्ष अथवा सदन, यथास्थिति समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे ।

२६९---समिति का प्रतिवेदन---समिति के प्रतिवेदन में यह दर्शाया जायगा कि क्या विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और उसकी राय में क्या दण्ड दिया जाना चाहिये । यदि क्षमा मांगी गई हो तो समिति यह भी सिफारिश कर सकेगी कि क्षमा-याचना स्वीकार की जाय ।

अध्याय १७

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव तथा मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव

२७०—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव—कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिये अनुच्छेद १७९ (ग) के अन्तर्गत, किसी संकल्प की सूचना देना चाहे तो वह उसे लिखित रूप में देगा परन्तु पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक सचिव को चौदह दिनों की पूर्व सूचना न दी गयी हो। अनुच्छेद १७९

२७१—संकल्प लिए जाने के लिए सदन की अनुज्ञा—(१) अनुच्छेद १८१(१) के उपबंधों के अधीन रहते हुये जब पूर्वगामी नियम के अन्तर्गत कोई हटाने का प्रस्ताव विचारार्थ लिया जाय तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अनुच्छेद १८० (२) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होंगे। अनुच्छेद १८० तथा १८१।

(२) जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव वापस ले सकेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगेगा। इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु प्रस्तावक प्रस्ताव लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेगा।

(३) अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये कहेंगे। यदि तत्समय सदन के सदस्यों के पंचमांश से न्यून सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी प्रस्तावक को सूचित करेंगे कि उसे संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा नहीं है।

२७२—नियत दिन की कार्य-सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना—(क) यदि पूर्वगामी नियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तावक संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा सदन से प्राप्त कर ले, तो संकल्प किसी नियत दिन पर लिये जाने के लिये कार्य-सची में सम्मिलित कर लिया जायगा।

(ख) ऐसा संकल्प प्रश्न के घंटे के बाद और अन्य कोई कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लिया जायेगा।

२७३—भाषणों के लिए समय सीमा—किसी संकल्प पर भाषण की अवधि १५ मिनट से अधिक नहीं होगी, परन्तु संकल्प का प्रस्तावक इतने अधिक समय तक भाषण दे सकेगा, जितने की पीठासीन व्यक्ति अनुज्ञा दें।

२७४—मंत्रियों में अविश्वास का प्रस्ताव—(१) मंत्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकगा, अर्थात्—

(क) प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मांगी जायगी;

(ख) अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी।

(२) यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे, और यदि समस्त सदस्यों के पंचमांश से अन्यून इस प्रकार खड़े हो जायं, तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव अनुज्ञा दिये जाने के दिन से अधिक से अधिक १० दिन के भीतर किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत करें, लिया जायेगा। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेंगे कि उसे सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।

(३) यदि उपनियम (२) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाय, तो अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे।

(४) अध्यक्ष नियत दिन या अंतिम नियत दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव पर सदन का विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे।

(५) अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिय समय-सीमा विहित कर सकेंगे।

२७५—मंत्री का वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग किया है—(१) किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्रिपद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा। जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले, उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सदन-नेता को भेजी जायेगी, परन्तु लिखित वक्तव्य की अनुपस्थिति में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बातें या उसका सार अध्यक्ष और सदन-नेता को, जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले, भेजा जायेगा।

(२) ऐसा वक्तव्य प्रश्नों के अनन्तर और दिन की कार्यवाही आरम्भ होन से पूर्व दिया जायेगा।

(३) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेंगे।

अध्याय १८

राज्यपाल और सभा के बीच संचार

२७६—राज्यपाल का सभा को संचार—राज्यपाल सभा को अपना संचार—

(१) एक लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष के पास, जो उनके द्वारा सदन को पढ़कर सुनाया जायगा, तथा

(२) मंत्री द्वारा,

भेज सकेंगे।

२७७—सभा का राज्यपाल को संचार—सभा राज्यपाल को अपना संचार—

(१) सदन में प्रस्ताव किये जाने तथा स्वीकृत होने के पश्चात् औपचारिक समावदन द्वारा, और

(२) अध्यक्ष द्वारा,

भेज सकेगी।

अध्याय १९

सदन के स्थानों का त्याग और उनकी रिक्तता तथा अनुपस्थित सदस्य

२७८—सदन के स्थानों का त्याग—(१) जो सदस्य सदन से अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह विहित प्रपत्र में ऐसी सूचना देगा :

सेवा में,

अध्यक्ष,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

श्रीमन्,

मैं एतद्द्वारा सदन से अपने स्थान से.....(दिनांक).....पूर्वाह्न/अपराह्न से पद त्याग करता हूं।

आपका विश्वासपात्र,

(विधान सभा के सदस्य के हस्ताक्षर)

...(स्थान)..... (तिथि)

टिप्पणी : पत्र में दिये हुए पद त्याग के दिनांक और समय उस समय से पूर्व के नहीं होंगे जब कि वह पत्र लिखा गया है।

(२) त्याग-पत्र की प्राप्ति के बाद, यदि अध्यक्ष का उसकी सत्यता एवं स्वेच्छात्मक प्रकृति के विषय में समाधान हो जाय तो वे सदन को सूचना देंगे कि अमुक-अमुक सदस्य ने सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है परन्तु जब सदन सत्र में न हो तो अध्यक्ष सदन के पुनः समवेत होने के बाद सदन को सूचना देंगे।

(३) त्याग-पत्र में निर्दिष्ट दिनांक एवं समय से पद-त्याग प्रभावी होगा।

(४) सदन से अपने स्थान के त्याग करने की किसी सदस्य से ऐसी सूचना अध्यक्ष को प्राप्त होने के बाद सचिव यथासम्भव शीघ्र यह जानकारी गजट में प्रकाशित करायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति के हेतु कार्यवाही करने के लिये भेजेगा।

(५) यदि त्याग-पत्र की सत्यता अथवा स्वेच्छात्मक प्रकृति के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उपनियम (२) अथवा उपनियम (४) के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व उसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(६) यदि कोई त्याग-पत्र विहित प्रपत्र में न हो तो वह सम्बद्ध सदस्य को विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के हेतु वापस कर दिया जायेगा।

२७९—सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा—(१) जो सदस्य अनुच्छेद १९० के खंड (४) के अन्तर्गत सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे, वह अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन-पत्र देगा, जिसमें उस कालावधि का उल्लेख करेगा जिसके लिये उसे सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(२) ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही जैसा कि अध्यक्ष आदेश दें, सदन के विचारार्थ रखा जायगा और इस प्रकार नियत दिवस में प्रश्नों के अनन्तर तत्काल तथा उस दिन का अन्य कार्य आरम्भ होने के पूर्व उस पर विचार किया जायगा ।

(३) अध्यक्ष उस ढंग को निश्चित करेंगे, जिसके अनुसार ऐसे आवेदन-पत्रों पर सभा का विनिश्चय लिया जायगा ।

(४) सचिव सदस्य को उसके आवेदन-पत्र पर सभा के विनिश्चय की यथाशीघ्र सूचना देगा ।

(५) यदि कोई सदस्य जिसे उपनियम (२) के अन्तर्गत अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गयी हो अवकाश की कालावधि के दौरान में सदन के सत्र में उपस्थित हो जाय तो उसकी पुनः उपस्थिति की तिथि से अवकाश का असमाप्त भाग व्यपगत हो जायगा ।

(६) यदि कोई सदस्य ६० दिन की कालावधि या उससे अधिक समय तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सब उपवेशनों से, जिसकी संगणना अनुच्छेद १९० (४) के परन्तुक में उपबद्ध रीति से की जायेगी, अनुपस्थित रहे तो सदन का नेता या कोई भी अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाय ।

(७) सदस्य ऐसे प्रस्ताव की तीन दिन की सूचना देगा और अपनी सूचना के साथ उन तिथियों का एक पूर्ण विवरण भेजेगा जिसमें वह सदस्य अनुपस्थित था ।

(८) उपनियम (६) के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद सचिव यह जानकारी गजट में प्रकाशित करायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति के हेतु कार्यवाही करने के लिये भेजेगा ।

२८०—उपस्थिति पंजी—सचिव सभा की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख रखेगा और इस प्रयोजन के लिये एक उपस्थिति पंजी रखी जायगी । यह बैठक के प्रारम्भ से एक घंटे पूर्व सभा कक्षों में रखी जायगी और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिवों के अतिरिक्त अन्य सदस्य उसमें बैठक के दिन के लिये स्थगित होने से पूर्व हस्ताक्षर करेंगे । जो सदस्य पंजी में हस्ताक्षर नहीं करेंगे अनुपस्थित समझे जायंगे :

परन्तु जो सदस्य इस प्रकार अनुपस्थित समझा जाय वह सदस्य उस बैठक के १५ दिन के भीतर जिसमें वह उपस्थित था, किन्तु हस्ताक्षर नहीं कर सका था, अध्यक्ष को अपनी उपस्थिति का समाधान करा सकेगा और यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय तो वे आदेश दे सकेंगे कि उसको उपस्थित अंकित किया जाय ।

अध्याय २०

प्रक्रिया के साधारण नियम

(क) सभा की भाषा

२८१—सभा की भाषा—संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा।

(ख) सूचनाएं

२८२—सूचनाओं का दिया जाना—(१) प्रत्येक सूचना जिसकी नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप में दी जायगी और वह मेज पर या उसके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर छोड़ दी जायगी।

(२) जब तक नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, सूचना जो कार्यालय म उपर्युक्त उपनियम में दिये हुए समय के अतिरिक्त अन्य समयों में प्राप्त हो वह अगले खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायगी।

२८३—सदस्यों को सूचना तथा पत्रों का परिचालन—सचिव प्रत्येक सदस्य के पास सूचना अथवा अन्य पत्र की एक प्रतिलिपि जिसको इन नियमों के अन्तर्गत सदस्यों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक हो, घुमायेगा।

(ग) संशोधन

२८४—ग्राह्य संशोधन—(१) इन नियमों के अधीन, प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव के विषय से सुसंगत होना चाहिए जिस पर वह प्रस्थापित किया जाय।

(२) ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जा सकेगा जो स्वीकृत हो जाने पर केवल नकारात्मक मत का बोधक हो।

(३) जब प्रस्ताव के किसी भाग के संशोधन पर विनिश्चय हो चुका हो तो पूर्व का भाग संशोधित नहीं किया जायेगा।

(४) कोई ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जा सकेगा जो उसी विषय पर दिये गये पूर्व विनिश्चय से असंगत हो।

(५) अध्यक्ष किसी प्रक्रम में किसी संशोधन को जो उनकी राय में निरर्थक हो, अननुज्ञापित कर सकेंगे या उस पर मत लेना अस्वीकार कर सकेंगे।

२८५—संशोधन पर मत लेने की रीति—(१) जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जायं तब अध्यक्ष उन पर प्रश्न उपस्थित करने से पूर्व मूल प्रस्ताव को सदन को बतायेंगे या पढ़कर सुनायेंगे।

(२) यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वे पहले मूल प्रस्ताव को या किसी संशोधन को मत के लिए रखें।

(घ) सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

२८६—सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम—जब सदन का उपवेशन हो रहा हो, तो सदस्य—

(१) ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो,

(२) किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा,

(३) सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय भी अध्यक्ष-पीठ के प्रति नमन करेगा,

(४) अध्यक्ष-पीठ और ऐसे सदस्य के बीच से जो भाषण दे रहा हो, नहीं गुजरेगा,

(५) जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहे हों तो न सदन के बाहर जायेगा और न एक ओर से दूसरी ओर जायेगा,

(६) सदैव अध्यक्ष-पीठ को ही सम्बोधित करेगा,

(७) सदन को सम्बोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेगा,

(८) जब सदन में नहीं बोल रहा हो तो शांत रहेगा,

(९) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, चीत्कार नहीं करेगा, या बाधा नहीं डालेगा और जब सदन में भाषण दिय जा रहे हों, तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा,

(१०) भाषण करते समय दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं करेगा।

२८७—प्रध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना—जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो अध्यक्ष उसका नाम पुकारेंगे। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायेगा उसी को बोलने का अधिकार होगा।

२८८—सदन को सम्बोधित करने का ढंग—कोई सदस्य, जो सदन के समक्ष किसी विषय पर कुछ कहना चाहता हो बोलते समय खड़ा होगा और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा :

परन्तु अध्यक्ष रोग या दुर्बलता के कारण किसी असमर्थ सदस्य को बैठकर बोलने की अनुज्ञा दे सकेंगे।

२८९—बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम—

(१) प्रत्येक भाषण का विषय चर्चाधीन विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिए,

(२) बोलते तथा प्रश्न का उत्तर देते समय कोई सदस्य—

(क) किसी प्रश्न का वंचनात्मक उत्तर नहीं देगा,

(ख) किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय क विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा,

(ग) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा,

(घ) संसद् या किसी राज्य विधान मण्डल के व्यवहार या कार्य के विषय में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा,

(ङ) सदन के विनिश्चय की, ऐसे अवसर को छोड़कर, जब उसके निरसन का प्रस्ताव विचाराधीन हो, आलोचना नहीं करेगा,

(च) राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा,

(छ) राज-द्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, किन्तु वह अध्यक्ष की अनुज्ञा से अपने तर्क के प्रयोजन के लिए उनको उद्धृत कर सकेगा।

२९०—प्रश्न अध्यक्ष के माध्यम से पूछे जायेंगे—जब चर्चा के बीच स्पष्टीकरण के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछेगा।

२९१—असंगति या पुनरावृत्ति—अध्यक्ष ऐसे सदस्य के जो बार-बार असंगत बातें करे या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद-विवाद में प्रयुक्त युक्तियों की अरुचिकर पुनरावृत्ति करे, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य का भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेंगे।

(ङ) भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार

२९२—भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार—(१) प्रस्तावक सदस्य के भाषण के उपरान्त अन्य सदस्य प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा निश्चित क्रमानुसार भाषण कर सकेंगे। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर भाषण न करे तो फिर उसे अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना वाद-विवाद के किसी आगे के प्रक्रम में प्रस्ताव पर भाषण देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) अन्यथा उपबंध होने के अतिरिक्त कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के प्रयोजन के अतिरिक्त एक से अधिक बार भाषण नहीं देगा और वह स्पष्टीकरण भी केवल अध्यक्ष की अनुज्ञा से कर सकेगा और उसमें कोई विवाद-ग्रस्त विषय नहीं लाया जायेगा।

(३) कोई सदस्य जिसने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिए किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में, पुनः भाषण कर सकेगा, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का सम्बन्ध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो, या न किया हो।

२९३—अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन—अध्यक्ष स्वयं ही, या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना किये जाने पर किसी भी समय सदन में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सदन को सम्बोधित कर सकेंगे और इस प्रकार व्यक्त किये गये मत को किसी प्रकार के विनिश्चय के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(च) अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया

२९४—अध्यक्ष के भाषण का मौनपूर्वक श्रवण—(१) जब कभी अध्यक्ष बोलें (सम्बोधन करें) तो उनका भाषण मौनपूर्वक सुना जायेगा और

कोई सदस्य जो उस समय बोल रहा हो या बोलने के लिए खड़ा हुआ हो, तत्काल बैठ जायेगा।

(२) जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहे हों तब कोई सदस्य अपने स्थान से नहीं उठेगा।

(छ) विनिश्चय

२९५—सदन का विनिश्चय प्राप्त करने की प्रक्रिया—जिस विषय पर सदन का विनिश्चय अपेक्षित हो वह अध्यक्ष द्वारा रखे गये प्रश्न के द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

२९६—प्रस्तावना तथा प्रश्न का रखा जाना—जब कोई प्रस्ताव किया गया हो तो अध्यक्ष प्रश्न को विचार के लिए प्रस्थापित करेंगे, और उसे सदन के विनिश्चय के लिए रखेंगे। यदि किसी प्रस्ताव में दो या अधिक अलग-अलग प्रस्थापनाएं शामिल हों तो वे प्रस्थापनाएं अध्यक्ष द्वारा अलग-अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्थापित की जा सकेंगी।

२९७—आवाजें संगृहीत होने के बाद किसी भाषण का न होना—किसी प्रश्न पर अध्यक्ष "हां" वालों और "ना" वालों, दोनों की आवाजें संगृहीत कर लें तो उसके बाद कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेगा।

२९८—विनिश्चय—(१) मत आवाजों द्वारा या विभाजन द्वारा लिये जा सकेंगे और यदि कोई सदस्य ऐसा चाहेगा तो विभाजन द्वारा लिये जायेंगे :

परन्तु अध्यक्ष, यदि समझें कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गयी है तो वे, हाथ उठवा कर मत ले सकेंगे और विभाजन का परिहार कर सकेंगे।

(२) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा तत्काल घोषित किया जायेगा और उस पर कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

(ज) किसी सदस्य को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की या सदन को स्थगित करने या उपवेशन के निलम्बन करने की अध्यक्ष की शक्ति

२९९—सदस्यों को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति—(१) अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल बाहर चला जायेगा और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेगा।

(२) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त उपनियम (१) के अन्तर्गत बाहर चले जाने के आदेश के दिये जाने पर उसका पालन न करे या यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरी बार बाहर चले जाने का आदेश दिया गया हो तो अध्यक्ष उसको इंगित कर सकेंगे। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जाय सदन-नेता तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि उस सदस्य को ऐसी कालावधि के लिये जिसका प्रस्ताव में उल्लेख हो, सदन की सेवा से निलंबित किया जाय, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी।

परन्तु वह कालावधि किसी अवस्था म भी सत्र की अवशिष्ट अवधि से अधिक न होगी :

किन्तु सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह संकल्प कर सकेगा कि ऐसे निलम्बन को समाप्त किया जाय ।

(३) अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी और वे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेंगे या करने का अधिकार दे सकेंगे ।

(४) सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिये जिसे वह निर्धारित करें निलंबित कर सकेंगे ।

(झ) औचित्य प्रश्न

३००—औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय—(१) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

(२) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि यह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो ।

(३) उपनियम (१) तथा (२) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अंतिम होगा ।

(४) किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि व ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे ।

(५) औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ।

(६) कोई सदस्य—

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ीं,

ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेगा ।

३०१—ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो—जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें ।

(ञ) कार्यवाही का अभिलेख तथा प्रतिवेदन

३०२—सभा की कार्यवाहियों का अभिलेख—(१) सचिव सभा की कार्यवाही का एक वृत्त-पत्र जिसमें सभा के प्रत्येक दिन के विनिश्चयों का संक्षिप्त अभिलेख लिखा जायेगा, रखेगा ।

(२) सदन के प्रत्येक उपवेशन के उपरान्त अध्यक्ष वृत्त-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और इस प्रकार हस्ताक्षर हो जाने पर यह वृत्त-पत्र सदन के विनिश्चयों का प्रामाणिक अभिलेख बन जायेगा ।

(३) वृत्त-पत्र को छापा जायेगा और उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को चार दिन के भीतर उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

३०३—सभा की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन—(१) सचिव सभा के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेगा तथा उसको ऐसे रूप में और ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें, प्रकाशित करायेगा ।

(२) ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि ६ सप्ताह के भीतर सचिव द्वारा सभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यपाल को भेजी जायेगी ।

३०४—वाद-विवाद से शब्दों का निकाला जाना—(१) यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से, आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायं ।

(२) सदन की कार्यवाही में से इस प्रकार निकाले गये अंश पर तारांक लगाया जायेगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी समाविष्ट की जायेगी—

"अध्यक्ष-पीठ से दिये गये आदेशानुसार अमुक-अमुक तिथि को निकाला गया"

(ट) अजनबियों का प्रवेश

३०५—अध्यक्ष द्वारा अजनबियों के प्रवेश का विनियमन—सदन के उपवेशनों के समय सदन के उन भागों में, जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों के प्रवेश का प्रबंध अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा ।

३०६—अजनबियों को हटाने की शक्ति—अध्यक्ष सभा के उपवेशन के बीच में किसी समय अजनबियों को सदन के किसी परिसर से हटाने का आदेश दे सकेंगे ।

३०७—अजनबियों के निष्कासन के लिए कार्य—सदन के किसी भाग से किसी अजनबी के निष्कासन के लिये अध्यक्ष ऐसा आवश्यक कार्य या ऐसी कार्यवाही जो प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये उनके स्वविवेक में आवश्यक हो, कर सकेंगे ।

(ठ) एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन एवं शलाका के लिये विनियम बनाने की अध्यक्ष की शक्ति

३०८—अध्यक्ष का एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन एवं शलाका के लिए विनियम बनाना—अध्यक्ष एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की पद्धति के विषय में या किसी अन्य प्रयोजनार्थ शलाका करने के लिये जिसका इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है, विनियम बनायेंगे ।

(ड) सभा द्वारा निर्वाचन

३०९—सभा द्वारा निर्वाचन—जब किसी अधिनियम के अनुसार अथवा अन्यथा सभा के सदस्यगण अथवा उनके एक भाग को किसी सार्वजनिक संस्था के लिये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना हो तो सचिव से इस सम्बन्ध में प्रार्थना किये जाने पर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या अध्यक्ष के निदेशानुसार तथा उनके द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, निर्वाचन करने का प्रबन्ध करेगा ।

(ढ) सदन की मेज पर किसीपत्र या लेख्य का रखा जाना

३१०—सदन की मेज पर किसी पत्र या लेख्य का रखा जाना—सदन की मेज पर कोई पत्र या लेख्य अध्यक्ष के आदेश या प्राधिकार के बिना नहीं रखा जायगा।

(ण) नियमों का संशोधन

३११—सूचना—जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें नियमों में संशोधन करने की अनुज्ञा मांगने के प्रस्ताव के लिये कम से कम १५ दिनों की सूचना दी जायेगी और सूचना के साथ प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप भेजा जायेगा।

३१२—सदन की अनुज्ञा—प्रस्ताव को ऐसे दिन के लिए रखा जायेगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें। जब उस प्रस्ताव की बारी आये तब अध्यक्ष संशोधन के प्रारूप को पढ़ कर सुनायेंगे और पूछेंगे कि सदस्य को सदन की अनुज्ञा प्राप्त है या नहीं। यदि आपत्ति की जाय तो अध्यक्ष यदि उचित समझें प्रस्ताव करने वाले सदस्य तथा आपत्ति करने वाले सदस्य को स्पष्टीकरण के निमित्त संक्षिप्त वक्तव्य की अनुज्ञा देने के उपरान्त सदस्यों से जो उसका समर्थन करते हों प्रार्थना करेंगे कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायं और यदि तत्कालीन सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम पंचमांश खड़े हो जायं तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि सदस्य को सदन की अनुज्ञा प्राप्त है ।

३१३—संशोधनों के प्रारूप का नियम समिति को निर्दिष्ट किया जाना—जब सदस्य को कार्य आगे बढ़ाने के लिये सदन की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तब संशोधनों का प्रारूप सदन की नियम समिति को निर्दिष्ट हो जायेगा ।

३१४—प्रक्रिया—नियम समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयकों की प्रक्रिया के प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों के रूप के सम्बन्ध में ऐसे रूपान्तरों सहित जैसा कि अध्यक्ष निदेश करें यथासम्भव अनुसरण किया जायेगा।

(त) प्रकीर्ण

३१५—नियमों का निलंबन—कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलंबित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

३१६—निर्वचन एवं कठिनताओं का निराकरण—यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह उत्पन्न हो, तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

३१७—अवशिष्ट शक्तियां—ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।

३१८—अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी—किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

(थ) सापेक्ष पूर्वता

३१९—सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य की सापेक्ष पूर्वता—जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं, सापेक्ष पूर्वता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी:—

(१) शपथ अथवा प्रतिज्ञान,

(२) प्रश्न (अल्पसूचित प्रश्न भी सम्मिलित हैं),

(३) निधन के निर्देश,

(४) मेज पर रखे जाने वाले पत्र,

(५) राज्यपाल से संदेशों की संसूचना,

(६) परिषद् से संदेशों की संसूचना,

(७) विधेयकों पर राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति के सम्बन्ध में सूचना,

(८) दंडाधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से सदन के सदस्यों की गिरफ्तारी या निरोध या रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं,

(९) समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन,

(१०) विधेयकों के सम्बन्ध म प्रवर समिति/ संयुक्त प्रवर समिति के सामने आये साक्ष्य का रखा जाना,

(११) याचिकाओं का उपस्थापन,

(१२) [illegible]

(१३) सदन के कार्य को स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा,

(१४) ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं,

(१५) सदन के उपवेशनों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुज्ञा के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा,

(१६) विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा, उदाहरणार्थ सदन के सदस्यों के त्याग-पत्र, अधिष्ठाता मंडल, समिति आदि के लिये नामनिर्देशन,

(१७) अध्यक्ष की व्यवस्थाएं अथवा घोषणायें,

(१८) मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य,

(१९) भूतपूर्व मंत्री द्वारा अपने त्याग-पत्र की व्याख्या के सम्बन्ध में व्यक्तिगत वक्तव्य,

(२०) समिति के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव,

(२१) किसी विधेयक पर प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करने के समय को बढ़ाने का प्रस्ताव,

(२२) विधेयक, जो वापस लिया जाय,

(२३) विधेयक, जो पुरःस्थापित किया जाय,

(२४) अध्यादेशों द्वारा तुरन्त विधान निर्माण के कारणों के व्याख्यात्मक वक्तव्य का रखा जाना,

(२५) कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने का प्रस्ताव,

(२६) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव,

(२७) मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव,

(२८) विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

अनुसूची

(नियम ८४ तथा ८५)

किसी सदस्य के, यथास्थिति, बंदीकरण, निरोध, दोषसिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र

स्थान.....

तिथि.....

सेवा में

अध्यक्ष,

विधान सभा,

लखनऊ।

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

क

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि..... (अधिनियम) की धारा.....के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश

बेना अपना कर्त्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य, श्री.....
को.....(यथास्थिति बन्दीकरण या निरोध के कारण)
लिये बन्दी
के----------कर लिया जाये ।
निरुद्ध

तदनुसार श्री ..... विधान सभा सदस्य को.....
(तिथि) को..... पर (समय) बन्दी कर लिया गया है

हवालात में रख दिया गया है

और उन्हें इस समय ..... जेल .....
(स्थान) में रखा गया है ।

ख

मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य, श्री.....
पर..... (दोषसिद्धि) के कारण दोषारोप (या दोषारोपों)
के लिये ..... न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया
गया ।

....दिन तक मुकदमा चलने के बाद .....
..... (तिथि) को मैंने उन्हें..... का अपराधी पाया और उन्हें
..... (कालावधि) के कारावास का दंडादेश दिया ।

.....को अपील करने की अनुमति के लिये उनका
प्रार्थना-पत्र विचारार्थ लम्बित है ।

न्यायालय का नाम

ग

मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य, श्री.....
को, जिन्हें..... (तिथि) को सिद्धदोष ठहराया गया था
और ..... के लिये (दोष सिद्धि के कारण) ....
..... (कालावधि) का कारावास दिया गया था, ...
..... .(तिथि) को अपील लम्बित होने तक जमानत पर रिहा कर
दिया गया था (या, यथास्थिति, अपील पर दंडादेश रद्द होने पर रिहा कर दिया
गया) ।

आपका विश्वासपात्र

(न्यायाधीश, दंडाधिकारी या कार्यपालिका
प्राधिकारी) ।

श्री अध्यक्ष--एक चीज मैं आप को बता देना चाहता हूं कि चूंकि सदन में किसी ने इसमें कोई संशोधन नहीं दिया है इसलिये प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मैं इस पर एक साथ राय ले लेता हूं और उसके बाद शायद आपको प्रस्तुत नियमावली के बारे में भी एक छोटा-सा प्रस्ताव लाना होगा जिसमें यह निदेश होगा कि नयी नियमावली कब से लागू होगी । मैं समझता हूं कि अगर आप पुरानी नियमावली के लिये कोई रिपील का प्रस्ताव रख दें तो जो पुरानी नियमावली है वह खत्म समझी जायगी । क्योंकि पुरानी और नयी दोनों एक साथ नहीं चल सकतीं । एक ही चलेगी । ऐसा भी आप तय कर सकते हैं कि इस सेशन के बाद नई नियमा-

श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष)---अध्यक्ष महोदय, नियम २ के चैप्टर १ में इस प्रकार लिखा हुआ है :

"These rules shall come into force from the date on which they are adopted by the U. P. Legislative Assembly."

इसलिये अगर यह एडाप्ट हो जायंगे तो वह स्वयं ही लागू हो जायंगे। इसलिये ऐसे किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम १ से लेकर ३१९ तक इस प्रक्रिया नियमावली के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है, पारित की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है, पारित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८*

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, आप यह देखें कि कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल पर मैंने अपने बहुत से संशोधन दे रखे हैं, तो मैं आप की परमिशन चाहता हूं कि उनको उसमें सम्मिलित माना जाय।

नवीन नियमावली के 'उपवेशन का समय' सम्बन्धी नियम १६ का निलम्बन

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं एक जानकारी के लिये जरा पूछना चाहता हूं कि आज विधान सभा प्रक्रिया नियमावली पास हो चुकी है, तो क्या आज हाउस लंच के लिये उठेगा या नहीं उठेगा ?

श्री अध्यक्ष---इसीलिये मैंने पहले ही पूछा था, अब तो हाउस लंच के लिये नहीं उठेगा। लेकिन अगर आप लंच के लिये समय चाहते हैं तो आप को उसके सस्पेंशन का अधिकार है। इस असेम्बली की सिटिंग तीन-चार रोज और बैठने की है, अगर आप चाहते हैं कि लंच का समय इन बैठकों में कायम रहे तो आप इस तरह का प्रस्ताव पास कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, पहले ही दिन अवहेलना हो तो फिर बाद को क्या होगा।

श्री अध्यक्ष---नियमों की अवहेलना का सवाल नहीं है, लोगों की तकलीफ की बात है, क्योंकि अभी लोग तैयार हो कर नहीं आये होंगे।

---

*८ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा।

कुंवर श्रीपाल सिंह---श्रीमन्, चूंकि पहले से कुछ मालूम नहीं था इसलिये बहुत से लोग खाना खाकर भी नहीं आये हैं, तो आज के लिये यह प्रस्ताव कर दिया जाय कि एक घंटे का लंच होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, किसी को इसमें आपत्ति तो नहीं है? तो आज के लिये यह रहेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा एक संशोधन इसमें यह है कि १ घंटे का लंच चार दिन के लिये कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, तो इस सेशन के लिये तय रहा कि लंच के लिये बाकायदा जैसे पहले समय था, वैसा ही बना रहेगा। और उतना नियम का अंश सस्पेण्डेड समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर पहले लिया जाय। श्रीमन्, मैंने इस कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल के बारे में कई संशोधन दिये हैं जो इस कार्य सूची में छपे नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि उनको इसमें सम्मिलित कर लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष---यह इस वक्त की चीज नहीं है, जब अमेंडमेंट का वक्त आयेगा तो उस वक्त इस बात को देखा जायगा।

माननीय वित्त मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक जो मैंने पेश किया है, इसके बारे में जो मुख्य बात करने की सरकार की नीति है वह यह है कि अब तक जो कोर्ट फीस के रेट्स हमारे प्रदेश में लागू थे उनको तब्दील किया जाय और जहां-जहां मुनासिब हो बढ़ाया जाय इसका मुख्य कारण यह है कि जो आज रकमें उसमें लिखी हुई हैं वे यह हैं जो सन् १९४३ में तय की गयी थीं। सन् १९४३ में एक सरचार्ज की तरह से कुछ कोर्ट फीस बढ़ा दी गयी थी। उसके चार-पांच वर्ष बाद यह तरमीम की गयी कि जो सरचार्ज कोर्ट फीस में बढ़ाया गया है उसको परमानेन्ट कर दिया जाय। इस प्रकार सन् ४३ से जो कोर्ट फीस चालू थी वही आज भी जारी है। इन १५ बरस में २ तरमीमें और आईं। एक के जरिये से जो फीगर्स आने पाई में थे उनको राउन्ड फीगर कर दिया जाय। यह सन् १९५२ में हुआ। सन् १९५८ में फिर एक संशोधन कानून आया जिसके जरिये से जो डिसमेले-जाइशन का सिस्टम एडाप्ट किया गया उसकी वजह से तरमीम करने की जरूरत पड़ी। लेकिन इस वक्त जो तरमीम है उसका मकसद यह है कि कुछ अधिक रुपया सरकार को मिले ताकि एक तरफ तो जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का खर्चा सरकार का बढ़ता चला जा रहा है वह मीट आउट हो सके। दूसरी तरफ जो बेतहाशा लिटिगेशन की वबा फैली हुई है वह किसी हद तक कम हो सके।

जो रकमें बढ़ाई गई हैं वे करीब-करीब मद्रास में पहले से लागू हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक गैर मामूली हमने इसमें तरमीम की है जो नहीं होनी चाहिये। यह खुली हुई बात है कि रुपये का भाव वह नहीं है जो सन् १९४३ में था। फिर स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ गया है, डियरनेस एलाउन्स जारी हो गये हैं और बहुत से अखराजात बढ़ गये हैं।

रुपये की हमको इसलिये भी जरूरत है कि बहुत बड़ा प्लान हम इस सूबे व मुल्क में चलाना चाहते हैं। बहरहाल ये सब जरूरियात हैं। फिर एरियर्स भी हैं। थोड़े दिन हुए

३६,००० केसेज एरियर्स में थे वे बढ़ कर ४१,००० हो गये। कोई सूरत नहीं मालूम होती कि ये एरियर्स कैसे कम हों। उसका इलाज सिवा इसके कोई नहीं है कि मजीद जजेज मुकर्रर हों और किसी तरह से इन एरियर्स को खत्म किया जाय अगर ये एरियर्स इसी तरह से रहेंगे या लिटिगेशन की रफ्तार जिस शिद्दत के साथ हमारे सूबे में है वैसी ही रही तो एरियर्स को खत्म करना तो दरकिनार रहा, पुराने एरियर्स बजाय घटने के और बढ़ते चले जायंगे, इन सब बातों को लिहाज कर के यह तय किया गया कि कोर्ट फीस में जहां-जहां मुनासिब हो कुछ न कुछ रकमें बढ़ाई जायं। उसके लिये आपके सामने यह संशोधन विधेयक में पेश कर रहा हूं और उम्मीद है कि माननीय सदस्य इन सब बातों को मद्देनजर रख कर इसे मंजूर करेंगे।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये एक माह तक जनता में घुमाया जाय।

श्रीमन्, न्याय के लिये यह आवश्यक है कि सस्ता और सुलभ होना चाहिये। प्रदेश में न्याय न तो सस्ता है और न सुलभ है। सुलभता का तो यह हाल है, जैसा मंत्री जी ने अभी बताया कि इस समय ४१,००० मुकदमें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब उनकी संख्या ४१,००० से बढ़ कर के ४३,००० हो गई है। हर साल प्रदेश में लगभग २५,००० मुकदमें हाई कोर्ट में दायर होते ह और केवल २०,००० फैसल होते हैं। इस तरह से ५,००० मुकदमें हमेशा एरियर्स में जाते हैं। जजेज की संख्या बहुत कम है। प्रदेश की जन संख्या बम्बई और बंगाल, दोनों सूबों के योग के बराबर है और उन दोनों सूबों में अलग-अलग २६ और २७ जजेज हैं, यानी ५३ जजेज हैं। लेकिन हमारे यहां अभी हाल में तीन बढ़ जाने के बाद भी जजेज की संख्या काफी कम है। न्याय के सुलभ न होने के कारण समाज में जो अराजकता फैल रही है और जितने लड़ाई झगड़े हैं इसी कारण हैं, यहां तक कि मार-काट बढ़ती जा रही है। यदि एक व्यक्ति मुकदमा दायर करता है और १०, १२ साल तक कोई निर्णय नहीं होता तो उसके अन्दर ला के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह जाती और वह यह प्रयत्न करता है कि बलपूर्वक हम अपने अधिकार का प्रयोग करें। इसी के कारण लड़ाई-झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि इसमें कोई सुधार न किया गया और यह मुकदमें जो एरियर्स में हैं जल्द फैसल न करने का प्रयत्न किया गया तो अराजकता और बढ़ेगी। इस प्रकार न्याय सस्ता और सुलभ होने के विपरीत दुर्लभ हो गया है।

सस्ते का यह हाल है कि दिन प्रति दिन कोर्ट फीस बढ़ती चली जा रही है। श्रीमन्, अपने यहां १,००० रुपये पर १७७ रुपये ५० नये पैसे कोर्ट फीस देनी पड़ती है जब कि सुप्रीम-कोर्ट में कोर्ट फीस इतनी कम है १,००० रुपये पर केवल ५ रुपये ही देनी पड़ती हैं। वहां यह जरूर है कि २०,००० रुपये से कम की अपील नहीं ली जाती। लेकिन फिर भी हमें १०० रुपये कोर्ट-फ़ीस देनी पड़ती है। वहां का खर्चा भी यहां से ज्यादा है। मेरे विचार में वहां जितने भी फैसले होते हैं उनमें तीन न्याय मूर्ति बैठते हैं और जो कोई और कांस्टीट्यूशनल (Constitutional) प्वाइंट होता है तो उस पर सात जज बैठते हैं। यहां बहुत से फैसले सिंगिल जज करते हैं। फिर भी यहां इतना एरियर बाकी है। तो बजाय इसके कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रयत्न करते कि एरियर साफ होते, वह स्वयं इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि एरियर बढ़ते जा रहे हैं फिर भी कोर्ट फ़ीस बढ़ती चली जा रही है। श्रीमन्, कोर्ट फ़ीस बिल के खंड ४ के उपखंड (२) में जो हाई कोर्ट को पेटीशन्स प्रेजेन्ट की जायंगी उनमें नये रेट्स दिये गये हैं। श्रीमन्, अपने विधान के अन्दर जो आर्टिकिल २२६ के अन्दर हाई कोर्ट को पेटीशन्स प्रेजेन्ट की जाती थीं तो अभी तक उनके ऊपर कोर्ट फ़ीस नामिनल थी, केवल चार रुपये लगती थी। अब १०० रु० कर दिया गया है। श्रीमन्, पंचायत राज ऐक्ट में जो मुकदमें फैसल होते हैं उनका फैसला पंचायत करती है और पंचायत के बाद कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है इस वास्ते कि रिवीजन (Revision) या तो मुन्सिफ के यहां या एस० डी० ओ० के यहां होती है। उस रिवीजन में यदि कोई ला प्वाइंट न हो तो बड़ी आसानी से उसको खारिज कर देते हैं। इसके बाद यदि उनकी कोई रेमेडी है तो उनको आर्टिकिल २२६ के अन्दर हाई कोर्ट में पेटीशन करनी चाहिये। उसके प्रेजेन्ट करने में आपने

[श्री यमुना प्रसाद शुक्ल]

१०० रु० कोर्ट फीस कर दी है। तो मैं समझता हूं ग्रामीण जनता को यदि न्याय न मिला पंचायतों में या एस० डी० ओ० या मुन्सिफ के यहां तो उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा पेटीशन करने के लिये और वहां के वकीलों की फ़ीस देना कोई आसान काम नहीं होगा। न्याय पाना उनके लिये सुलभ नहीं बल्कि बड़ा दुर्लभ हो जायगा और उनकी शक्ति के बाहर हो जायगा। इस तरह से जितना भी वकालातनामे से कोर्टफीस का प्राविजन है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उससे जनसाधारण को न्याय पाना दुर्लभ हो जायगा और उनको न्याय नहीं मिल सकेगा। इस तरह से कभी भी सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं रह सकेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये अवश्य घुमाया जाय।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ इसी सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र के अन्त में सदन में प्रस्तुत करे और उसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्रीमन्, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि यह संशोधन केवल इस लिये लाया जा रहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाय और कुछ पैसा लिया जाय और इसकी आवश्यकता उन्होंने यह बताई कि चूंकि विभागीय खर्च, अधिक हो गया है और इस देश में एक प्लान चल रहा है उसको कार्यान्वित करने के लिये पैसे का लेना जरूरी है इसलिये हम यह संशोधन ला रहे हैं। श्रीमन्, जब इसकी बढ़ोत्तरी की तरफ आप का ध्यान जाय तो आप देखेंगे कि इसमें कई बार संशोधन हो चुका है और वह संशोधन ऐसा है कि जो इस देश के लिये बड़ा कठिन हो रहा है। एक बात मुझे याद आ गई कि आज से कुछ दिन पहले एक माननीय मित्र जो अपने को कांग्रेसी कहते थे उनसे एक चर्चा शुरू हुई और उसमें उन्होंने यह कहा कि हम तो अब समाजवादी हो गये और समाजवादी ढंग से काम करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप समाजवादी कैसे हो गये, जब ऐसा वादविवाद उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि जैसा समाजवाद आप चाहते हैं उस तरह का समाजवाद तो इस देश में अभी नहीं आ सकता और अभी यहां वह स्थिति पैदा नहीं हुई है। अभी तो इस देश में सर्वहारा वर्ग नहीं है, जब तक वह यहां नहीं होगा तब तक उसके लिये स्थिति अनुकूल नहीं है। इसी आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि जब आप का ध्यान इस पर जाय तो आप देखें कि इसके अन्त में जो अनुसूची है उसमें और पुराने ऐक्ट की अनुसूची में कितना अन्तर है। पुरानी में १० रुपया प्रतिशत से आगे क्रमशः उस फीस में जहां पर कीमत पर टैक्स लगाया है वह घटता गया है। उसमें शुरू में ज्यादा है, १० प्रतिशत १०० तक, दूसरे १०० तक साढ़े बारह प्रतिशत और तीसरे १०० तक साढ़े २२ प्रतिशत और आगे १,००० तक बराबर साढ़े २२ प्रतिशत चलता है। तो आप देखें कि १० प्रतिशत से शुरू होता है, १ से लेकर १०० तक १० रुपया पहले देना होगा, वही आज भी है, लेकिन मुकाबले में देखें तो मालूम होगा कि वही पुराना ऐक्ट जो अंग्रेजों के जमाने में था उसमें हर बड़ी रकम पर कोर्ट फीस कम होती जाती थी और आज के संशोधन में आप देखें तो मालूम होगा, जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया कि पहले १०० रुपए पर केवल १० प्रतिशत है। और उसके बाद एक हजार तक साढ़े २२ पये सैकड़ा बढ़ोत्तरी है और उससे और आगे जायंगे तो क्रमशः फिर घटना शुरू होता है और घटते-घटते दो हजार तक १२ प्रतिशत, २ से ३ हजार तक १२ प्रतिशत, ३ से ४ हजार तक १२ प्रतिशत और ४ हजार से ऊपर साढ़े ३७ पये ५०० पर हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ७, साढ़े ७ पये सैकड़ा बढ़ा है। इस तरह बीच के लोगों को तोड़ कर वे एक सर्वहारा वर्ग बनाना चाहते हैं जिससे समाजवादी राज्य कायम करने में आसानी हो। अंग्रेजों ने भी यह कहा था कि चाहे कितने ही रुपये का दावा करना हो साढ़े १२ पये हजार से अधिक फीस हम नहीं लेंगे। ये भी कहते हैं कि उससे अधिक हम नहीं लेंगे। तो फिर बढ़ाने का सवाल कहां से आया। फर्क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह रहा कि अंग्रेज प्रतिशत् पर बढ़ाते थे, लेकिन इस सरकार ने यह कहा कि प्रतिशत् सिस्टम स्थापित करने में बड़ी कठिनाई हो जाती है, यहां पर तो स्लैब सिस्टम ही उचित रहेगा। लेकिन जब साढ़े १२ रुपये हजार से अधिक आप को टैक्स लेना ही नहीं है तो फिर इस तरह का संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि न्याय सस्ता मिले तो जरूरत इस बात की है कि आप फ़ीस न बढ़ायें बल्कि प्रासीक्यूशन ऐक्ट में संशोधन करें तो ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि फीस बढ़ाने से न्याय मंहगा होता है जिससे सरकार बदनाम होती है और फिर यह तो केवल फीस है इसके अलावा जो विभागों में रिश्वत का भ्रष्टाचार है वह भी फीस ही के साथ बढ़ता जायगा। इसका मेरा निजी अनुभव है। देहाती लोग इससे पूर्ण परिचित हैं और मेरा खयाल है कि मंत्री महोदय भी परिचित होंगे। जब आप किसी कचेहरी में जाइये तो जितनी कोर्ट फीस देनी पड़ती है करीब-करीब उतनी ही वहां के लोग रिश्वत की रकम भी चार्ज करते हैं। श्रीमन्, यदि आप आज्ञा दें तो एक बात कह दूं हालांकि जरा असंगत है। मेरा यह ख्याल है कि सरकार की तरफ से यह आदेश दिया जा चुका है कि रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है।

एक सदस्य—पाप है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी हां, पाप है। लेकिन इस सरकार की अकल जरा और खुल जाय और वह कानून में यह संशोधन कर दे कि चोरी करना और चोरी हो जाना दोनों जुर्म हैं तो एक भी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होगी। कोई रिश्वत खुशी से नहीं देता है बल्कि उसको मजबूर किया जाता है। एक तो वह पैरवी करने काम हर्ज कर के जाता है और उसे तंग किया जाय तो वह सोचता है कि किसी तरह से पिंड छुड़ाया जाय। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से वह पैसे में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं और गरीबों पर ज्यादा बोझ लादते जाते हैं ठीक उसी तरह से बड़े लोगों को क्यों छोड़ते हैं। अगर आप समाजवादी स्टेट की स्थापना में विश्वास करते हैं तो जितनी रकम अधिक होती जाय तो कोर्ट फीस की दरें भी ड्योढ़ी कर दीजिये, तब मैं समझूंगा कि आप असमानता को दूर करेंगे। एक साइड से काम नहीं होगा, बल्कि अच्छा यह होगा कि इसकी पूर्ति के लिये जो दूसरा साइड है उसको भी लिया जाय और कानून में भी ऐसा संशोधन कर दें कि जो रिश्वत लेता है वही जुर्म है तो। ५० फीसदी रिश्वत लेना कम हो जायगा मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि जब रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों मुजरिम हैं तो शिकायत कौन करेगा? यह प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता से सम्बन्धित इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन सदन के अंतिम दिन प्रस्तुत करे और उस समय इस पर विचार हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस द्वितीय संशोधन विधेयक माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन कुछ रिजर्वेशन्स के साथ। वित्त मंत्री महोदय ने अपने इस विधेयक के आब्जेक्ट्स में यह बतलाया है कि "इस राज्य में न्याय-शुल्क की दरें अन्तिम बार १९४३ में पुनरीक्षित की गई थीं। १९५२ के संशोधन अधिनियम का मुख्य प्रयोजन दरों का, जो पूरे-पूरे रुपयों में नहीं दी गई थीं, सुगमांकों में परिवर्तित करना था ताकि छपाई तथा गणना में सुविधा हो जाय। इस प्रकार न्यायालय शुल्क की दरें पिछले पन्द्रह वर्षों में बढ़ाई नहीं गई हैं। इस अवधि में और विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् न्यायपालिका पर व्यय बहुत बढ़ गया है। उच्च-न्यायालय के विस्तार तथा विभिन्न नये न्यायालय, विशेषतः राज्य के शेष जिलों में से अधिकांश में जिला जजों के न्यायालय खुलने से अधिष्ठानों तथा भवनों पर व्यय और भी बढ़ गया है। इस बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने के लिये न्यायालय-शुल्क की वर्तमान दरों को समुचित रूप में पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया है। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन कोर्ट फीस और स्टैम्प ऐक्ट इन दोनों में बहुत फर्क है कोर्ट फीस शुल्क होता है और स्टैम्प ड्यूटी होती है। न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है उस को पूरा करने के लिये यह लगाया जाता है। अगर वित्त मंत्री जी का यह खयाल हो कि इसलिये दर बढ़ा रहे हैं कि निर्माण-कार्यों के लिये रुपये की आवश्यकता है तो मैं

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

इसका विरोध करूंगा। यह शुल्क इसलिये लिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में खर्चा बढ़ गया है, न्यायालयों की संख्या बढ़ रही है, जजों की संख्या बढ़ रही है और एरियर्स बढ़ रहे हैं उनको क्लियर करना है, इसलिये जरूरी है कि हम दरों में संशोधन करें। लेकिन हमें यह देखना है कि कहीं ऐसे दर न हो जायं जिससे न्याय पाना दुर्लभ हो जाय। मिसाल के तौर पर यह है कि रिट्स पर १०० रुपये कोर्ट फीस रखी गयी है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसके माने यह होंगे कि काफी तादाद में रिट्स नहीं होंगी। जिन लोगों के ऊपर जुल्म होता है और जो उच्च-न्यायालय में शरण लेते हैं वह १०० रुपये की कोर्ट फीस होने के कारण नहीं जा सकेंगे। उच्च-न्यायालय के कितने ही फैसले माननीय वित्त मन्त्री की नोटिस में आये होंगे जिनमें उन्होंने कहा है कि आज कल रिट्स की तादाद बढ़ने के कारण यह है कि एग्जिक्यूटिव अथारिटीज जुल्म करती हैं, इनएफीशेंट भी हैं और दूसरों को खुश करने के लिये भी काम करते हैं। अगर रिट्स को रोका जायगा तो एग्जिक्यूटिव अथारिटीज़ की इनएफीशेंसी और जुल्म और जिनको छिपाने के लिए वह जनता पर अत्याचार करते हैं, उनसे कोई रोक नहीं होगी। बल्कि बढ़ोत्तरी होगी। इसलिये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिये जो रिट्स का प्राविजन है, यह जरूरी है कि उसके जुरिस्डिक्शन को कम न किया जाय और उसमें कोर्ट फीस न बढ़ाई जाय। माननीय वित्त मंत्री को याद होगा कि जब वह आगरा न्याय मंत्री की हैसियत से तशरीफ ले गये थे तो उन्होंने बतलाया था कि हमारा उद्देश्य यह है कि पंचायतों को बढ़ावा दें, आर्बिट्रेशन को बढ़ावा दें। लेकिन मुझे यह जान कर बड़ी निराशा हुई कि उन्होंने आर्बिट्रेशन के केसेज और उनकी अपील्स पर भी कोर्ट फीस बढ़ा दी है। मुकदमेबाजी को कम करने के लिये आर्बिट्रेशन केसेज़ को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि लोग न्यायालय में कम जायं, पंचायतों में ज्यादा जायं। ऐसी सूरत में आर्बिट्रेशन केसेज़ पर जो कोर्ट फीस बढ़ायी गयी है उसको न बढ़ाया जाय।

हमारे लायक दोस्त ने पुराने कोर्ट फीस ऐक्ट का हवाला दिया और कहा कि उनके मुकाबले में अब दरें बहुत ज्यादा हो गयीं हैं और समाजवादी ढांचे में वह फिट नहीं होतीं। मैं अर्ज करूंगा कि अगर वह सूची को पढ़ें तो देखेंगे कि १०० रुपये पर जो १० रुपये लगता था वह अब भी है। इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। पांच सौ रुपये पर पहले ५५ रुपये कोर्ट फीस थी अब ६५ रुपये हो रही है। केवल १० रुपये की बढ़ोत्तरी है। लेकिन फिर आगे जा कर दरें बढ़ गयीं हैं। पहले ५० हजार पर २२ सौ १२ रुपये ८ आने थी, अब ४ हजार १ सौ ५७ रुपये ५० नये पैसे हैं। यदि पांच लाख के ऊपर देखेंगे तो ६ हजार, ४ सौ ४२ रुपये ८ आने पहले थी। अब ३७ हजार ९ सौ सात रुपये ५० नये पसे हैं। तो यह कहना कि सर्वाहारा समाज को पैदा करना है तो यह पैदा नहीं हो सकता, इसमें कोर्ट फीस उन पर बढ़ायी गयी है जिनकी ज्यादा धनराशि होती है। पांच लाख से ऊपर करीब-करीब छः गुना कर दिया गया है जब कि पांच सौ के ऊपर ५५ रुपया के बजाय केवल ६५ रुपये है। यह इसलिये रखा गया है कि जो ज्यादा दे सकें उन पर ज्यादा हो और जो कम दे सकें उन पर कम हो। कोर्ट फीस की दरों का बढ़ाना इसलिये भी आवश्यक हो गया है कि पांच सौ रुपये तक के मुकदमें पंचायती अदालतों में जाने लगे जिनसे कोर्ट फीस की कोई आमदनी सरकार को नहीं होगी और इसलिये उसको हानि उठानी पड़ेगी। इन सब बातों को देख कर कोर्ट फीस की दरों को बढ़ाना जरूरी है। लेकिन इसमें दो तीन संशोधन ऐसे हैं जिन की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह कुछ थोड़ा-सा असंगत और सख्त भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर खंड २ में अपने डेक्लेरेशन के ऊपर पांच सौ का जो मिनिमम वैलुएशन रखा है मैं समझता हूं कि अगर किसी गांव वाले का दो सौ रुपये के मुताल्लिक डेक्लेरेशन है तो पांच सौ पर फीस देनी पड़ेगी। उसको ६५ रुपये ८ आने कोर्ट फीस देनी पड़ेगी जब कि मकान की कीमत १००---२०० रुपये ही है। तो उसे १८ रुपये १२ आने की जगह पर ६५ रुपये ८ आने देना पड़ेगा, यह ज्यादती होगी। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री यह कर दें कि अगर किसी का वैलुएशन पांच सौ रुपये से कम हो तो ऐडवलोरेम कोर्ट फीस हो। अगर इस तरह का संशोधन हो जायगा तो यह कमी दूर

जहां तक इस विभाग की आमदनी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह विभाग हमेशा सेल्फ सफीशेंट रहा है। १९५८-५९ के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्चा १ करोड़ ७४ लाख ३१ हजार ४ सौ रुपया है। जब कि कोर्ट फीस से आमदनी १,८५,३७,५०० रुपये है। तो फिर जो रुपया हम कोर्ट फीस से वसूल करें लाजिमी है कि उसे हम ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिये खर्च करें। हम को ऐसा एक फंड बनाना चाहिये जिसमें अगर कोई बचत होती है तो रिजर्व रहे ताकि हम न्यायालय की इमारतों को, न्यायालय के जजेज़ की तनख्वाहों को और उनके कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढ़ा सकें। इस रुपये को तो ईयरमार्क करके रखना चाहिये और इस रुपये को किसी दूसरे विभाग में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि न्यायालयों के जो आजकल के निम्नवर्ग के कर्मचारी हैं उनको कितनी कम तनख्वाह मिलती है। १९५८-५९ के बजट को सामने रखते हुये मैं यह निवेदन करूंगा कि आजकल जूनियर स्टाफ की तनख्वाह इतनी कम है कि वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर सकते हैं। मुन्सिफ की तनख्वाह ३०० रुपये से ८५० रुपये, सिविल जज की तनख्वाह ५२० से १,१०० , डिस्ट्रिक्ट जज की तनख्वाह २,२५० रुपये तक है और जूनियर स्टाफ की तनख्वाह का अगर मुलाहिजा फरमायेंगे तो २०-३५-६०-११०-४०० रुपये तक है। तो इतनी असमानता तनख्वाहों में नहीं होनी चाहिये। अगर शुल्क बढ़ाते हैं तो हमें देखना होगा कि जूनियर स्टाफ जो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में काम करता है उसको भी इतना खाने को मिल जाय कि वह खुद और अपने बाल-बच्चों को दोनों वक्त रोटी खिला सके, ऐश के साथ रहना तो जहां का तहां रहा।

जूनियर स्टाफ की रिश्वत के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और कहा भी जाना चाहिये। लेकिन वहां यह भी सोचना चाहिये कि "बुभुक्षिता किं न करोति पापम्" कि जब किसी को पेट भर खाने को नहीं मिलेगा तो वह क्या पाप नहीं कर सकता। एक बार आगरे में मार्निंग कोर्ट्स हुये थे, ६ बजे से ११ बजे तक, तो मैंने देखा कि जूनियर क्लार्क्स तीन-तीन बजे तक लू में अपने घर जाते थे बस्ता बांध कर और तनख्वाह की हालत यह है। तो फिर जब न्याय-शुल्क बढ़ाया जा रहा है तो यह सोचना चाहिये कि इन जूनियर स्टाफ वालों के लिये जहां कहा जाता है कि रिश्वत लेते हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट बदनाम होती है कि उनकी भी ऐसी तनख्वाह कर दें कि वह रिश्वत बिलकुल न लें।

मैं बतलाना चाहता हूं कि इस पेशे से २५ वर्ष से मेरा सम्बन्ध है और मेरा तजुर्बा है, मैं जूनियर स्टाफ से काफी सम्बन्ध रखता हूं और कह सकता हूं कि वे इच्छुक नहीं हैं कि रिश्वत लें और जनता को तंग करें, लेकिन मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे इन दरों को बढ़ा रहे हैं तो उन बेचारों की दरों को भी बढ़ावें। ताकि उन बेचारों को भी राहत मिले।

आजकल मुन्सिफ की तनख्वाह ३ सौ से साढ़े ८ सौ रुपये तक है। मेरा खयाल है कि उसमें कोई अच्छा आदमी नहीं मिल सकता है। आज तक जितनी ला रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्टें हैं उन सब में यही है कि हम उनमें एक्सपीरियेंस्ड वकीलों को मुकर्रर करें। लेकिन आज ३ सौ रुपये पर कोई भी अच्छा वकील जिसकी ३ और ४ वर्ष की भी स्टैंडिंग है आने के लिये तैयार नहीं होगा। जो मुन्सिफ आज हो भी रहे हैं उनमें इतनी एफीशियेंसी नहीं है जो पिछले जमाने में हुआ करती थी। सब से पहले तो लोग एक्जीक्यूटिव में जाना पसन्द करते थे, पी० सी० एस० वगैरह में और जो कहीं भी नहीं आ पाता तो छटा छटाया मसाला जो रह जाता है वह मुन्सिफी में चला जाता है। इस वजह से इनएफीशियेंसी भी बढ़ रही है। तो माननीय मंत्री जी को इस बात का खयाल करना चाहिये कि इन लोगों की तनख्वाहों में जो इतनी असमानता है वह न रहे।

मैं एक दूसरी चीज़ की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह न्यायालय की बिल्डिंग्ज की निस्बत है। न्यायालयों की इमारतों की हालत इस कदर खराब हो रही है कि बैठने की जगह नहीं है। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को जब वे न्याय मंत्री थे आगरे में न्यायालय की इमारतों की हालत दिखलाई थी कि अगर मुद्दई और मुद्दालेह दोनों खड़े हो

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

जायं तो गवाहान को बीच में खड़े होने की जगह तक नहीं है। वांचू कमेटी ने कहा था कि हमारे न्यायालय न्याय मन्दिरों की तरह से होने चाहिये जिसमें मुकदमेंबाज का शिर श्रद्धा से झुक जाय। अभी हाल की मैं एक मिसाल बतलाता हूं। आगरे में कचहरी की एक इमारत बन रही थी। उसका पानी रजिस्ट्री की बिल्डिंग में चला गया और वहां पर जो परमानेंट रिकार्ड्स थे वे सब के सब खराब हो गये। यह तो बिल्डिंग्ज की हालत है। तो फिर जब इससे शुल्क वसूल करते हैं तो इस मद पर खर्चा बढ़ाया जाय और फिर जिस जजशिप से ज्यादा वसूल करें उसे उसी जजशिप के बढ़ाने पर ही खर्च करें। आगरा जजशिप से साढ़े चार लाख की नेट इन्कम होती है लेकिन वहां कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है और जो सौ वर्ष की पुरानी इमारतें हैं उसी में कोर्ट्स हो रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन दरों को जो बढ़ाने जा रहे हैं उनको इयर-मार्क्ड कर दिया जाय कि इसका सारा खर्चा ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के लिये ही होगा ताकि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का जो स्तर है वह ऊंचा हो और जनता में विश्वास पैदा हो कि यह रेट बढ़ रहे हैं इससे यह काम हो रहा है। हरएक मुल्क में न्याय रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। अगर वह हड्डी मजबूत न हो तो फिर देश मजबूत नहीं हो सकता। अगर यह सुधार नहीं हुआ तो बदअमनी फैलती रहेगी। अगर आपने इन न्यायालयों में रिश्वत का बोलबाला बन्द कर दिया तो जनता को उससे राहत मिलेगी और सारी जनता आभारी रहेगी। अगर रेट बढ़े और यह रिश्वत कम न हुई तो जनता महसूस करेगी कि कोर्ट फीस बढ़ी, लेकिन रिश्वत में कोई कमी नहीं हुई। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस शुल्क से जो रुपया आये वह न्याय विभाग की हालत को सुधारने में लगाया जाय कर्मचारियों के लिये मकान बनाने में लगाया जाय या न्यायालयों की इमारतें बनाने के लिये लगाया जाय। ऐसा हो तो कोई वजह नहीं है कि लोग रिश्वत लेना पसन्द करें। उनको रिश्वत मजबूर होकर लेना पड़ती है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोर्ट फीस बिल पेश हुआ है सदन उसको स्वीकार करेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं जमुनाप्रसाद शुक्ल जी ने जो संशोधन रखा उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। क्योंकि मेरा प्रस्ताव भी यही है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये एक माह तक जनता में घुमाया जाय।

इस विधेयक की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुये हैं उन पर ध्यान से सोचकर मैंने देखा कि क्या सचमुच ही सरकार को इस बात की आवश्यकता है कि इस मद में यह रुपया बढ़ाये। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसमें यह कहा गया है कि "उच्च-न्यायालय के विस्तार तथा विभिन्न नये न्यायालय, विशेषतः राज्य के शेष जिलों में से अधिकांश में जिला जजों के न्यायालय खुलने से अधिष्ठानों तथा भवनों पर व्यय और भी बढ़ गया है। इस बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने के लिये न्यायालय शुल्क की वर्तमान दरों को समुचित रूप से पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया है।" विशेषकर भवनों के व्यय की बात कही गई है। यह तो एक प्रकार से वही बात कही गई कि न्यायालयों की मद को बढ़ाने के लिये अधिक रुपया चाहिये। उन्होंने बताया कि सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। यह खर्चा तो बढ़ता ही रहेगा। स्वयं सरकार के मन्त्रियों का खर्चा बढ़ रहा है और दूसरे खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसका यह नतीजा होगा ही।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि लिटिगेशन को घटाना चाहते हैं इस कोर्ट फीस को बढ़ाकर। एक समय हमारे देश में एक विदेशी आया था जिसका नाम अप्पीलीबाइ था। उसने कहा था कि रेलों में सफर इसलिये ज्यादा हो रहा है कि समय पर ट्रेन चलती है। इसलिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि लोग समय पर पहुंच ही न पायें। तब यह सफर कम हो जायगा। अब यहां पर यह राय दे रहे हैं कि लिटिगेशन घटाने के लिये इस कोर्ट फीस को बढ़ाया जा रहा है। यह लिटिगेशन क्यों बढ़ रहे हैं? यह इसलिये नहीं बढ़ रहे हैं कि हम लोगों की आदत फसाद करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बढ़ गई है बल्कि यह इसलिये बढ़े और बढ़ रहे हैं कि यह लिटिगेशन का जो ला है वह उस विदेशों से मिले हुये लॉ का परिणाम है जो कि हमारे ऊपर लाद दिया गया है। यह उन परतन्त्रता के लादने वाले अंग्रेजों ने बनाया था जो इस देश में २०० साल तक राज्य कर गये हैं और जिसने राज्य करने का तरीका ढूंढ़ निकाला। उस ला का ही यह परिणाम है कि लिटीगेशन हमारे यहां बढ़ा हुआ है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि हिन्दूकाल में भी हमारे यहां न्याय होता था। क्या उस समय लिटीगेशन बढ़ने का कोई कारण था? उस समय न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होता था, चाहे हम विक्रमादित्य के समय को उठा कर देखें अथवा काजियों के। उस समय न्याय उलझा हुआ नहीं था। मैंने आप के सामने इस बात को रखा कि इस लिटीगेशन का मूल कारण हमारा यह ला है जो विदेशों द्वारा हमारे ऊपर लादा गया है। इस चीज को शायद कुछ लोग न मानें। यूनियन सरकार की तरफ से इस ला में परिवर्तन करने के लिये कभी कभी कमीशन बिठाये गये और कभी यह विचार किया गया कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिये बैठाये जायं। लेकिन उस कमीशन आदि में भी जो ला एक्सपर्ट्स थे उनको उस दायरे से बाहर निकलने की सामर्थ्य नहीं थी और उन्होंने उसमें ही थोड़ा हेर-फेर करने के बाद कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया। उसका परिणाम भी वही हुआ और ला उसी प्रकार रहा। श्रीमन्, इस सदन के भूतपूर्व मंत्री काटजू साहब ने सचमुच अपने परिश्रम से कुछ अमेंडमेंट पेश करके सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ हेरफेर कराये, लेकिन उसके बाद कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाया है और न आशा है कि वर्तमान भविष्य में कोई परिवर्तन उसमें हो पायेगा। न परिवर्तन होगा और न लिटीगेशन कम होगा और न जनता को राहत मिलेगी। खर्चा इसी तरह से बढ़ता जायगा और इस प्रकार के संशोधन कोर्ट फीस आदि के रूप में हमारे सामने आते रहेंगे।

स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने के लिये कहा गया था, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी बात न हमारे अध्यक्ष जी सुन पा रहे हैं और न मंत्री जी और यह इस बात का सबूत है कि ट्रेजरी बेंचेज के आदमी हमारी बात पर ध्यान नहीं देते। अपनी बातों में और हंसने खेलने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक सज्जन उनको बातों में लगाये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनको यह शिकायत है कि उनके भाषण को कोई मंत्री सुन नहीं रहा है।

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)--मैं तो सुन रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप सुन क्या रहे हैं, बातों में पड़े हैं, बतवा रहे हैं। बंसल जी अपनी बात हाउस में कहने के बाद अपनी प्राइवेट बात कहने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--यह आक्षेप गलत है। वह इसी संबंध में बात कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--कोरम है या नहीं सदन में, यह भी देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठिये। कोरम के बारे में पहले देख लिया जाय। कोरम है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामस्वरूप यादव--आप जरा कुछ बोलते ऐसे हैं कि जिससे साफ आवाज नहीं आती। हम इस बात को सुबह से कहना चाहते थे, लेकिन सोचा कि बीच में कहने से नाराज न हो जायं। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह तो मशीन का डिफेक्ट है या आपके सुनने की मशीन का डिफेक्ट होगा।

श्री अध्यक्ष--वह चाहते हैं कि बीच बीच में ब्रेक रहे। लगातार एक सांस में भाषण न हो। सांस बीच-बीच में टूटती रहे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इस तरीके में भय यह है कि आपका हैमर न चल जाय।

श्री अध्यक्ष--आपको समय मिलता रहेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं तो चाहूंगा कि इस मशीन में जो खराबी है वह दूर हो जाय अगर मैं माइक के बिना भी बोलूंगा तो भी आप तक आवाज जा सकती है।

श्रीमन्, मंत्री जी की तरफ से स्टेट ड्यूटी बिल का कंसीडरेशन मद्रास से किया गया। किसी भी स्टेट की अगर एक भी चीज मिल जाती है तो यह सरकार उसका हवाला दे देती है कि एक जगह ऐसा है। लेकिन मद्रास में अनेक बातें जो हमारे सूबे से अच्छी हैं उनको सरकार लेने का प्रयत्न नहीं करती। यह टैक्सों में बढ़ोत्तरी करने की पेशबन्दी है। आज सरकार कहती है कि स्टेटस बढ़ गया है, मोटरें बढ़ गयी हैं, सिनेमा बढ़ गये हैं, लोगों के रहने के तौर-तरीके बढ़ गये हैं या बंगलों में बढ़ोत्तरी हो गयी है। मैं पूछता हूं क्या इन गरीब लिटीगेंट्स का भी स्टेटस बढ़ गया है? अगर वह साफा बांधते और कुर्ता पहनते थे तो आज वे केवल लंगोटी लगाते हैं। वह किसके स्टेटस को देखते हैं। वे दूसरे के स्टेटस को देखें। उन लोगों के स्टेटस को देखें जो लिटीगेंट्स हैं और यह भी देखें कि इस बढ़ोत्तरी से उन पर क्या असर पड़ रहा है। आज कहा जाता है कि प्लान के लिये रुपये की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि यह तो अंधकूप है जिसकी गहराई का कभी पता नहीं लग सकता। इसके लिये अगर सारा शरीर भी दे दें तब भी यह भर न पायेगा। इसका न सिर है और न पैर ही। अधिक न कह कर मैं इतना ही कहूंगा कि इस सरकार को पये की जरूरत तो बराबर रहेगी ही। मैं तो यह चाहूंगा कि यह सरकार मांग के काबिल ही न रहे।

आप कहते हैं कि एरियर्स बढ़ रहे हैं। कैसे न बढ़ें? मैं बगैर किसी हाईकोर्ट के जज पर लांछन लगाये कह सकता हूं कि एक भी हाईकोर्ट का जज उतनी मेहनत नहीं करता है जितनी कि औसत रूप से देश में हर एक आदमी को करनी चाहिये। हफ्ते में तीन साढ़े तीन दिन बैठते हैं और तीन साढ़े तीन घंटे काम करते हैं और जिस पर तुर्रा यह कि एरियर्स बढ़ रहे हैं। वह तो बढ़ेंगे ही। ये जजेज पुराने जमाने के ही हैं। उनका वही अंग्रेजी रवैया है। सोचने और विचारने के तरीके वही पुराने हैं।

श्री अध्यक्ष--आप ज्यादा ब्यौरे में इस बारे में न कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैंने आपका इशारा समझ लिया। मैंने पहले ही माफी मांग ली थी कि जजेज की पर्सनल बात मैं नहीं कह रहा हूं और आम बात कहे बिना मैं रह नहीं सकता। आज किसी मकान के बारे में दीवानी का मुकदमा चलता है। ५-५ ६-६, साल तक कब्जा नहीं मिलता है और उसकी अपील का नम्बर भी नहीं आता है। आज आप उन लोगों की हालतों को देखें जिन्होंने अपनी अपीलों को दायर कर रखा है। ६-६ साल तक तारीखें पड़ती रहती हैं और बेन्याय की दुहाई देते रहते हैं। मंत्री जी ने बताया कि ३६ हजार से ४१ हजार एरियर हो गया है। हाई कोर्ट के जजेज में एक ओर तो बढ़ोत्तरी हो रही है ११ से १३, १३ से १५ हो गये। संख्या बढ़ी, योग्यता बढ़ी और उधर एरियर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर एरियर्स में कुछ कमी होती तो खर्चा बढ़ना बुरा न लगता। देखते कि हमारी अपीलें समय पर सुनी जाती हैं तो खुशी से खर्चा देते। लेकिन एक तरफ तो खर्चा बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ एफीशियेंसी घटती जाती है। ऐसी स्थिति में हम रुपया क्यों दें।

उन बेंचेज की ओर से केवल एक ही सदस्य को सुनने का मौका मुझे मिला। बंसल जी का मैं आदर करता हूं। २५ साल से बंसल जी ने सेवा की है। उन्होंने कहा कि इमारतों की कमी है। छोटे-छोटे मुलाजिम करें तो क्या करें? रिश्वत न लें तो क्या करें? मुंसिफों की तनख्वाह कम है। वाह वाह, उनकी हमदर्दी रियायत के लिये निकली भी तो उस पक्ष के लिये निकली जिस पक्ष को कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि इमारतों

एक-एक न्यायाधीश के लिये कई बड़ी-बड़ी आलीशान इमारतें चाहिये। और वह कमी भी उस मुल्क में है जहां के किसानों के लिये झोपड़े में रहना भी मुश्किल है। बदायूं के बारे में जैसा कि कहा गया कि कई हजार गांव वहां के ऐसे हैं जिनके मकान तबाह हो गये हैं और वे झोपड़ियों में रह कर गुजर कर रहे हैं जिनमें यदि आग लग जाय तो कई गांव जल कर खत्म हो जायं। फिर भी आप कहते हैं कि इमारतों की कमी है और उन्हीं से आप पैसा भी लेते हैं।

आप कहते हैं कि मुंसिफों की तनख्वाह कम है, लेकिन क्या आपने कभी उन क्लर्कों और मास्टरों की बात भी कही जिनको मुश्किल से ४०-४५ पये माहवार ही मिलते हैं जब कि इनको ३०० ० मिलने पर भी उनको बढ़ोत्तरी की चिन्ता आपको है। आज वे यह कहते हैं कि वे रिश्वत इसलिये लेते हैं कि वे भूखे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि वे रिश्वत इसलिये लेते हैं कि उनको पीठ थपथपायी जाती है कि तुम रिश्वत लिये जाओ, तुमको कोई अदालत में पकड़ने वाला नहीं है। अगर सरकार इस बात के लिये आमादा हो जाय कि अदालतों में जो रिश्वत लेते हैं उनको पकड़ा जाय और उनको सजा दी जाय तो मैं समझता हूं कि इस हाउस के बहुत से माननीय सदस्य इसके लिये तैयार हो जायेंगे कि वे रिश्वत लेने वाले को पकड़ लेवें। लेकिन क्या सरकार इस हाउस के माननीय सदस्यों को यह पावर देने का साहस करती है कि वे जिसको पकड़ कर दें उसके ऊपर वह केस करें? मैं समझता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों को यह अधिकार देने के लिये कभी भी तैयार नहीं होगी। मैं चैलेंज के तरीके पर कहता हूं कि इस तरह से कोई किसी को अदालत में नहीं पकड़ सकेगा क्योंकि वे अपने निकल भागने के कई रास्ते निकाल लेंगे। फिर भी यह कहा जाता है कि कोई पकड़े तो हम उसका जरूर चालान कर देंगे। लेकिन सोचने की बात है कि उनको किस तरह से पकड़ें, क्या आपने इसके लिये कोई विशेष अधिकार देने की बात सोची है? इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि लड़ाई से लेकर अब तक, अदालतों में रिश्वत काफी बढ़ गयी है। अंग्रेजी काल से तो करीब चौगुनी, पांचगुनी तक बढ़ गयी है और यह रिश्वत भी खुलेआम ली जाती है, जो कुछ पहले भय था, वह भय भी अब नहीं रहा। श्रीमन्, मुझे अपना अनुभव है कि जब मेरा पेटिशन चला तो मुझे अदालत में जाना पड़ा। इसके पहले मैं अपने जीवन में कभी अदालत में मुकदमेबाजी के लिये नहीं गया था। मुझे भी मजबूर किया गया, मेरा काम तक रोका गया और खुलेआम कहा गया कि रिश्वत दीजिये, बिना उसके काम नहीं चल सकता। कई जगह मुझे इसके लिये लड़ना-झगड़ना पड़ा और मुझे रिश्वत न देने की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। श्रीमन्, जब वे सब बातें मेरे सामने आती हैं तो बड़ा रोष पैदा होता है कि एक कलंक की स्याही अभी सूखने न पायी थी कि दूसरी स्याही सामने रख दी गयी। जब से यह हाउस बैठा है तब से रोज ही नये-नये टैक्स की मांग की जा रही है, मालूम होता है कि यह सेशन टैक्स बढ़ाने वाला सेशन ही माना गया है।

पहले दिन मोटर वेहिकिल्स बिल के जरिये ५० लाख रुपया लिया गया, दूसरे दिन स्टैम्प ड्यूटी बिल के जरिये १० लाख रुपया लिया गया और फिर कोर्ट फीस बिल के जरिये माननीय मंत्री जी न मालूम कितना पया और लेना चाहते हैं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस तरफ जरा इशारा भी नहीं किया कि कितना रुपया उनको इससे मिलने की आशा है। उनको चाहिये था कि इसका कुछ रफ एस्टीमेट ही हाउस को बतलाते कि यह कानून किस रूप में पास किया जाय। जो बजट हमारे सामने पेश हुआ था उसमें जुडिशियरी का जो आइटम था उसके लिये उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कही गयी और बाद में सप्लीमेंटरी बजट के मौके पर भी उस संबंध में कुछ नहीं कहा गया। फिर हमारे सामने आज यह कई लाख पये के टैक्सेशन का बिल आया है। जिसमें कई लाख की बात है और अभी खुल कर नहीं बतलाया जा रहा है।

श्रीमन्, इस संबंध में कुछ क्लाजेज का मैं उद्धरण दूंगा। आप देखेंगे कि उनम एक भी आइटम ऐसा नहीं होगा जिसका संबंध गरीब लिटिगेंट से न हो जो देश में ज्यादा संख्या

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

में है। पहले आइटम को ही लिया जाय, जिसकी तरफ बंसल जी ने इशारा किया, वह कितना घातक है। यह धारा ७ से संबंधित है और धारा ७ डिक्लेरेटरी सूट से ताल्लुक रखती है। इसके उपखंड ४ में जो प्राविजो है उसके शब्द मूल ऐक्ट में यह थे--

"Provided that in suits falling under clause (*a*) where the relief sought is with reference to any immovable property, such amount shall be the value of the consequential relief and if such relief is incapable of valuation, then the value of the immovable property computed in accordance with sub-section (V.), (V.-A) or (V.-B) of this section as the case may be :"

अब इसमें एक नया प्राविजो बढ़ाया जा रहा है जो इस प्रकार है:--

"Provided, further that in all suits falling under clause (*a*), such amount shall in no case be less than Rs. 500."

इस तरह से कोई सूट ५०० पये से कम कास्ट नहीं करेगा। जैसा कि बंसल जी ने बतलाया कि मकान की कीमत चाहे २०० रुपये हो उसकी कोर्ट फीस ५०० पये होगी। यह बहुत बड़ा आघात है जिसको सुन कर लोग सन्न हो जायेंगे। फिर उपधारा ४-बी में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर जो खंड रखे जा रहे हैं उनमें से एक में तो १/१० के स्थान पर १/५ किया जा रहा है यानी १०० फीसदी बढ़ोत्तरी की जा रही है। दूसरे पहले जहां ५० रुपये थे वहां २०० रुपये किये जा रहे हैं यानी ४०० परसेंट बढ़ोत्तरी की जा रही है। तो एक जगह १०० फीसदी और दूसरी जगह ४०० परसेंट की जो बढ़ोत्तरी की जा रही है उसमें यह भी खयाल नहीं किया गया कि इसका भार जा कर किस पर पड़ेगा।

इसी के साथ शेड्यूल १ व २ में भी जो बढ़ोत्तरी की गयी है उसमें बंसल जी ने कहा कि ज्यादा ऊंची जगह वालों के लिये ज्यादा है। मुझे क्षमा किया जाय इस तरह की दलील मैंने कभी नहीं सुनी।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं खंड २ की उपधारा (२) के प्राविजो पर बात कर रहा था जहां यह दिया हुआ था कि डिक्लेरेटरी सूट्स के संबंध में एमाउन्ट १/५ की जगह पर १/१० रखा गया है और इसके आगे यह कहा गया कि रिलीफ सूट में २०० रु० अब रखा जा रहा है जो पहले ५० रु० था। इसके आगे एक बात आपके सामने यह रखनी है कि इसी में एक दूसरा प्राविजो यह था कि--

"And provided further that in the case of (*a*) and (*b*) the amount of court fee leviable shall in no case exceed Rs. 250."

यह (*a*) और (*b*) इंजंक्शंस के बारे में है या राइट ु सम वेनीफिट के बारे में है। इंजंक्शन के बारे में जो अभी तक लिमिट रखी गई थी वह २५० रु० थी अब उसकी जगह पर ५०० ० रखा गया है। आप देखेंगे कि इसको भी दुगुना कर दिया गया है।

डिक्लेरेटरी सूट्स या इंजंक्शन्स इन सब में उन छोटे-छोटे किसानों के झगड़े भी आ पड़ते हैं और उनमें फीस की बढ़ोत्तरी एकदम से दुगनी की जा रही है। और फिर भी हम इस मुगालते में रहें कि इस फीस से छोटे तबके पर असर नहीं पड़ेगा, गलत होगा।

खंड ३ में ४ (c) के स्पष्टीकरण को निकालने की बात कही गई। इससे भी हानि होने वाली है क्योंकि ४(c) का ऐक्सप्लेनेशन है--

"*Explanation*—Clauses (*a*) and (*b*) do not include petitions or suits under any special Act relating to the dissolution of marmaise."

इसमें पेटीशन सूट्स की बात मुस्तसना रखी गई थी। लेकिन अब इसको हटा देने से एक नई चीज पैदा हो सकती है। मुझे विशेष तौर से आपका ध्यान शेड्यूल १ और २ की तरफ दिलाना है जिसमें फी का रेट हर हालत से बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे शेड्यूल १ में प्लेन्ट्स की बात है। यह दावे चाहे लिखे हों जो कि सिविल या रेवेन्यू कोर्ट में उपस्थित किये जायं उनकी कीमत के मुताबिक फी पड़ती है उसके संबंध में है। आप देखें कि यह रेट न केवल बड़ी कीमत के लिये बढ़े हुये हैं बल्कि छोटी कीमतों के लिये भी बढ़ाये गये हैं जहां पर आइटम नम्बर (*ii*) में "exceeds one hundred rupees but does not exceed three hundred rupees." है वहां पर जो पहले १ ० था उसको १ ० ४ आना रखा गया है। इस प्रकार के छोटे-छोटे प्लेन्ट्स दावे न केवल अदालत में बल्कि पंचायतों के जुरिस्डिक्शन के हैं। वहां भी यह केसेज होते हैं और अब फीस १ रु० की जगह १ रु० ४ आना की गई है। जहां तक मुझे पता लगा है पंचायतों की पावर्स ५०० रु० तक की कर दी गई है और यह जो बढ़ोत्तरी होगी उन गांवों के उन लिटिगेंट्स के ऊपर पड़ेगी जो छोटे-छोटे मुकदमों में पड़ जाते हैं।

इसी तरह से तीसरा आइटम जो है "(*iii*) exceeds three hundred rupees but does not exceed five hundred rupees." इसमें भी पहले से बढ़ोत्तरी है और पहले जो १ रु० २५ नये पैसे थे अब उसकी जगह पर १ रु० ५० नये पैसे रखा गया है और उस जगह भी सवा रुपये से डेढ़ रुपया किया गया है। इसी तरह से जो मुकदमें ५०० रुपये तक के पंचायतों में दिये गये हैं उन पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा और वहां भी गरीबों को अधिक फीस देने पर बाध्य किया जा रहा है और १,००० पये के ऊपर के जो मुकदमें थे उन में जो बढ़ोत्तरी हो रही है वह इस आधार पर हो रही है कि जितने बड़े मुकदमें हों उन से अधिक फीस ली जाय। जो गरीब किसान हैं उन पर इस का काफी असर पड़ेगा चाहे बढ़ोत्तरी थोड़ी ही क्यों न की जाय। वह बढ़ोत्तरी भी कम नहीं है २५ परसेंट की, वह अनुचित है।

अब खंड ३ के उपखंड (२) में अनुच्छेद ६ के संबंध में जो बढ़ोत्तरी है ५० नये पैसे की यानी ८ आने के १२ आने, १ पये के २ रुपये, २ पये के ३ रुपये किये गये हैं। यह अनुच्छेद ६ नकल और ट्रांसलेशन के बारे में है जो जजमेंट वगैरह की ली जाती है। यह ऐसी चीज है जिस की हर एक गरीब को जरूरत होती है और उसकी ज्यादातर उन्हीं गरीब लोगों को जरूरत होती है जिन की तादाद ज्यादा है। ६ और ७ दोनों में इजाफा किया जा रहा है, ७ में तो यह है कि चाहे वह डिग्री के फोर्स में हो या न हो और ६ में है कि डिग्री के फोर्स में हो। बहरहाल नकल या ट्रांसलेशन चाहे वह माल अदालत की हो या सिविल की हो सब में बढ़ोत्तरी की जा रही है हाईकोर्ट के अलावा। यह सब ५० प्रतिशत के करीब है। अनुच्छेद ८ में भी ८ आने की जगह १ रुपया, १ रुपये का डेढ़ रुपया किया गया है। ८(ए) जो पावर आफ अटारनी के बारे में है उसमें भी पहले १ रुपया था उस की जगह पर डेढ़ रुपया रखने की कोशिश की गई है।

इसके अलावा अन्त में एक सारणी रखी गई है जिस में तमाम ड्यूटी की एक सूची दी गई है। उस को देखने से पता चलता है कि शुरू में बढ़ोत्तरी १०० रुपया तक यदि नहीं है तो उस के ऊपर भी बढ़ोत्तरी है। तो आप देखें कि जहां १०० में १० रुपये की फीस की बात है जैसा कि पहले भी था, लेकिन १०० रुपये से आगे बढ़ते ही यह बढ़ोत्तरी नये रूप से आती जाती है, सवा ११ रुपये के १२ रुपये, १३ रुपये के पौने १४ पये, इसी तरह से बढ़ता जाता है और यह क्रमिक बढ़ाव बड़ी तेजी से है, यहां तक कि ज्यादा लम्बी रकमों में तो बढ़ोत्तरी एक विशेष प्रकार की है। बड़ी रकमों के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ५० रुपये तक की बढ़ोत्तरी तो छोटे-छोटे किसानों के दावों से संबंध रखती है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

शेड्यूल २ जो अर्जियों के बारे में है उसमें नीचे से ही बढ़ोत्तरी की गयी है। ये चीजें काफी खलने वाली हैं। इसके ए० भाग में ऐसी अर्जियां भी शामिल हैं जो एलेक्टोरल रोल की दुरुस्ती के लिये दी जाती हैं। उनकी भी फीस जो पहले ४ आने थी अब ८ आने की जा रही है। मतदाता सूची में दुरुस्ती के लिये अधिकतर छोटे-छोटे और गांव के लोग ही अर्जी देते हैं। इस संबंध में अगर हम कुछ भी अधिक मांगने की बात करते हैं तो एक प्रकार से बड़ा अन्याय करते हैं। शायद मंत्री जी तो इस पर ध्यान न दें, लेकिन मैं सारे हाउस का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं।

इसी तरह ५० रुपये तक के जो मुकदमें हैं उनके बारे में पहले १ रुपया फीस थी, लेकिन अब उसकी जगह सवा रुपया कर रहे हैं। इसी प्रकार २ की जगह ढाई और पौने ४ की जगह ५ रुपये रखे गये हैं। ५० रुपये तक के स्माल काज कोर्ट के मामले अब ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। अतः इस बढ़ोत्तरी का असर उन्हीं किसानों पर पड़ेगा। आप देखेंगे कि खंड ४ के सी० में अगर हमको किसी कलेक्टर को दरख्वास्त देनी हो कि किसी प्रकार का वारन्ट या समन्स इश्यू हो सके उसमें भी बढ़ोत्तरी हो जायगी। डी० में तो यहां तक है कि विलेज पंचायत ऐक्ट के अन्तर्गत अगर कोई दरख्वास्त देनी पड़े तो उस पर भी यह बढ़ोत्तरी लागू होगी। ई० में तो यहां तक है कि अगर हम किसी कोर्ट में रेंट, रेवेन्यू या कोई और रकम जमा करने के लिये दरख्वास्त दें तो उसमें भी बढ़ोत्तरी होगी जो कि अन्ततोगत्वा उन लोगों पर पड़ेगी जो बहुत ही छोटे तबके के हैं और परेशानजदा हैं। इसी प्रकार से खंड ४ के उपखंड (२) के अनुच्छेद में एक नई धारा के जोड़ने की बात रखी गई है। उसमें एक नई विशेषता है। इसमें विधान की धारा २२६ के अनुसार यदि कोई रिट पेश करना चाहे तो उसमें फीस १०० रुपये रखी गई है। यह एक नई धारा जोड़ी जा रही है। हैबीयस कारपस के बारे में जो नियम है उसके अलावा कभी-कभी इलेक्शन पिटीशन में भी रिट की आवश्यकता होती है और वह हाई कोर्ट तक या इससे आगे भी जाती हैं उनमें फीस १०० रुपये लगने वाली है। इसलिये यह नई धारा न्याय पाने वालों के विरुद्ध पड़ेगी। कभी-कभी रिटर्निंग आफिसर्स या चुनाव कराने वाले प्रेजाइडिंग आफिसर्स एक तरफा न्याय करते हैं और बेईमानी करते हैं तो उनका प्रतिकार करने के लिये लोग रिट दाखिल करने के लिये बाध्य होते हैं तो यह ऐसे लोगों के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ होगा और उनके साथ अन्याय होगा।

इसी खंड के उपखंड (२) के (४) में कोड आफ सिविल प्रोसीजर की धारा ११५ में रिवीजन आफ आर्डर के लिये पहले ५ रुपये फीस थी वह अब १० रुपये बढ़ाई गई है यानी दुगुनी कर दी गई है। इससे पहले जो धारा (१) है उसमें कम्पनी ऐक्ट के मुताबिक किसी कम्पनी के वाइंडिंग के लिये पहले ६२ रुपये ८ आने फीस थी वह अब १०० रुपये की जा रही है। इस तरह से नहीं बढ़ानी चाहिये।

अब मैं इसी के उपखंड (३) के अनुच्छेद १ के खंड (f) में २ रुपये की जगह ढाई रुपये और ३ रुपये की जगह पर ५ रुपये रखने की बात है उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि यह एक अन्याय की बात रखी गयी है। अब मैं विशेष तौर से अनुच्छेद १० पर आता हूं। यह वकालतनामा और मुख्तारनामा के बारे में है। इसकी प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमें में जरूरत पड़ती है। इसमें १ रुपये के बजाय सवा रुपया कर दिया गया है। मंत्री जी की तरफ से कहा जायगा कि थोड़ी-सी बढ़ोत्तरी है, लेकिन एक ऊंट जिस पर इतना बोझा है कि वह बैठा जाता है तो एक तिनके का बोझ भी उसके लिये प्राणांत का जरिया बन जायगा। इसी तरह से हमारे ऊपर टैक्सेज इतने ज्यादा हैं कि एक आने की बढ़ोत्तरी भी प्राणांत करने वाली है। कमिश्नर्स कोर्ट में जो दो रुपये और ३ रुपये ७५ नये पैसे रखने की बात थी उनमें जो बढ़ोत्तरी की गयी है वह दो रुपये के स्थान पर ढाई रुपये और पौने चार रुपये के स्थान पर ५ रुपये कर दिया गया है। यह नीचे दरजे के वकालतनामों के बारे में है। लेकिन

आपके ध्यान देने लायक है। अगर कोई समरी ट्रायल को सेट असाइड कराना चाहे या अपील हो उसमें साढ़े १८ रुपये की जगह पर २२ रुपये रखा गया है, लेकिन विशेष तौर पर डेक्लेटरी सूट्स में जहां नये क्लाज बढ़ाये जा रहे हैं उसमें १८ रुपये १२ आने के स्थान पर २५ रुपये रख दिया गया है। इस अनुच्छेद १७ के खंड (ख) में दिया हुआ है:

"To obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed in any suit, not otherwise provided for by this Act." अब इसमें एक नया ग्रेडेशन कर दिया गया है—

"When the value of the suit or appeal, for purposes of jurisdiction, does not exceed one thousand rupees . .. . . twenty five rupees."

एक हजार रुपये के ऊपर ५० रुपये और ५ हजार रुपये के ऊपर १०० रुपये और १० हजार रुपये के ऊपर २०० रुपये। ये नयी धारायें हैं और जो पहले सुविधायें प्रदान थीं उनका भी हरण कर लिया गया है। पहले सभी का १८ रुपये १२ आना पड़ता था।

इसी प्रकार से इसके नीचे लिखा है—

"every other suit not otherwise provided for by this Act."

उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में फीस २५० रुपये रखी है। यह पहले केवल १२५ रुपये थी। अनुच्छेद १८ में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। यह आर्बिट्रेशन के संबंध में है। सेक्शन २० के अन्तर्गत जो दरख्वास्तें हैं उनमें १८ रुपये १२ आने की जगह पर २२ रुपये हैं। इस बढ़ोत्तरी के लिये भी ग्रेडेशन कर दिया गया है। इसमें अन्ततः बढ़ोत्तरी होती है। अनुच्छेद २१ का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि नये कानून की हेरफेर की वजह से आवश्यकतावश किया गया है। लेकिन नीचे २२ में नयी चीज है, वह है एलेक्शन पेटीशन के बारे में। आजकल चुनावों में धांधली होती है। इसे हम लोग इसलिये मानते हैं कि यह कर्मचारी यह समझते हैं कि जिसका नमक खाओ उसी की नाव खेओ। अभी जब तक बहुमत है उसी के साथ रहो। नहीं तो कहीं नौकरी न खतरे में आ जाय। वह उस नाव को खेने के लिए कभी-कभी जरूरत से ज्यादा वफादारी दिखाते हैं। यह काम चुनावों में हुआ करते हैं और उन में एलेक्शन पेटीशन का एक सहारा रहा करता है। सरकार ने सोचा कि अब एलेक्शन पेटीशन बढ़ रहे हैं यहां भी कुछ फायदा हो सकता है। इसमें भी उन्होंने फीस बढ़ायी जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक और जुल्माना ढंग पर है। जहां फीस १२५ रुपये थी वहां पर १५० रुपये, जहां बिलकुल नहीं थी वहां नयी बढ़ा दी गई है।

एक बात यह भी हुयी है कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन एलेक्शन पेटीशन फाइल करे तो टैक्स और दे और मेम्बर करे तो और दे। मालूम नहीं, चेयरमैन, मेयर और मेम्बर के चुनाव पेटीशन लड़ने में अन्तर क्या है, ऐसी कौन सी कानूनी पेचीदगियां चेयरमैन या मेयर के लड़ने में आवेंगी यह समझ में नहीं आता। म्युनिसिपल बोर्ड्स के अतिरिक्त नोटीफाइड एरियाज, टाउन एरियाज और गांव पंचायतों के भी एलेक्शन पेटीशंस होते हैं उनके लिये चेयरमैन वगैरह करे तो उसके लिये ५० रुपये रख दिया और मेम्बर करे तो २५ रुपये दे। मेम्बरों के एलेक्शन पेटीशन के लिये जहां पहले साढ़े १२ रुपये था वहां २५ रुपये कर दिया गया है। मैं जानता हूं कि ग्राम पंचायतों की मेम्बरी की फीस ४ रुपये है और एलेक्शन पेटीशन के लिये २५ रुपये जब कोई दाखिल करे तो न्याय पा सके। तो नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और ग्राम पंचायतों के मेम्बरों और चेयरमैनों क एलेक्शन पेटीशन लड़ने की फीस में इतना अन्तर है।

मैंने एक-एक हिस्सा लेकर आपके सामने रखा कि कहीं भी ऐसी बढ़ोत्तरी ढूंढ़ने से नहीं मिलती जो न्याय के आधार पर हो। एक ही लाठी से सबको हांका गया है कि जहां से रुपये मिल सकें घसीटो। होगा इससे यह कि मंत्री जी ने कहा कि इस बढ़ोत्तरी से मुकदमे-बाजी घटेगी तो मुकदमेबाजी घटना तो दूर रहा, लेकिन लोग तबाह हो जायेंगे। जो लोग

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

किसी रूप से अब भी आशा लगाये हुये हैं कि न्यायालय में न्याय होता है और इसी आशा पर लोग मकान, बाग, कपड़ा-लत्ता सब बेंच डालते हैं, उनके लिये तो न्याय अब और भी मंहगा हो जायगा और देर से मिलेगा। कहा जाता है कि न्याय सस्ता हो और जल्द मिले। लेकिन दोनों बातें समाप्त की जा रही हैं। देर वाली बात तो पहले से चल रही है, लेकिन सस्ता होना खराब समझा गया है, स्टैंडर्ड ऊंचा है इसलिये उसको अब मंहगा बना दिया और बनाया जा रहा है।

कभी-कभी तो जब टैक्स बढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने कहा है और उसी के कहने के अनुसार हम यह टैक्सेशन लाये हैं। पता नहीं कि कहां पर टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने कोर्ट फीस ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कहा है, लेकिन आज उसकी उपयोगिता और आवश्यकता को हमारे सामने रखा गया है।

और मजे की बात यह है कि मंत्री जी ने उसकी आवश्यकता को बताते हुये कितने सुन्दर शब्दों में कहा कि न्यायालय के भवनों की कमी है, जजेज की कमी है और दबे हुये शब्दों में यह भी कह दिया कि प्लानिंग में रुपये की कमी है। इन तीनों बातों को कसौटी पर कसकर ही हर एक सदस्य को देखना चाहिये कि जहां छोटे-छोटे आदमियों से लेकर बड़े-बड़े लोगों तक से जो रुपया लिया जा रहा है उसका क्या औचित्य है। कोई पुलिस बैंड चाहता है, कोई आर्म्स चाहता है या आतिशबाजी लगाने के लिये या किसी भी बात के लिये दरख्वास्त लगानी पड़े तो कौन बचेगा इससे? मैं इस सेक्शन के अन्दर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, नहीं तो मैं आपको बताता कि इसके अन्दर क्या-क्या कहा जा सकता है। जरा भी कहीं जरूरत पड़ती है किसी कागज को देखने की या अफसर से मुलाकात करने की या और किसी तरह से तवज्जह देने की सब में पैसा अधिक लगता है। मैं क्या-क्या कहूं हर एक जगह रुपये की बात है। सरकार से बात करो तो रुपया दो। अभी तक तो किसी चीज को लेने के लिये ही पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब तो बात करने के लिये पैसा लगेगा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इन भवनों की बात को देखने का कष्ट करें। इस संबंध में हमारे एक भाई ने कहा था कि वहां पर इस तरह से जगह है कि मुद्दई मुद्दालेह को सट कर खड़ा होना पड़ता है तो इसकी वजह से अदालत का रोब नहीं बनता है। यह कचेहरियां रोब से चलने वाली हों या ये अफसर रोब से बहस सुनने वाले हों, लेकिन इन बातों के अलावा जो हमारे गरीब और निर्धन देश के लोग हैं जो देहात से आते हैं उनके लिये इस प्रकार से भार उठाना कहां तक संभव है, यह देखने की बात है। इस प्रकार से ऐसे देश में कहना ---एक प्रकार से इस तरह की बात है जो चिढ़े हुये को चिढ़ा देना है।

रही अफसरों के बढ़ाने की बात, वह तादाद बढ़ाने की बात तभी सोची जा सकती है जब इन वर्तमान अफसरों को निकम्मा कहें या नमक हलाल कहें, लेकिन यह वास्तव में अपने काम को पूरा करने वाले हर्गिज नहीं हैं। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो इस प्रकार के उदाहरण सामने न आते। मुझे एक बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बात करने का मौका मिला। वह बड़े योग्य माने जाते थे। तो मैं उनसे जानना चाहा कि आप बतलाइये कि कितने मुकदमें आपके पास हों जो आप निपटा लें। उन्होंने कहा कि १०,१५ मुकदमें हों तो कर लिये जायेंगे लेकिन कंटेस्टेड मुकदमों को वह ४ से ज्यादा नहीं करना चाहते थे। अब आप सोचिये कि ५ घंटे के अन्दर बैठ कर वह ४ मुकदमें ही करना चाहता है और अपना लंच का टाइम भी नहीं काटना चाहता। आप श्रीमन्, चूक जायं लेकिन वह नहीं चूकेगा। लंच में वह खाता कुछ नहीं है केवल बात करता है। श्रीमन्, इन अदालतों ने जितना चौपट किया है इस देश को उतना किसी ने नहीं किया है। जितनी इन अफसरों की लापरवाही ने इस देश को तबाह किया है उतना और किसी तरह से यह देश तबाह नहीं हुआ है।

इन अदालतों में आप देखें कि एक और लगुवा लगा हुआ है। मैंने कुछ इतिहास पढ़ा है और यह जानता हूं कि पहले राजाओं के दरबार में एक वकील हुआ करते थे। आज भी हमारे किसानों के वकील हैं। हर अदालत में जाकर आप देखिये कि वकील बिना कोई काम नहीं चलता। इन वकीलों की संख्या शायद मक्खियों की संख्या से भी अधिक है जिस तरह से मक्खी खाने में आकर गिरती है उसी प्रकार से यह वकीलों की भी भरमार है। ये किसी को बात नहीं करने देते। आप किसी मुकदमें के लिये किसी अदालत में जायं तो वहां पर बिना वकील के आपसे कोई बात नहीं करेगा। वह फौरन कहते हैं कि अपने वकील को लाइये। मुझे कई बार राजनीतिक जीवन में जेल जाने का मौका मिला तो वहां पर मैंने बात करनी चाही तो वहां भी यही मुसीबत सामने आई कि वकील लाइये। मुझे बहुत लड़ना पड़ा और मैंने कहा कि मैं वकील नहीं लाऊंगा, चाहे आप मेरी बात सुनें या नहीं तो भी मेरी बात नहीं सुनी गयी। यह अदालत के दलाल लगे हुये हैं। वकीलों से भी ज्यादा मुसीबत ला से है। मैं देहात का रहने वाला हूं। हमारी बुद्धि में तो ला आ नहीं सकता। हमारी गांठ का पैसा निकल जाता है और हम मूक के मूक बने रहते हैं। श्रीमन्, ऐसे मुवक्किल के लिये जिसको ऐसी अदालतें और कानून और ऐसे वकील मिले हैं, आप कोर्ट फीस बढ़ाने जा रहे हैं और उससे एक रुपये की जगह सवा रुपया मांगा जा रहा है। कहा जाता है कि सिर्फ ४ आना बढ़ा रहे हैं। ऐसी अदालत और न्याय के खिलाफ भी जो हमारी बात नहीं सुनना चाहते, ऐसे मंत्री यहां आसीन हैं। मैं उन्हीं के लिये कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष —अगर सब बात एक ही माननीय सदस्य कह दें तो दूसरों के लिये कुछ नहीं रहेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी——आपकी आज्ञा से मैं बैठ जाता हूं, लेकिन यह जो १० घंटे का समय नियत किया गया है उसमें हमारा अधिकार था कि हम अपनी पूरी बात कह सकते। फिर भी मैंने एक ग्रामीण के नाते अपनी बात आपके सामने रखी कि अदालतों और उनकी फीस से हमको क्या परेशानी है और इसलिये अब और जले पर नमक न लगाइये। इसके साथ ही कहूंगा कि न्याय जल्दी और सस्ता दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——पहला प्रस्ताव श्री जमुना प्रसाद शुक्ल का था और तीसरा श्री ब्रजनारायण जी तथा रघुराज सिंह जी के नाम से है। उन्हीं को इजाजत दी जायगी। बाकी प्रस्ताव यक-सां हैं इसलिये उनकी इजाजत नहीं दी जायगी बल्कि वक्ताओं को अवसर दिया जायगा।

*श्री गोविन्दसिंह दिष्ट——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष——आपका प्रस्ताव नहीं पेश होगा। प्रवर समिति का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है और उन्हीं दो प्रस्तावों में सब का समावेश हो जाता है।

श्री गोविन्दसिंह दिष्ट——मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव की ताईद में बोलने खड़ा हुआ हूं। मौजूदा सिटिंग में कई बिल टैक्सेशन के आ गये हैं और कुछ ऐसा अन्दाजा लगता है कि आगे भी कुछ सैलाब आने वाला है। इस बात को तो जनता बतायेगी कि जो सरकार इतने ज्यादा टैक्स लगा रही है और उनको बढ़ाती जा रही है उसका क्या हश्र होगा, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसी तरह की बातें करने से यहां ४० के १४० हो गये और पिछली बार स्टैम्प ड्यूटी बिल पर वोटिंग के समय कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने भी उस तरफ वोट नहीं दिया। तो माननीय मंत्री जी को इस बात का खयाल करना चाहिये। जहांगीर के दरबार में एक घंटी लगी रहती थी और हर एक आदमी को दरबार तक जाने की इजाजत थी। न्याय के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

लिये उस समय कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती थी। हिन्दुस्तान की तवारीख अभी इतनी पुरानी नहीं हुई है कि माननीय मंत्री जी लखनऊ के बाशिन्दे होकर उसको भूल जायं। आज यहां न्याय बेचा जाने लगा है। माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि हमारे इखराजात बढ़ गये हैं, हमारे प्लान के लिये उसकी जरूरत है इसलिये टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जितना ज्यादा पैसा वसूल होगा उतना ही ज्यादा प्लान पर खर्चा किया जा सकेगा। माननीय प्रतापसिंह जी उधर गये तो मंत्री जी ने उनको बताया कि ३० लाख रु० वसूल होने का रफ एस्टीमेट है। माननीय मंत्री जी ने अपनी जबान शरीफ से हमें तो बताया नहीं। यह टैक्स इसलिये नहीं बढ़ाया गया है कि कोर्ट फीस ऐक्ट में कोई लेक्यूना रह गया हो या किसी हाई कोर्ट ने उसके प्रावीजन को सेट एसाइड कर दिया हो। इस बारे में माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ बात कह दी कि वह प्लान के खर्चे के लिये बढ़ाया गया है। यानी अन-शुगर कोटेड कुनैन उन्होंने हमें खाने को दी है। माननीय सदस्यों से मैं अपील करता हूं कि वे उनके चैलेंज को स्वीकार करें। शुरू में जब बजट पेश होता है तो उद्योग वगैरह के नाम पर लाखों रुपया रखा जाता है और डेफीसिट फाइनेंसिंग की जाती है। जहां ९-९ करोड़ का डेफीसिट होता है वहां ४-४ करोड़ का सरप्लस हो जाता है और यह सरप्लस ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में नहीं होता बल्कि वह नियोजन की मदों में होता है। जैसे ५४-५५ में मूल बजट में ३,९१ लाख का घाटा था लेकिन बाद में ६१ लाख का सरप्लस हो गया। उद्योग में कमी हुई ७३ लाख, और ४२७ लाख की कमी हुई विद्युत में। तो जिन चीजों के लिये जनता पर टैक्स लगाया जाता है उनमें तो कमी हो जाती है और ऐडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं।

कल हमें एक पुस्तिका मिली। ५५ की पुस्तिका ५८ में मिली। आडिट में जहां कि बहुत से झगड़े होते हैं फिर भी वे ५८ की रिपोर्ट ५८ में ही देने लगे हैं, लेकिन यह सामान्य प्रशासन वाले ३ साल के बाद रिपोर्ट देते हैं। नान-डेवलपमेंट परपज में ५०-५१ में २७,२२ लाख रुपये से बढ़कर ४६,७२ लाख हो गया है। यह बढ़ोत्तरी ऐडमिनिस्ट्रेशन में हुई। लेकिन प्लानिंग में ११,१८ लाख से बढ़ कर केवल १३,८१ लाख ही हुआ। जब कि एडमिनिस्ट्रेशन में करीब-करीब दुगुना हो गया। कोई इंतिहा भी है? और प्रांतों से मुकाबला कर लीजिये। इसी दरमियान में बिहार में ११,९४ लाख से बढ़कर नान-डेवलपमेंट परपजेज के लिये १६,३५ लाख हो गया, बाम्बे में २९ करोड़ से बढ़ कर ३६ करोड़ हो गया और पश्चिमी बंगाल में २२,६९ लाख से बढ़ कर २५,८९ हुआ।

अब इन्हीं प्राविसेज का खर्चा डेवलपमेंट में देखें कि वह कितना बढ़ा हुआ है। अगर बम्बई को ही ले लिया जाय तो उनके यहां १३·७ से १५·५४ बढ़ा है। तो गुजारिश करने का मंशा यह है कि आप टैक्स तो हमसे सबसे ज्यादा लें और प्लान पर सब से कम खर्च करें और कहें यह कि हम यह टैक्स पंचवर्षीय योजना के लिये ले रहे हैं। तो ऐसी बात क्यों कही जा जाती है जो गलत है? इसके अलावा श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री जी ने बतलाया कि अपीलें बढ़ी हैं, मुकदमें बढ़े हैं। उन्होंने सामान्य प्रशासन के बारे में जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक मैं मानता हूं कि फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, ओरिजिनल डिग्री के मुकदमें जो चलते हैं सन् १९५४-५५ में उनकी संख्या में ३,४४२ का इजाफा हुआ है। इसी तरह से और मुकदमों को भी ले लिया जाय तो सन् १९५४-५५ में जहां १,५०,७१३ मुकदमे थे वहां १९५५-५६ में १,५७,२९९ हो गये, यानी ६,५८६ मुकदमें बढ़ गये। इसी तरह से ४,१०,३१,९१२ रु० के वैलूएशन सूट्स एक साल में दाखिल हुये। तो जहां माननीय न्याय मंत्री जी यह कहते हैं कि मुकदमें बढ़ने की वजह से खर्च बढ़ गये हैं वहां उनको इस बात को कहना चाहिये कि उसके साथ ही साथ सरकार की आमदनी भी बढ़ गयी है। क्योंकि जो कोर्ट फीस मिलती है उसके अलावा भी सरकार को सेल्स टैक्स या स्टैम्प ड्यूटीज से जो मिलता है, वह भी दुगुने चौगुने

वक्त माननीय मंत्री जी का जो अनुमान होता है वह तो बहुत कम होता है उनके अनुमान से वाज वक्त आमदनी दुगुनी तिगुनी तक बढ़ जाती है।

तो इस तरह की चीजें जो की जाती हैं वे किस नाम पर? ये चीजें योजना के नाम पर, देश के नाम पर और गरीबों के नाम पर की जाती हैं और इस तरह से गरीबों की कमर ही तोड़ दी जाती है। माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने कोई सेक्शन तो हमारे कहने के लिये छोड़ा नहीं है, फिर भी कुछ खास बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी की राय है कि कई सौ मुकदमें बढ़ गये हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन डिक्लेरेटी सूट्स के लिये जहां पहले १८ रु० १२ आना लिया जाता था वहां अब कम से कम २५ रु० हो गया है, इसी तरह से ईजमेंट के सूट्स है, उसका मतलब यह है कि किसी को निकलने के लिये रास्ता नहीं है तो उसे रास्ता दिलाया जाय। उसके लिये यह है कि १/५ उसका वैल्यएशन हो या वैल्यूएशन कोई न हो तो कम से कम ५०० रु० उसका वैल्यूएशन माना जायगा। उसके लिये जहां पहले ५५ रु० ड्यूटी थी उसको बढ़ा कर अब ६५ रु० कर दिया गया है। इस तरह से आदमियों को रास्ता भी चलने के लिये खरीदना पड़ेगा। अब लोगों का रास्ता चलना भी दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। कांग्रेस के इस कल्याणकारी राज्य में और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करने वाले राज्य में लोगों के रास्ता चलने पर भी दिनों-दिन टैक्स बढ़ता जा रहा है। जिस राज्य की यह हालत हो कि गरीबों का रास्ता चलना भी मुश्किल हो और रास्ता चलने के लिये भी टैक्स देना पड़े तब तो टैक्स की इन्तिहा हो गयी। रावण के राज्य में ऋषियों के पास कुछ नहीं था तो उनके खून का टैक्स लिया जाता था। आज जनता के पास हड्डियों के अलावा कुछ देने को नहीं है। रावण ने सीता हर ली थी तो उसका नाश हुआ था। किसान भी वज्र बन कर रहेगा और उसका असर लाबीज में नजर आ रहा है। जलजला आने वाला ही है। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिये कि हम यहीं बनें रहेंगे। रावण के घर में सूरज और चन्द्रमा आते थे और हवा झाड़ू लगाती थी, लेकिन उसका भी नाश हो गया। अगर इस सरकार की भी यही हालत रही तो यह भी मिट कर रहेगी। यह जनता से टैक्स नहीं लिया जा रहा है बल्कि उसका खून चूसा जा रहा है।

माननीय मंत्री ने कहा कि सन् १९४३ से टैक्स ही नहीं बढ़ा। केवल फीगर्स को राउन्ड अप किया गया। यह राउन्ड अप टैक्स बढ़ाना नहीं था तो क्या था? जहां १५ आने थे वहां १ रुपया कर दिया गया। बड़े-बड़े मुकदमों में सैकड़ों अर्जियां लग जाती हैं। पहले ८ आने लगते थे। अंग्रेजों के जमाने में १२ आने हुये, फिर उसे १५ आने किया गया। १५ आने को राउन्ड अप करने के लिये १ रुपया किया गया। अगर किसान के लिये न्याय सस्ता करना था तो १५ आने को १२ आने क्यों नहीं किया गया? यही नहीं जहां १ रु० १ आना था वहां उसे १ रुपया करने के बजाय १ रु० ४ आना कर दिया। हर जगह बढ़ाया ही गया है। यहां तक कि १ आने के नये ६ पैसे होते हैं, लेकिन उसे १० नये पैसे कर दिये गये यह सन् १९५८ की तरमीम का नतीजा हुआ था। न्याय दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है।

कई तरह की अर्जियां लगती हैं। २,३ या ४ आने के टिकट पहले उन पर लगते थे। मंत्री जी ने उसे बढ़ा कर ८ आने कर दिया। कुछ अर्जियां गवाह समन करने की, एडजर्नमेंट की डाली जाती हैं। उनके लिये ८ आना देने पड़ते थे। बढ़ा कर १२ आने फिर १५ आने किये गये और फिर अब १ रुपया कर दिया गया और उसे अब सवा रुपया करना चाहते हैं। कुछ अर्जियों पर १ रुपया पड़ता था उसे बढ़ा कर २ रुपया किया गया और अब ढाई रुपया करना चाहते हैं। नकल चाहिये अपने मुकदमें की भी और दूसरे के मुकदमें की भी। ओरिजिनल नकल जो ८ आने में मिलती थी अब उसके लिये डेढ़ रुपया हो गया। १,२०० वर्ड्स के लिये जो रकम फिक्स्ड थी उसमें भी इजाफा किया गया और फिर उसके बाद हर ३६० वर्ड्स के लिये ८ आने के १२ आने हो गये। इस तरह से चारों तरफ बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। इस तरह से गरीब तो न्याय पा ही नहीं सकता। यही नहीं माननीय

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

मंत्री जी कौन सा पारसी डाइवोर्स होने वाला है उसमें भी कुछ टैक्स रख रहे हैं। अभी तक यह पारसी डाईवोर्स कोर्ट फीस ऐक्ट में प्रोवाइडेड तक नहीं था। हिन्दुओं के यहां डाइवोर्स के साढ़े ३७ रुपये रखे गये हैं।

इन सब बातों के साथ-साथ मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूं और प्रांतीय सरकारों के अगर हम न्याय शुल्क, कोर्ट फीस, स्टाम्प फीस या रजिस्ट्रेशन फी वगैरह देखें तो बिहार में १९५०-५४ के बीच में कमी हुई है २५ लाख की टैक्सों में इन्हीं मदों में। बम्बई में ४ लाख की कमी हुई है। पंजाब में ५ लाख पये की कमी हुई है, ओवर आल, वेस्ट बंगाल में ५ लाख की कमी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कि कुछ नहीं बढ़ा, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया इन ४ वर्षों के भीतर तब भी अपने आप २४,००,००० ० की बढ़ोत्तरी हो गई। जब बिना टैक्स बढ़ाये यह हाल है, पहले करेला कड़वा उस पर भी नीम चढ़ा, यह मंत्री जी की फीगर्स हैं। आर्गूमेंट दें कि किस तरह से वह जस्टीफाई करते हैं बढ़ोत्तरी ? किसी तरह तो उनका टैक्स जस्टीफाई नहीं होता। फिर किस मुंह से हमसे मांगते हैं। उनकी पंचवर्षीय योजना की क्या सफलता है ? पहले साल में जब कहा गया कि योजना की सफलता की बुनियाद यह होती है कि जनता ने कितना सहयोग दिया। पहले साल यह कहा गया कि २ करोड़ आदमियों ने इसमें सहयोग दिया और १,६०,००,००० रुपये का काम हुआ। मैं पूछता हूं कि इन ६-७ साल में जब से योजनायें चल रही हैं आज कितने आदमियों की आस्था इस योजना में रह गई ? जो करोड़ों में आदमी आते थे वह इस उम्मीद में आते थे कि कुछ देश का भला करेंगे। लेकिन आज उनकी संख्या लाखों में क्या, हजारों में भी नहीं रह गई और इसमें भी मुझे शक है। जहां देखिये आदमी कराहता है और रात दिन कहा यह जाता है कि योजना के नाम पर दो, जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि जजमान दक्षिणा दो भगवान तुम्हारा भला करेगा। कांग्रेसी राज्य के ११ साल में बेकारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, किसान तबाह है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि भले ही आप बहुमत में टैक्स लगा लें, लेकिन बाहर बहुत से लोग हैं जिन पर यह टैक्स पड़ेगा और जब उनका रोष भड़क पड़ेगा। तो सरकार उसमें स्वाहा हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं अपील करूंगा कि वह इस तरह के जालिमाना टैक्स को वापस लें।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विष्ट जी ने बहुत ही करुणा भरी शब्दावली से हम लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि यह विधेयक अत्यन्त अन्यायकारी है। मैं एक बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और उसको, मेरा ऐसा खयाल है कि अगर माननीय मित्र समझ लें तो बहुत सी भ्रमात्मक बातें जो यहां होती हैं वह न हों। माननीय विष्ट जी ने आरम्भ से अन्त तक इस विधेयक को एक टैक्सेशन विधेयक कहा और यह भी कहा कि यह टैक्स तुम लागू कर रहे हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जायगा। मैं स्पष्ट कह दूं कि, वह स्वयं वकील हैं और कदाचित् वह अगर थोड़ी सी मेहनत करते तो फी और टैक्स में क्या अन्तर है उनको मालूम हो जाता। और अगर फी और टैक्स में अन्तर मालूम हो जाता तो बहुत सी बहस जो यहां हो रही है वह कदाचित् न होती। श्रीमन्, यह प्रश्न कि फी और टैक्स में क्या अन्तर है यह विभिन्न उच्च स्तरीय न्यायालयों में, हाई कोर्ट में उपस्थित हो चुका है और उसके संबंध में विचार हो चुके हैं, निर्णय हो चुके हैं और जो व्याख्या उन निर्णयों में हमें मिलती है उससे कदाचित् सरकार को भी और हमारे मित्रों को अवगत हो कर अपने दृष्टिकोण निश्चय करना ही पड़ेगा। श्रीमन्, इस समय के अमेरीका में हमारे अम्बेसेडर (Ambassador) जस्टिस छागला ने अपने एक जजमेंट में फीस और टैक्स के भेद को बताया है, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं---

"In order to decide whether a certain levy is a tax the real test to be applied is to consider whether the levy is made for purposes of raising public revenues of the States; it must be intended to be spent for Government purposes."

अर्थात् जहां कहीं भी किसी प्रकार का कर या किसी प्रकार की लेवी जनसमुदाय पर लगाई जाती है और उस का मंतव्य यह होता है कि उसे गवर्नमेंट रेवेन्यूज में रखकर जनसमुदाय के उपयोग में लाया जाय, वह टैक्स होता है। अब "The levy must not be for services rendered by Government and to be utilised in connection with those services. If a section of the public pays a certain levy and if that levy....."

में विशेष बल दूंगा "If that levy does not form part of the public revenues..... and if levy is utilized by Government in connection with services.... then it is not a tax....."

तो निश्चित ही श्रीमन्, इस बिल के संबंध में पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करना ही भ्रमात्मक है, निश्चय ही अगर सरकार जो कुछ धन उस को प्राप्त होगा इस कोर्ट फीस के द्वारा, अगर उस धन को किसी और मद में प्रयोग में लाये तो वह अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करेगी और एक अन्याय करेगी, यह मेरा विचार है कि एक खयानत करेगी। जो धन जिस के लिये लिया गया है और फीस के नाम पर लिया गया है उस धन का केवल उसी सर्विस के लिये प्रयोग होना चाहिये जिस के लिये वह फीस ली गई है। मैं अधिक नहीं पढ़ूंगा एक छोटा सा वाक्य जो जस्टिस शाह का एक दूसरे मुकदमें से संबंधित है उसे आप की आज्ञा से पढ़ूंगा--

"The test for distinguishing between a tax and a fee is not whether the levy is compulsory, nor whether it is an amount which varies with the capacity of a party required to pay, nor wehther the party obtains a benefit commensurate with the amount paid by him, but the test is whether in providing the service.....the levy is collected....."

अतः श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय विष्ट जी से कहना चाहता हूं कि यहां इस विधेयक के संबंध में अमीरी और गरीबी का प्रश्न उठता ही नहीं। कौन है इस सदन में जो इस बात से परिचित नहीं है, विशेषकर किसी वकील से पूछा जाय कि कितनी गरीबी, कितनी दरिद्रता हमारे देश में छाई है, मैं वह दिन नहीं भूल सकता, कदाचित् माननीय मंत्री जी को वह दिन देखने को नहीं मिले। वह दिन कि जब प्रारम्भिक वकालत में पेड़ के नीचे बैठे हुये हम वकील उन दर्द भरी आंखों को देखते थे जो दरिद्रता के कारण १-१ और २-२ रुपये पर वकील करते थे। यह दुर्व्यवस्था का तथ्य ठीक है। विशुद्ध, एब्सोल्यूट दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाय कि हमारा देश गरीब है और उसी दृष्टिकोण से अगर नापा तौला जाय तो कदाचित् जो आक्षेप विधेयक से संबंधित प्रस्तुत हुये हैं, वे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो वास्तविक कानूनी दृष्टिकोण है अगर उससे देखें तो जो बहस इस सदन में होनी चाहिये वह यह होगी कि मंत्री महोदय, आप यह बताइये कि आपको कितना रुपया चाहिये, अगर उस धनराशि के लिये कोर्ट फीस बढ़ाना अनिवार्य है तो मजबूरी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--देने वालों से भी पूछा जायगा ?

श्री मदनमोहन--मैं कह लूं तब आप कहियेगा, इतना ही निवेदन है। वैसे आप खड़े हो कर कोई प्रश्न पूछें तो कदाचित् अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री उग्रसेन--क्या वर्मा जी यह भी सुझाव दे सकते हैं कि देने वालों से भी पूछा जायगा ?

श्री मदनमोहन--श्रीमन्, हमें तो यह देखना है कि इस वक्त उन सेवाओं के लिये वास्तविक आवश्यकता है या नहीं कि जो सरकार न्याय के क्षेत्र में देना चाहती है। इस सम्बन्ध में यह निर्विवाद है कि आज मुकदमेबाजी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारे एक माननीय मित्र उपाध्यक्ष महोदय, कह रहे हैं कि वकील लोग गलत राय देते हैं। हमारे दूसरे मित्र कहते हैं कि चूंकि गलत कानून बनाया है इस वजह से यह मुकदमेबाजी बढ़ गयी है। मैं दोनों का उत्तर दे दूं। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारा देश यद्यपि गरीब है, यद्यपि अपेक्षाकृत शिक्षाविहीन है

[श्री मदनमोहन]

लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि हमारे देश की ग्रामीण जनता अपने स्वत्वों को समझती है, देश की ग्रामीण जनता समझदार और सूझबूझ की है ? क्या यह इससे सिद्ध नहीं होता कि इस सदन में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले माननीय सदस्य उपस्थित हैं ? और क्या कोई यह कहने के लिये तैयार है कि जो सुझाव वे इस सदन में प्रस्तुत करते हैं वे सुनने के योग्य नहीं होते। मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है कि बीसों वर्ष, जब तक कि कांग्रेस अपना व्यापार केवल नागरिक क्षेत्र में परिसीमित करती रही तब तक स्वतंत्रता स्वप्न में भी नहीं दिखलाई देती थी, लेकिन जिस समय वह क्षेत्र विस्तृत हो गया और कांग्रेस का संदेश हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया तो स्वतंत्रता हमारे सामने आ कर खड़ी हो गयी। अगर यह सत्य है तो हमारे माननीय मित्रों का यह कहना कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग समझते बूझते नहीं, वकीलों की खिल-वाड़ में आते हैं, यह उनका भ्रम है।

एक सदस्य--शिक्षित नहीं हैं।

श्री मदनमोहन--शिक्षित न हों, लेकिन दुनियां के और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के मुकाबिले में हमारी ग्रामीण जनता कहीं ज्यादा समझदार है। यह मेरा दावा है। आप न मानें यह आपको अधिकार है। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी आदमी वकालत करता है वह जानता है कि ग्रामीण मुवक्किल कैसे वकील के पास जाता है। मैं देख रहा हूं और जिसके आंख और कान हैं वह भी देख और सुन सकता है कि आज हमारी ग्रामीण जनता डम्ब ड्रिविन कैटिल की तरह नहीं है। आज वह अदालत में आती है तो इस बात की आवश्यकता अनुभव करती है कि उसके बैठने के लिये सुविधा हो, न्यायधीश के लिये उपयुक्त स्थान हो और उसे समस्त सुविधायें उपलब्ध हों और मैं समझता हूं कि प्रत्येक सुसभ्य देश का यह कर्त्तव्य है कि यह सुविधायें अदालतों को प्रदान की जायं।

दूसरी बात हमारे विष्ट जी ने कह दी कि आमदनी बढ़ गई। अगर किसी व्यक्ति का कारोबार बढ़ जाय, लेकिन जहां एक व्यक्ति काम करता हो वहां दो को करना पड़े तो आमदनी आधी ही रह जाती है। मान लें कि मुकद्दमों के बढ़ने से आमदनी बढ़ी, लेकिन जो इस विधेयक के उद्देश्य में दिया हुआ है कि अधिष्ठानों और भवनों का प्रबन्ध करना है तो इनमें खर्च नहीं होता ? जरूर होता है, इसलिये यह फैक्ट है। यह दोनों दृष्टिकोण मेरी बुद्धि में गलत नहीं हैं।

किन्तु यदि केवल न्याय के देने के दृष्टिकोण से देखा जाय तो विभिन्न सम्पत्तियों पर कर लेने के पश्चात् सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि समाज में व्यक्तिगत या समूहगत रूप से सम्पत्ति सम्बन्धी जितने संघर्ष हों, उनका निराकरण करे, उनका समाधान करे। उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रजा के रूप में रहता है उसका संरक्षण करे और यदि आवश्यक हो तो अपने अधिकारियों द्वारा उसके अधिकारों का संरक्षण करके उसको उपशम दे। न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक मर्तबा यदि सरकार विभिन्न सम्पत्तियों पर कर ले लेती है तो फिर सरकर को कोर्ट फीस लगाने का अधिकार नहीं रहता है।

आप यह देखें कि हम आय-कर, सम्पत्ति-कर भूमि-कर मृत्यु-कर, आदि देते हैं और प्रत्येक पहलू जो हमारे जीवन से सम्बन्ध रहता है और प्रत्येक सम्पत्ति जिससे वास्ता है उसके सम्बन्ध में हम कर देते हैं। अतः सरकार का कर्त्तव्य यह है कि वह हमारा संरक्षण करे और उसके सम्बन्ध में हमसे और लेने का उनको अधिकार नहीं है। इसी कारण जब कोर्ट फीस का प्रश्न आता है तो कभी उसे कर के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाता और इसी कारण से हमारे माननीय मित्र देखेंगे कि स्टाम्प ऐक्ट जो परसों प्रस्तुत था और जो इस समय कोर्ट फीस विधेयक में है इन दोनों के उद्देश्य और कारणों में विभिन्नता है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हम पंच-वर्षीय योजना के लिये धन चाहते हैं।

श्री मदनमोहन--अवस्थी जी से मैं कहूंगा कि वह खुद नहीं जानते कि वह स्वयं अपने कांस्टीटुएंसी के इस सदन में वकील हैं लेकिन वकीलों को जरूर बुरा कहते हैं। जितनी बातें वह कहते हैं अगर उतनी कोई वकील कहे तो अदालत में बैठा दिया जाय लेकिन यहां भाषण की स्वतंत्रता है। इस वजह से वह बोल सकते हैं और हम सुनने के लिये मजबूर हैं। लेकिन अदालत में यह नहीं हो सकता। अदालत में कहीं कम बोलना होता है बमुकाबिले उसके कि जो माननीय अवस्थी जी बोलते हैं। मैं आपके द्वारा उनसे क्षमा मांगूंगा कि मैं यह बातें कह गया।

मैं आपसे कह रहा था कि अगर तर्क मौलिक सिद्धांतों पर आधारित किया जाय तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिये यह हमसे कोई लेवी किसी प्रकार की करे। लेकिन संसार का यह निर्विरोध मत यह है कि विकासोन्मुख आर्थिक स्थितियों में यह अनिवार्य होता है कि हमारी सारी आय विकास सम्बन्धी कार्यों में व्यय हो जाय चाहे विकास अच्छा हो या बुरा। इस समय यह हमारे सामने प्रश्न नहीं है, हमारे सामने वास्तविक बात यह है कि विकास हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं चाहे अच्छी तरह से या बुरी तरह से। हम अपनी बुद्धि व शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। हमारी समस्त योजनायें ऐसी हैं, इतनी अधिक व्ययशील हैं कि जितनी हमारी कर-आय है सब उनमें समाप्त हो जाती है। हम बार-बार कहते हैं कि हमें अब भी अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिये धन की आवश्यकता है। तो जो कर वसूल हुआ है अगर वह खर्च हो जाता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम कोर्ट फीस लें। इस सिद्धांत पर माननीय मंत्री ने इस बिल को प्रस्तुत किया है कि अमुक-अमुक कार्यों के लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी कोर्ट फीस बढ़ायें।

जो कुछ हमारे सामने दूसरी तरफ से रखा गया है वह कोई अधिक महत्व का नहीं है तो भी मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात कहूंगा। जहां तक कानून का प्रश्न है इसमें कोई शंका नहीं जैसा कि कहा गया है कि :

"The test for distinguishing is.....not whether it is an amount which varies with the capacity of a party required to pay, nor whether the party is required to pay, obtains a benefit commensurate with the amount paid by him but the test is whether in providing the service for which the levy is collected by the State, the State levies an amount approximating to the expenses for providing the service and disburses it for applying that particular service."

मैं मानता हूं कि यह प्रश्न अधिक उत्पन्न नहीं होता कि जिस व्यक्ति से वह फीस ली जा रही है वह देने के योग्य है या नहीं। यह भी प्रश्न नहीं उठता कि फीस लेने के बाद जितनी फीस ली गयी है उसी के अनुपात से उसको सुविधा मिलती है या नहीं। यह कानूनी मत है। तो भी माननीय मंत्री जी क्या इस पर विचार करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विधेयक को उपस्थित करके उन्होंने हमारे लिये न्याय के दरवाजे भी बन्द कर दिये हों। जहां दर्द हो, दुख हो, अधिकारों से वंचित हो कर उससे उत्पन्न वेदना से ग्रसित है, उस दुखदर्द को, वेदना को हम कभी मिटा न सकेंगे, ऐसी व्यवस्था तो नहीं होने जा रही है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो बहुत दुख की बात होगी। न्याय बाजारों में बेचा नहीं जाता, दूकानों पर बेचा नहीं जाता, न्याय तो किया जाता है अत्याचारों के शमन के लिये। अगर फीस की आड़ में हम अत्याचारों का सहन करेंगे तो एक महान् कर्त्तव्य से जो आज सरकार के ऊपर है उसका पालन करने से हम वंचित रह जायेंगे। संघर्षों का निराकरण शांति की स्थापना और अधिकारों का संरक्षण यदि समाज में न हो सका किसी सरकार द्वारा तो वह सरकार निन्दा की पात्र बन जायगी। मुझे नहीं मालूम श्रीमन्, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि मुझे यह मालूम होता कि इस समय जो आवश्यकतायें हैं वे कितनी अधिक हैं जिनके लिये इतना अधिक कोर्ट फीस का कर लगाया जाय। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे ?

[श्री मदन मोहन]

मुझे ठीक याद नहीं है सन् १९३६ में या १९३८ में इसी सदन में माननीय कैलाशनाथ जी काटजू ने कहा था कि हम मुकदमेबाजी को कम करने के लिये ही कोर्ट फीस बढ़ा रहे हैं। उस समय की परिस्थितियां जो थीं सो थीं, लेकिन यह हमें याद रखना है कि माननीय कैलाश नाथ जी काटजू महोदय ने अपने विधेयक को अस्थायी रखा था और यह विधेयक हमारे सामने स्थायी रूप से आ रहा है। क्या भवनों का निर्माण, अन्य सुविधाओं की उपलब्धियां सदैव रहेंगी ? नहीं रहेंगी। अतः कोई कारण नहीं है कि यह कानून क्यों स्थायी रूप से बने ?

दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि चकबन्दी हो रही है। निश्चय ही चकबन्दी पूरी होने के बाद मुकदमेबाजी कम हो जायगी। संघर्ष व मुकदमेबाजी के कम हो जाने के बाद ही यह कानून रह जाय तो यह एक बहुत बड़ी ट्रेजडी होगी और मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़े दुख की बात होगी। न्याय का दरवाजा खुला रहना चाहिये। फीस इतनी लगनी चाहिये जिससे यह विदित हो कि जो व्यक्ति न्यायालय के दरवाजे पर आया है वह यों ही उपस्थित नहीं हुआ है। उसकी आवश्यकता है कि उसके अधिकार का संरक्षण हो। फीस का मंतव्य इतना ही होना चाहिये और मेरा ऐसा निवेदन है कि इसपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिये। मैं इसमें माननीय अवस्थी जी और माननीय गोविन्द सिंह जी से बिलकुल सहमत हूं कि जो इसमें कोर्ट फीस लगायी गयी है वह कहीं दुगुनी है, कहीं अठगुनी है, कहीं पंचगुनी है तो कहीं पर छगुनी। यह तो बहुत अधिक है और अगर इससे न्याय का दरवाजा बन्द हो गया तो बड़े दुख की बात होगी।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वर्मा जी का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था और माननीय वर्मा जी के भाषण के बाद ही कुछ थोड़ा सा समय लेना भी उचित समझा। माननीय वर्मा जी के भाषण से मैंने यह समझा कि किसी भी कमजोर मुकदमें को वह बहुत अच्छी तरह से बहस कर सकते हैं और ऐसे लहजे में और इस तरह से वह पेशकर सकते हैं कि किसी इजलास को उनके खिलाफ फैसला देने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैंने माननीय मिनिस्टर साहब को भी गौर से सुना था। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मुकदमें में पूरी तैयारी नहीं की थी और जो कुछ उन्होंने कहा--हम अपने को उसी पर निर्भर करते हैं। यों तो इस बिल का स्कोप बहुत व्यापक है क्योंकि एक तरफ यह मनी बिल है और दूसरी तरफ अपने देश में जो न्यायपालिका है उनके सम्बन्ध में ही यह पैसा मांगा जा रहा है। तो इस अवसर पर कुछ कहने का और सरकार को कुछ सलाह देने का मैं यह मौका समझता हूं। लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री का यह कहना था कि लिटिगेशंस बहुत बढ़ गये हैं और उस मुकदमेबाजी को जल्दी से फैसल करने के लिये और ठीक से लोगों को सस्ता इन्साफ मिल सके इसलिये इस कोर्ट फीस को हम बढ़ाने जा रहे हैं। इसके उद्देश्य में भी कुछ संकेत है।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या साल में कभी भी किसी समय एक दिन जो भारत वर्ष के संविधान का डाइरेक्टिव प्रिन्सिपुल है उनको देखने की मेहरबानी मिनिस्टर साहब करते हैं या नहीं ? जो संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपुल्स हैं उनको जरा माननीय मंत्री जी देख लें। उसमें यह कहा गया है कि हम न्याय और प्रशासन को जल्दी से जल्दी अलग करेंगे। उसमें हमने क्या किया ? उसमें हमने क्या प्रोग्रेस किया इस उत्तर प्रदेश में ? उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहेगी कि हमने बड़ा भारी काम किया कि हमने अपने यहां १८, २० जिलों में जुडिशियरी को अलग किया है ? लेकिन पहली बात तो सोचने की यह है कि क्या वह जुडिशियरी अलग है और जुडिशियरी के ऊपर कलेक्टर का हाथ है या नहीं ? अगर कलेक्टर उस जुडिशियरी को तब्दील कर सकता है और कलेक्टर उस जुडिशियरी को प्रमोट या डिमोट कर सकता है तो मैं नहीं समझता कि वह जुडिशियरी अलग है। मैं केवल इतना निवेदन

करना चाहता हूं कि मद्रास और बम्बई की नकल भी यह यू० पी० सरकार क्यों नहीं करती ? जिस प्रकार से जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का बंटवारा मद्रास और बम्बई में हुआ उसी प्रकार का बंटवारा इस वक्त यह उत्तर प्रदेश की सरकार कर दे तो उससे क्या कोई मुसीबत आने वाली है या कोई ऐसा तूफान आने वाला है जिससे हुकूमत को धक्का लग जायगा ? मैं इस बात को कहूंगा कि सरकार को उस मोह को छोड़ना चाहिये और उस मोह को छोड़कर जो जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव के लिये उनको है, उसे ऊपर उठना चाहिये। जब-जब यह प्रश्न सामने आया तब-तब हमने बराबर यह मांग की है कि अगर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपुल्स में कोई बात रखी गई तो माननीय न्याय-मंत्री जी हमको बतायें कि इसके विषय में बहुमत का क्या मत है ? कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने यह उचित समझा कि इसको रख देना चाहिये। अगर उधर बैठने वाली सरकार इसको नहीं मानती है तो उसके लिये हमको जुडिशियरी में जाने का अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के लिये तो हमको अधिकार है, डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स के लिये नहीं। वह उनके ईमान और विवेक पर छोड़ा हुआ है। तो क्या विवेक और ईमान को सरकारों को बेच देना पड़ेगा ? बच्चों की तालीम के लिये कहते हैं कि बहुत पैसे की जरूरत है, लेकिन इसमें क्या जरूरत है ? बम्बई की सरकार एक काम कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, यहां मैजिस्ट्रेट्स क्यों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नीचे रहें ?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं जानना चाहूंगा कि क्या विषयांतर नहीं हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं भी यही कहना चाहूंगा कि वे कोर्ट फीस विधेयक से अपना सम्बन्ध स्थापित करें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—मुकदमा जीतने के लिये आवश्यक है कि विषयांतर न हो।

श्री गेंदा सिंह—मैं समझा रहा हूं कि विषयांतर नहीं है। कुछ जज भी तो ऐसे होते हैं कि उनकी समझ में इसी तरह से आता है।

श्री उपाध्यक्ष—इस सेपरेशन से कोर्ट फीस से क्या सम्बन्ध है यह भी बता दें।

श्री गेंदा सिंह—उद्देश्य और कारण हमारे सामने हैं। उसमें मंत्री जी ने कहा है कि जस्टिस दिलाने के लिये हम कोर्ट फीस बढ़ा रहे हैं। जस्टिस किसको कहते हैं ? बड़ी साफ बात है। जिस जुडिशियरी का हमको गर्व है, जिसकी जस्टिस का हमको गर्व है उसी जस्टिस की मांग मैं कर रहा हूं और उस जस्टिस को आप मौजूदा नाम मात्र की जुडिशियरी से कभी नहीं दे सकते। उससे वह कभी नहीं मिल सकती।

फिर उपाध्यक्ष महोदय, लिटिगेशन के सिलसिले में मंत्री जी ने बताया कि हाईकोर्ट में पिछले सालों में कुछ हजार मुकदमें बढ़े हैं। क्या सरकार या कैबिनेट ने इस बात को सोचा कि सरकार के खिलाफ और सरकार के लाड़ले अफसर जो हैं उनके कारनामों के खिलाफ इन हाईकोर्टों में जो मुकदमें जाते हैं वह क्यों जाते हैं और उनकी तादाद कितनी बढ़ी है ? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मुकदमों के बढ़ने का दोषी सरकार को अपने को ही मानना पड़ेगा और मैं प्रमाण में कह सकता हूं कि ऐसे मुकदमें लड़े गये हैं कि जिनकी कतई जरूरत नहीं थी। माननीय मिनिस्टर की नोटिस में यह बात आयी, लेकिन एक अफसर कहते हैं कि अगर सरकार ने कोई फैसला दिया तो हमारी प्रेस्टिज बिगड़ जायगी। हाईकोर्ट तो मुलाजिम को बहाल करता है और डिपार्टमेंटल हेड कहता है कि हम इसको नहीं होने देंगे। मुलाजिम फिर हाईकोर्ट में जाता है और उस मामले को वह कंटेंप्ट आफ कोर्ट की शकल में उस अफसर के खिलाफ और उसी अफसर की बदौलत सेक्रेटरी के खिलाफ उठाता है। जब हाईकोर्ट उसको तलब करता है तब वह माफी, अनक्वालीफाइड माफी मांगते हैं और उसके बाद भी वह अफसर,

[श्री गेंदासिंह]-

अफसर है। हजारों रुपया उस पर खर्च हो गया। ५-७ वर्ष तक उस गरीब नौकर को मुकदमा लड़वाया गया। मुकदमें की प्रोसीडिंग्स में बहुत सा रुपया जाया हुआ। इस प्रकार से ही लिटीगेशन सरकार की तरफ से बढ़ाया जाता है। इसलिये अगर आप चाहें तो इस प्रकार का लिटीगेशन न बढ़े, इसके लिये सरकार पिछले ४-५ वर्षों के अपने ऐक्जीक्यूटिव के ऐसे केसेज को देखे। सेक्रेटेरियट में ही नहीं, कलेक्टरी में, थानेदारों को इंजीनियर्स को देखें कि उन्होंने अपने मातहतों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया है और उस बर्ताव के बदल में सरकार कितनी बदनाम हुई है। तो एक तो उन एक्जीक्यूटिव आफिसरों की अक्लमंदी से यह काम बढ़ा, दूसरे खर्चा बढ़ा, काम बिगाड़ा और खमियाजा किसको भुगतान पड़ा? जनता को। उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया। इसलिये लिटिगेशन बढ़ने के बारे में सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस लिटीगेशन में किस प्रकार से कमी की जा सकती है। सरकार को इस मामले में, आफिसरों के रौब में कुछ कमी हो जायगी, इस प्रकार से न सोचना चाहिये। न्याय के सामने झुकने में, मैं समझता हूं कि सरकार की इज्जत दुगुनी हो जायगी, उससे किसी भी प्रकार बेइज्जती और तौहीन नहीं हो सकती।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि और अधिक मुकदमों का भार उच्च न्यायालयों पर डालना उचित नहीं है। पहले मुझे केवल मुकदमा चलाने का तजुर्बा था लेकिन इधर कुछ दिनों से क्वासी जुडीशियल बाडी में बैठने का तजुर्बा भी हुआ है। तो मेरा तजुर्बा यह हुआ है कि वर्मा जी जैसे लोग जब अदालत में आयें तो उनको भरपेट कह लेने देना चाहिये। चाहे फैसला उनके खिलाफ ही देना हो, लेकिन उनको सुनना पूरे तौर से पड़ेगा नहीं तो जज की हैसियत बिगड़ जायगी। अगर वह सुनता है तो लोग कहेंगे कि जज इंसाफ पसंद है, बात को सुनने वाला है। इसलिये जजेज को इत्मीनान से सुनने के लिये वक्त चाहिये। उनके पास और ज्यादा काम नहीं होना चाहिये। इसलिये हाईकोर्ट में ज्यादा जजेज को बढ़ाये जाने के बारे में बार-बार चर्चा हुई है, लेकिन समझ में नहीं आता कि जजेज ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। सरकार को बिना किसी हीले हवाले के जजों की तादाद को बढ़ाना चाहिये ताकि मुकदमों में सही और शीघ्र फैसला मिल सके।

एक डेढ़ वर्ष पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। मुझको मालूम हुआ कि जजेज कोर्ट की इमारत की मरम्मत के लिये भी वहां काफी पैसा नहीं है। क्योंकि जुडीशियरी का संबंध एक्जीक्यूटिव से कम होता है इसलिये अधिक धन उस तरफ नहीं जा पाता। पर्याप्त स्थान की बात तो दूसरी है, लेकिन वहां मरम्मत के लिये भी धन मिलने में दिक्कत होती है। हमें हाई कोर्ट के जजेज से भी मुहब्बत है, और जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों से भी मुहब्बत है क्योंकि हमारी और देश की आबरू और देश की कुछ हिफाजत कर सकते हैं तो वे ही कर सकते हैं। नहीं तो जो मिनिस्टर साहब भी न चाहते हों, उनके चाहने और न चाहने से क्या होता है, लेकिन एक डिप्टी हो, एक तहसीलदार हो, एक कलेक्टर हो, वह चाहे तो किसी पब्लिक वर्कर को, किसी ईमानदार आदमी को परेशान कर सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय रामस्वरूप यादव जी मेरी बात सुन लें कि आज एक्जीक्यूटिव की जो हालत है उससे बचने के लिये और इस देश में डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिये जुडीशियरी का सुरक्षित रहना और जुडीशियरी का यह समझते रहना कि हम हर्गिज एक्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं हैं, देश की डेमोक्रेसी के लिये बहुत जरूरी है। इसलिये इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिये और इस बात को नहीं करना है तो हमेशा पैसे के लिये हाउस के सामने आ जाना और जो बात करने की हो उसे न करना, मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जनमत जानने के लिये प्रस्ताव को प्रसारित करना या प्रवर समिति में प्रस्ताव को भेजना अनावश्यक समझता हूं। किन्तु सरकार द्रव्याभाव से बहुत पीड़ित है इस कारण से मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। मद्रास के धरातल से जो उत्तर प्रदेश में कोर्ट फीस की दर बढ़ायी गयी है वह

विचारणीय बात अवश्य है। उनकी यह राय है कि इस वक्त सरकार को रुपये की आवश्यकता है। एक बात सोचने की यह है कि हमारे भौमिक अधिकार की जो रूपरेखा है वह अदालतों में जज लोगों के सामने सही रूप मे नहीं पेश की जाती। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि नाम एक आदमी के लिखा रहता है और खेत दूसरा आदमी जोतता है और २-४ साल लड़ने के पश्चात् उच्च-न्यायालय से इस बात का निर्णय होता है कि खेत अमुक व्यक्ति के कब्जे में है। सरकार इस बीच में कई साल से उस व्यक्ति से लगान लेती रही है लेकिन वह बाद में उसको वापस नहीं करती। तो मेरा सुझाव यह है कि सरकार ऐसे मुकदमे में कोर्ट फीस ले और जिसका नाम दर्ज हो उसके पक्ष में उच्च न्यायालय के विचारपति का निर्णय हो जाय, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकार को अच्छी तरह से विचार करना चाहिये। हमको किसी सही नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। कुछ लग्जरिअस बातें ऐसी हैं, जो प्रेम सम्बन्धी हैं, जैसे सिविल मैरेज ऐक्ट ५४ है, उस पर अगर ३७।। के बजाय ७५ रु० हो जाय तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। हिन्दू मैरेज ऐक्ट है, पारसी मैरेज ऐक्ट है, डाइवोर्स ऐक्ट है, अगर इस पर कुछ टैक्स बढ़ जाय तब तो ठीक है लेकिन किसानों का दरवाजा आप क्यों बन्द कर रहे हैं? जो चकबन्दी के लिये कलेक्टर के पास कोई अपील करे, या हैबियस कार्पस और रिट्स के मुकदमों के लिये आपने १०० ० कर दिया है इससे तो किसानों का मेरुदंड ही टूट जायेगा। मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी के सामने सही चित्र नहीं रखा गया। डिक्लेरेटिरी सूट्स के लिये जहां पहले २५ रुपया था वहां उसको बढ़ाते-बढ़ाते ६५ रु० कर दिया गया है, पता नहीं क्या सुझाव माननीय मन्त्री जी के सामने रखे गये, न मालूम सरकार पये के लिये कितनी प्यासी थी कि सही बात भी उसके सामने नहीं आ सकी। इस पर विचार किया जा सकता है, जो हाई कोर्ट के सम्मुख भौमिक अधिकार आदि के वाद चलते हैं क्योंकि मद्रास की तरह से उत्तर प्रदेश के भौमिक अधिकार नहीं हैं, वहां से यहां के अधिकारों म बहुत विभिन्नता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका श्रीगणेश मालूम होता है धारा २ की उपधारा (१) के खंड (क) से और वहीं से मतिभ्रम पैदा हो गया है। मालूम नहीं सरकार के पास इतनी जल्दी में इस काम को करने का क्या कारण रहा होगा। लेकिन वहीं से बड़ी घातकता है। आगे चल कर खंड २ के अन्दर मार्केट वैल्यु में बड़ी भ्रान्ति होती है। उसकी कोई परिभाषा होनी चाहिये कोर्ट फीस ऐक्ट में। यह चीज़ डिफाइन नहीं है। संकट का स्वरूप आ जायगा अगर ऐसा नहीं किया गया। यह संशोधन विधेयक देखने में तो बड़ा छोटा-सा है लेकिन प्रभाव क्षेत्र इसका इतना व्यापक है कि जिस समय यह कार्य रूप में आयेगा उस समय एक हाहाकार मच जायगा। मैं बलपूर्वक कहता हूं कि कोई नैतिक आधार नहीं है सरकार के पास ऐसा विधेयक लाने के लिये। संसार अर्थ भाव से संचालित है और सरकारों को भी अर्थ की आवश्यकता है और यह सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है जनता का स्तर ऊंचा करने के लिये, इसके लिये उसे अर्थ चाहिये, फिर भी सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये और यह विचार सरकार को स्वयं करना होगा। जहां तक इसमें ८ आ० फिर १२ आ० और फिर १ रु० का सम्बन्ध है वहां तक तो ठीक है लेकिन बाकी इसके अन्तर्गत इतनी बड़ी पीड़ा है जिसको मैं क्या कहूं, किन शब्दों में यहां प्रकट करूं? मैं उन शब्दों को फिर दोहराना नहीं चाहता। चकबन्दी के क्षेत्रों में दरवाजे बन्द से हो गये हैं और अगर रिट के दरवाजे भी बन्द हो जायं तो हालत बहुत खराब हो जायेगी। रिट के ऊपर दरिद्र किसान को १०० पये के अलावा कोर्ट फीस के रूप में कुछ, और कुछ वकील को देना होगा। इसके अलावा लाहाबाद के आने जाने का खर्चा अलग से होगा। मेरा खयाल तो यह है कि वह जीवित ही समाधि ले लेगा, जाने की बात तो पीछे होगी।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सरकार कुछ इस तरह से इस बिल की रचना करे कि जो दरिद्रनारायण है, जो उत्तर प्रदेश का किसान है, वह स संकट से बच जाय और सरकार के मिजान में भी कोई अन्तर न आये। इतनी अवश्य व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रारम्भिक अवसर पर वह न्यायालय जा सके, उस पर टैक्स की बढ़ोत्तरी को बहुत कम कर देना चाहिये। जो लग्जरीज़ सेक्शन्स हैं, जैसे स्पेशल मैरेज ऐक्ट, डाइवोर्स ऐक्ट, लक्ष्मी पुत्रों से सम्बन्धित मुकदमें, इनमें सरकार अपना मिजान बढ़ा सकती है फिर कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

[श्री रामलखन मिश्र]

जहां तक जनमत के लिये भेजने की बात है सभी लोग यह चाहेंगे कि हमें मुद्रा न देना पड़े। प्रवर समिति में विचार की बात है तो वह विचार यहां भी हो सकता है, लेकिन असली प्रश्न तो यह है कि सरकार को अन्तर दृष्टि डालना चाहिये, सरकार सही तस्वीर प्रदेश की सामने रखे और इस पर विचारे कि किसान हाई कोर्ट लग्जरी में जाता है---यह उसके लिये लग्जरी है या आवश्यकता ? इतने विभिन्न प्रकार के काश्तकार थे, अब जा कर सूक्ष्म होते जा रहे हैं। फिर भी जो किसान की आज स्थिति है और उसमें हमारे अधिकारी वर्ग की सोचने की जो मानसिक अवस्था है, जिन चीजों को सामने रख कर वे निर्णय लेते हैं उनका निराकरण हाई कोर्ट में होता है। इसलिये जो रिट के अन्दर १०० रु० रखा गया है यह विचारणीय बात है और ऐसी अनेक धारायें हैं, मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता क्योंकि अनेक भाई कहना चाहते हैं। मैं इन शब्दों से सरकार का ध्यान आदरपूर्वक दिलाना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करके संशोधन के स्वरूप में इसे शुद्ध कर दे वरना प्रदेश के किसानों के ऊपर एक आपत्ति आयेगी।

कुंवर श्रीपाल सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो आया है, जैसा माननीय राम लखन जी ने कहा---है तो बहुत छोटा मगर जहर का बुझा हुआ अगर कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमन्, यदि देखा जाय तो राज्य की उत्पत्ति ही आदिकाल में जब हुई तो केवल दो व्यवस्थाओं के लिये हुई--- न्याय और संरक्षण। जैसा माननीय वकील साहब ने कहा था कि राज्य का कर्तव्य ही है न्याय देना, अगर राज्य न्याय के लिये पैसा लेता है, चाहे वह फीस के रूप में या टैक्स के रूप में, क्योंकि फीस और टैक्स का विलगाव करना तो वकीलों के दिमाग की चीज है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, वकीलों को अपना मुकदमा समझा सकते हैं मगर उसमें कहीं झूठ मिला देने से मुकदमा सही हो जायगा, यह वकील ही कर सकते हैं। तो चाहे वह फीस के रूप में हो या टैक्स के रूप में, न्याय के लिये तो एक पाई भी लेना राज्य को शोभा नहीं देता। श्रीमन्, आदि काल से देखा जाय, सतयुग, त्रेता द्वापर और अब जो चल रहा है कलयुग, सब में आज से पहले न्याय सस्ता था, अंग्रेजों के जमाने में भी सस्ता था जब कि वह विदेशी थे। इसको मैं स्वयं कहता हूं ऐसी बात नहीं है। इस विधेयक के उद्देश्य में है कि १० साल से कोई फीस नहीं बढ़ायी गयी है। यानी इस विधेयक के लाने का मतलब यह हुआ कि फीस बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि १० साल से नहीं बढ़ायी गई। इसके माने यह हैं कि हम न्याय को सस्ता नहीं बनाना चाहते। हम यह नहीं चाहते कि हर एक गरीब और अमीर को न्याय सस्ता मिल सके। हम चाहते हैं कि न्याय को भी बनिये की दूकान बना दें और उसमें भाव निर्धारित कर दें और उन भावों के ऊपर अपना न्याय बेचें। ठीक है, यह सरकार बेंच सकती है क्योंकि आज सरकार हमारी पानी बेच रही है, दूध बेच रही है, अंडे बेच रही है, मांस बेच रही है, रास्तों पर बसेज और रेलवेज चला करके पैसा ले रही है। किसी भी तरह से पैसा आवे हमारी सरकार का यही एकमात्र ध्येय है। आज की सरकार जो है यह राजाओं की सरकार नहीं है मालूम नहीं किसकी सरकार है। वकीलों की है या बनियों की है, यह मैं नहीं कह सकता। तो मैं कह रहा था कि न्याय देना ही राज्य का एकमात्र कर्तव्य है। इसी के लिये राज्य की उत्पत्ति हुई। अगर कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखा जाय तो महर्षि चाणक्य ने एक सूत्र में कहा है :

"मत्स्य न्याय विभूताः प्रजा मनु वैवस्वतां, राजानाम चक्रिये।"

जिस वक्त प्रजा में मत्स्य न्याय की अधिकता थी कमजोरों के हिस्सों को जबरदस्त लोग हड़प लिया करते थे, उसको रोकने के लिये ही राज्य की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, माहाभारत में एक जगह जहां नारद की और युधिष्ठिर की बातें हुई हैं, राजा ने कहा कि महाराज हमें राज्य शास्त्र का उपदेश कीजिये, उस समय नारद जी द्वारा युधिष्ठिर से अनेकों प्रश्न किये गये हैं, उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि आप के राज्य में न्याय बिकता तो नहीं है क्योंकि यही राज्य के लिये कमजोरी और कलंक की बात है। जहां पर न्याय भी बेंचा जाता है उस राज्य को यदि बनियाबटोर कहा

ने मुकदमे बढ़ाये ? या काश्तकार ने मुकदमें बढ़ाये ? वह बढ़ाये हैं सरकार ने । आज चकबन्दी हो रही है, कल तुकबन्दी हो रही है, परसों चकबन्दी हो रही है, अनेकों प्रकार के कानून बनते जाते हैं, कल एक संशोधन होता है, परसों दूसरा संशोधन होता है, तीसरे दिन तीसरा संशोधन होता है और चौथे दिन चौथा संशोधन किया जाता है । उनको बेचारा सीधा-साधा ग्रामीण समझ भी नहीं पाता, वह बेचारा करे भी क्या ? उसके दरवाजे पर आज एक खड़ा है, कल दूसरा खड़ा है और पिछवाड़े में कोई तीसरा खड़ा है, इस तरह से वह मजबूर होता है और मुकदमे बढ़ते जाते हैं । इसकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी सरकार की है । वह पूज्य मूर्ति (महात्मा गांधी का चित्र) जो हमारे सामने लगी है और जिसके उपदेशों की बदौलत हमें यह दिन देखने को मिला है उनका एक वाक्य में बताऊंगा, उन्होंने एक बार कहा था कि यह वकालत पेशा और बीमा व्यवसाय पाश्चात्य सभ्यता की देन है । मैं कह सकता हूं कि इस वकालत के पेशे से ही मुकदमे बढ़े हैं । मार पड़ती है दूसरे के ऊपर और अदालत में फरियाद करता है दूसरा, मालूम होता है कि योगिक क्रियाओं से जो चीजें सम्भव नहीं थीं वह सरकार ने कानून के द्वारा सम्भव कर दीं । मार दूसरे पर पड़ी चोट का अनुभव हुआ दूसरे को । किस तरह से किसान के ऊपर डंडे पड़े वह किसान नहीं कह सकता, वह कहेगा वकील । अगर आप के यहां यह वकालत खत्म नहीं होगी तो एक नहीं आप हजार टैक्स बढ़ाइये यह मुकदमे खत्म नहीं होंगे ।

आज भी अगर देखा जाय तो हमारे राज्य में जिनको राजा कहना चाहिये, हम लोग तो खाली मोहर लगाने के लिये हैं बाकी राजाओं की बेंच तो केवल उधर आगे वाली है । उनमें कमी बेशी होती रहती है इसलिये उनका नम्बर ठीक नहीं बताया जा सकता और बाकी हम लोग जो हैं वह तो जैसा वकील साहब ने कहा कि जो कोई भी यहां आया है अपनी कांस्टीटुएंसी का वकील हो कर आया है । हम तो उनकी भाषा में खाली वकील हैं मगर राजा तो सिर्फ आगे वाले ही ह और राजा लोगों में से ७५ प्रतिशत वकील हैं और कोई नहीं है, और नीचे से ऊपर तक चाहें तो देख लें । जब राजा ही वकील हैं, और यहां के बैठने वाले वकील हैं जिनका कि काम ही यह है कि कानून बनाते रहें तो मुकदमे अगर नहीं बढ़ेंगे तो इन कानूनों का इस्तेमाल कहां होगा ? जर्मनी ने अपने यहां तोपें बनाई, उड़न बम बनाये, हवाई जहाज बनवाये और तमाम तरह के अस्लाह बनवाये गये और उनको फ्रान्स, इंगलैंड, रूमानिया और रूस आदि पर प्रयोग किया, अगर वह वहां न भेजे जाते तो सब औजार धरे रह जाते । तो ये जो एक-एक सूबे में चार-चार और पांच-पांच सौ आदमी खाली कानून बनाने के लिये दिन रात प्रयत्नशील हैं वह कानून लागू कहां हों जब तक मुकदमें न बढ़ें ? तो यह सरकार तो चाहती ही नहीं है कि मुकदमें खत्म न हों ।

एक चीज और इसमें लिखी है कि सन् १९५२ के संशोधन में जो कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाया गया था वह पूर्णांक किया गया था । उसी तरह इसमें भी गुंजायश रखी गयी है । बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनमें ५० नये पैसे रखे गये हैं । मेरे खयाल से वह इसीलिये हैं कि अगर फिर जरूरत पड़े तो वही पूर्णांक वाली बात खड़ी कर देंगे कि हमारे जो योग्य और काबिल अफसर हैं उनको हिसाब-किताब लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिये ५० नये पैसे के बजाय १०० नये पैसे कर दिया जाय ।

श्रीमन्, मंत्री जी ने एक चीज और कही कि प्लानिंग के काम के लिये रुपये की बड़ी सख्त जरूरत है और रुपया कहीं से मिल नहीं रहा है, तमाम दुनियां से भीख मांग चुके, जिसे भीख देनी थी वह दे चुका, अब दाता लोगों की झोली भी खाली हो गयी है इसलिये अब दरिद्रनारायण के ऊपर हमला बोलना चाहिये । तो प्लानिंग के लिये न्याय बेचा जायगा और प्लानिंग में होता क्या है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि भाषण में डिरेलमेंट न हो ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--श्रीमन्, लाइन कतई नहीं छोड़ूंगा, रास्ते में स्टेशन कई पड़ जाते हैं । तो प्लानिंग में बांध आज बना, कल बारिश हुई, परसों बह गया । सड़कें बड़ी उम्दा-उम्दा

[कुंवर श्रीपालसिंह]
आज बनीं, कल बारिश हुई, परसों पुल टूट गया, सड़क बह गई। नहरें गलत जगहों पर बनी, जहां कभी पानी नहीं रहता था वहां कमर-कमर भर और सीने-सीने भर पानी लगने लग गया। ऐसे प्लानिंग के लिये रुपये की जरूरत है। यानी जरूरत है तो उस प्लानिंग के लिये जिससे तबाही और बर्बादी आने वाली है, उससे कुछ भला होने की बात नहीं है।

माननीय वकील साहब ने थोड़ा-सा फीस और टैक्स के बारे में तफरका बतलाया।

श्री अध्यक्ष---आप उन्हें माननीय सदस्य कहें, यहां वकील की हैसियत से कोई नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---बहुत अच्छा। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इतनी बारीकी के साथ लफ्जों का टेनिस खेलना यह एक मात्र वकील पेशे का ही काम है। जो नान वकील लोग बोले हैं वे उस बारीकी तक नहीं पहुंच पाये हैं और माननीय सदस्य ने खड़े होते ही पहले उस को ही हिट किया कि यह फीस है टैक्स नहीं है। मगर मजा यह है कि आप ने उसका विरोध भी किया और सब से बढ़िया विरोध किया। अगर अतिशयोक्ति न हो तो मैं यह कहूं कि उससे बढ़िया विरोध और शायद ही कोई कर पायेगा। मगर अन्त में जब वोटिंग होगी तो वर्मा जी के हाथ उधर ही उठेंगे। जहां तक मैं समझता हूं फीस के माने पारिश्रमिक है और टैक्स-कर है। तो पारिश्रमिक किसी व्यक्ति के परिश्रम के उपलक्ष में दिया जाता है। तो क्या जज या न्यायाधीश जो अपने यहां हैं वह सरकारी मुलाजिम हैं या व्यक्तिगत कैपेसिटी में बैठ कर न्याय करता है, अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी में करता है तब तो फीस की आवश्यकता है लेकिन अगर सरकारी नौकर है तो फिर सरकार कैसे ले सकती है? वह टैक्स ही है, केवल नाम से कोई चीज थोड़े ही बदली जा सकती है। क्या पारिश्रमिक के रूप में जो किसानों से रुपया लिया जायगा वह मिट्टी का होगा और कर के रूप में जो लिया जायगा वह टीन या लोहे का होगा? चांदी का कहना तो हिमाकत होगी क्योंकि वह अब अपने पास रहा ही नहीं।

श्रीमन्, कुछ शब्द इसके उद्देश्य में आये हैं जिनको पढ़ कर हृदय में विचित्र भावना उठती है। इसकी अंतिम पंक्ति में है कि "नये प्रकार के आवेदन-पत्रों तथा वादों की, जिनकी इस अधिनियम में अब तक व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था करने के लिये भी इस अवसर का उपयोग किया गया है।" इस "अवसर" शब्द से मालूम होता है कि बहुत दिनों से सोचा जा रहा था कि किसी तरह से मौका मिले यही अवसर कहता है, इसलिये चूकने की जरूरत नहीं है। जो निचोड़ा जा सके निचोड़ लो। आवेदन-पत्र तथा वादों जिनकी पुराने अधिनियम में गुंजाइश नहीं थी उसको रखने से ही यह सिद्ध होगा कि मुकद्दमे बाजी बढ़ाने के लिये सरकार यह चाल चलती है और नई-नई बातें कानून में बढ़ाती रही है।

श्रीमन्, जो न्याय महंगा किया जा रहा है, हो सकता है कि इस समय अच्छा मालूम पड़े, हो सकता है कि हम मजबूरी या दबाव की वजह से हाथ उठा कर इसको पास करा दें लेकिन क्या नतीजा होने वाला है इसका ध्यान रखना चाहिये। इसके लिये हमें देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में नजर दौड़ानी पड़ेगी। आज जो फौजी अधिनायकवाद का बोलबाला हो रहा है उसका कारण यही है कि वहां की न्याय व्यवस्था शिथिल हो गई है। पाकिस्तान में जो फौजी शासन हो गया है उसका कारण यही था कि सही अपराधी नहीं पकड़े जाते और दूसरे पकड़ लिये जाते हैं। एक सदस्य ने बताया कि किसी किसान की जमीन दूसरे के पास चली गई तो धनाभाव में वह रिट कैसे करे? नतीजा यही होगा कि लोगों में विद्रोह की भावना फैलेगी और उसके कारण देश में फौजी शासन की जरूरत होगी। न शब्दों के साथ मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं जिसके द्वारा कहा गया है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां ठंडे दिल से विचार हो सके।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ जो इस हाउस के सामने पेश है इस पर कई भाषण हो चुके। जिस समय इस विधेयक को पेश किया गया था उस समय माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि १९४३ से यानी करीब १५ वर्ष से कोर्ट फीस के सम्बन्ध कोई तब्दीली नहीं की है और उन्होंने

यह भी कहा कि यद्यपि दो संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई। माननीय मंत्री जी की ओर से तीन कारण कोर्ट फीस बढ़ाने के बताये गये। एक तो यह कि हमारी जुडिशियरी पर जो खर्चा बढ़ता जा रहा है उस को मीट करना है। दूसरा यह कि जो हमारे प्रदेश के अन्दर मुकदमों की तादाद बढ़ती जा रही है ज्यादा फीस करने से, उनको उम्मीद है, कि शायद इससे उनमें कुछ कमी हो जाय। एक तीसरी बात और भी कही गई जो आम तौर पर कह दिया जाता है कि प्लानिंग के लिये भी हमको धन की जरूरत है। यह तीन बातें कही गयीं। मेरा अपना विचार है कि इन तीनों में से कोई भी कारण अपनी जगह पर सही नहीं है जिस पर हम इस कोर्ट फीस को बढ़ाएं और मुझसे पहले जो हमारे मित्र माननीय रामलखन मिश्र ने जो अपने विचार हाउस के सामने पेश किये मैं उनसे भी पूर्णतया सहमत हूं। मेरा अपना यह विचार है कि हमारे देश और प्रदेश की जुडीशियरी इतनी एक्सपेंसिव होती चली जा रही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश और प्रदेश का वर्तमान आर्थिक ढांचा उसे बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम एक तरफ समाजवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ जन-साधारण की आमदनी को देखिये, जिनको न्याय के लिएन्यायालयों में जाना पड़ता है। जो बात हमको एक भाई ने कही वह सही है कि हमारे रेकार्ड्स में इतनी गलतियां और खराबियां हैं कि आदमी इस बात पर मजबूर हो जाता है कि अपने बर्तन और जानवर बेच कर भी कोर्ट में जाय क्योंकि वह अपनी जमीन को छोड़ नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इस कोर्ट फीस का प्रभाव गरीब से गरीब आदमी पर पड़ने वाला है।

तो एक तरफ उस व्यक्ति की आमदनी को देखिये जिसको न्यायालय में जाना पड़ता है और दूसरी तरफ उन तनख्वाहों को देखिये जो हम अफसरों को देते हैं। हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह ४-५ हजार रुपये हैं। मंत्री जी यह कह सकते हैं कि उसको हम तय नहीं करते। वह आप के कांस्टीट्यूशन में है या गवर्नमेंट आफ इंडिया तय करती है। कोई तय करता हो, श्रीमन्, मेरा यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश और देश के अन्दर इतनी ऊंची तनख्वाहों पर जजों को नियुक्त करना अनुचित-सी बात है। यह जो समाजवाद का विचार है उसमें यह कहीं फिट नहीं होता।

यह भी कहा गया कि हमने जजेज कोर्ट्स बढ़ायीं, ठीक है। जब हमारे यहां इस कदर एरियर्स हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट में पेंडिंग केसेज ३६,००० से ४१,००० हो गये हैं। मैं श्रीमन्, बड़े अदब के साथ उनसे कहूंगा कि उनके हाई कोर्ट के जजों का आउटपुट आफ वर्क बहुत कम है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। कहा जा सकता है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल काम है। इन्टेक्चुअल काम का कोई मापदंड तो है नहीं। आध घंटा काम किया और उठ गये। मुकदमों पर अगली तारीख डाल दी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें। जजेज की इनकाम्पीटेंसी और आउट-पुट का कम होना इस बात की कोई दलील नहीं हो सकती कि हम जजेज की संख्या को बढ़ाते चले जायं। हमको इस बात का विश्वास होना चाहिये कि जिन लोगों को हम ४–५ हजार की तनख्वाह देते हैं क्या वह उतना काम जितना कि उनसे आशा की जाती है करते हैं? अगर नहीं करते हैं तब केवल उनकी संख्या बढ़ा देने से क्या होगा? १२--१२ साल बीत जाते हैं, हाईकोर्ट में २०, २० साल बीत जाते हैं, तीन तीन पुश्तें हो जाती हैं,---फैसला नहीं होता। हद से ज्यादा डिले होती है।

छोटी कोर्ट्स में भी यही होता है। मैं पेशेवर वकील नहीं हूं, वकालत तो पास की है। लेकिन कुछ थोड़ा अनुभव जरूर है और वह यह है कि छोटी-छोटी अदालतों में भी चाहे दीवानी की हो या फौजदारी की हो, इतनी पेशियां पड़ जाती हैं कि गरीब आदमी पस्त हो जाता है, उसकी हिम्मत वहीं टूटने लगती है और आगे वह इंसाफ प्राप्त कर सकने की उम्मीद ही छोड़ बैठता है। और यदि मैं यह कहूं कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारी जुडिशियरी पर से लोगों की आस्था घटने लगी है तो बहुत अनुचित बात नहीं होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्याय में देरी तो होती ही है, लेकिन उसके साथ-साथ न्याय इतना एक्सपेंसिव हो गया है और अब यह जो कोर्ट फीस बढ़ाया गया है, कितने स्टेजेज उसके होंगे फ्राम दि लोअर कोर्ट टु दि हाई कोर्ट उसका सब का खर्चा जोड़ा जाय तो मुझे पूर्ण

[श्री नवल किशोर]

विश्वास है कि जितनी कीमत का मुकदमा होगा उसका ५०, ६० प्रतिशत इस मुकदमेंबाजी में ही खर्च होगा। वकील साहबान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके बारे में तो यहां बिल में कुछ नहीं है, लेकिन अगर वकील साहबान की फीस भी कोर्ट फीस में जोड़ दी जाय और जो अदर प्रोसीजरल तथा मुतफर्रकात एक्सपेंसेज होते हैं वह भी जोड़ दिये जायं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी कीमत का केस होगा उसका ६० प्रतिशत से अधिक इन्हीं बातों के अन्दर उसका खर्च होने वाला है। इससे प्रदेश की जनता पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा इसका मुझे अन्देशा है।

जहां तक नियोजन की बात है, सरकार की जो टैक्स की पालिसी है उसका मैं विरोध नहीं करता। मैं इस मत का हूं कि जितना हाई टैक्सेशन आप कर सकते हैं उतना कीजिये मगर साथ ही साथ इस बात की मैंने हमेशा मांग की है और करता रहूंगा कि आपकी जो फिजूलखर्ची है उसको आप कम कीजिये। केवल यह कह देने से हमें नियोजन के लिये पैसा चाहिये काम नहीं चलता। इतना काफी नहीं है। नियोजन में जो पैसे की बर्बादी होती है उन बर्बादियों और फिजूलखर्चियों की रोकथाम की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये और उसकी तरफ आपका जितना ध्यान होना चाहिये उतना नहीं है। जिस समय कि आपकी फिजूलखर्चियां और बर्बादियां बन्द हो जायं अगर उसके बाद आप टैक्स की बात कहें तो मैं समझता हूं कि उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और अगर कोई आपत्ति करेगा तो वह उचित बात नहीं होगी।

श्रीमन्, एक शिकायत मेरी यह भी है और यही नहीं बात सही भी है। आजकल हमारे जो पुराने पुराने कानून हैं वे सब आपके हाथ के नहीं हैं और न आपके बनाये हुये हैं। आल इंडिया ऐक्ट्स हैं लेकिन वे आज की आवश्यकतायें और आज के बदले हुये जमाने के अनुरूप नहीं हैं। देश की आजादी के बाद जितने ड्रास्टिक चेंजेंज, जितने आमूल परिवर्तन, हमारे कानूनों में होने चाहिये थे उतने हम नहीं कर सके हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज हमारी जो जुडीशियरी है वह बिलकुल आउट आफ ट्यून है विद दी ऐसपिरेशंस आफ दि मासेज यानी जो जनता की आकांक्षायें हैं और जो आज के इस बदले हुये क्रान्तिकारी युग की आवश्यकताएं हैं, और जो मेंटल मेक-अप आज हमारी जुडीशियरी का है उनका कहीं ट्यूनिंग नहीं हो पाता, कहीं उनका ऐडजस्टमेंट नहीं हो पाता। यह भी एक कारण है कि जो हमारे गरीब भाई हैं, उनको सही तरह से न्याय नहीं मिल पाता। आम तौर से यही शिकायत होती है, आम तौर पर यह एक्सपीरियेंस है कि १०० में से अव्वल तो ५५ केसेज कोर्ट के अन्दर जाते नहीं हैं और जो जाते भी हैं उनमें से १४,१५ फीसदी कामयाब हो पाते हैं। श्रीमन्, जो आज जरायम की तादाद बढ़ती जाती है उसकी एक वजह यह भी है।

तो जहां यह हमारे सामने विधेयक है जिसमें कोर्ट फीस की बात है वह सही बात है। मगर जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा कि कोई नैतिक आधार इस बात का दिखाई नहीं देता कि जुडीशियरी पर अधिक आप खर्च करते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार कदम उठाये और जैसा कि आम तौर से मेरा वेतन कमी का सुझाव रहा है, अगर तनख्वाहों में कमी की तरफ ध्यान दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उसमें काफी कमी करने की गुंजाइश है। संख्या के बढ़ाने मात्र से ही एरियर्स खत्म हो जायं ऐसी बात मैं नहीं मानता। एरियर्स तभी खत्म हो सकते हैं जब एरियर्स को खत्म करने और दूसरे कामों को करने में तेजी की जाय और यह काम काफी तेजी के साथ होने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा गया है कि बहुत से गरीब भाई तो इसलिये कोर्ट से मैं नहीं जाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता। किसी के पास २-४ बीघा सम्पत्ति है, झगड़े में पड़ गये तो वह कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मैं तो यह चाहता हूं और जिसकी शिकायत भी मैंने की और जैसा मेरे माननीय मित्र ने भी कहा कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनके जब इस तरह के मुकदमे हों और उसके लिये जब कोर्ट फीस की बात हो तो यदि

वह कोर्ट फीस माफ हो जायं तो ज्यादा इन्साफ की गुंजाइश है। मैं चाहता हूं अगर यह कोर्ट फीस बढ़े तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिये। जहां तक इसे जनमत के जानने के लिये भेजने का संशोधन है उससे मैं इत्तफाक नहीं करता, मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि इसके ऊपर काफी सोचने की बात है क्योंकि देखने में यह बहुत छोटा सा विधेयक है किन्तु इसका जो बोझ पड़ने वाला है वह बहुत लोगों पर पड़ने वाला है। यह बात नहीं है कि बड़े आदमियों पर ही इसका बोझ पड़ेगा। अगर इस तरह की बात होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। जो कम्पनियों की बात इसमें है उसमें कुछ पूंजीपति जरूर आते हैं मगर कोर्ट फीस तो उनको भी देना पड़ेगी जिनको थोड़े से काम के लिये कोर्ट में जाना पड़ेगा। उन सभी के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। इसके अन्दर जो बढ़ोत्तरी की गई है वह मामूली नहीं है। वह अपनी जगह पर बहुत काफी है। इसमें यह जरूर कहा गया कि हमने मद्रास के आधार को अपने लिये मानकर उसके हिसाब से बढ़ोत्तरी की है क्योंकि उसके मुकाबले में हमारे यहां बहुत कम थी। मैं यह समझता हूं कि जहां तक इस मुकाबले की बात है तो ऐसे प्रान्त भी मिल जायेंगे जहां पर बहुत कम है। जो मद्रास में लैण्ड (भूमि) का सिस्टम है उसमें और हमारे यहां के सिस्टम में बहुत अन्तर है। यह संभव है कि उनके यहां इतने केसेज न हों मगर हमारे यहां केसेज बढ़ते चले जाते हैं। चकबन्दी में हमने कितनी भी एहतियात क्यों न बरती हो और कानून में तरमीम भी क्यों न की हो किन्तु फिर भी काफी शिकायत लोगों की आती रहती है। इस चकबन्दी के सिलसिले में हमारे यहां बहुत लिटिगेशन बढ़ गया है। ऐसी हालत में मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि इस कोर्ट फीस से जो हम बढ़ाने जा रहे हैं, जनता में काफी क्षोभ पैदा होगा।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, भाई गेंदा सिंह जी ने जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग करने की बात कही। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं लेकिन मेरा अनुभव ऐसा होता जाता है कि हम एकेडेमिक बहस में सिद्धांत की बात तो बहुत कहते हैं मगर जब हम उसको प्रैक्टिकल शेप में देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत संतोषजनक वह चीज नहीं रहती है। मैं माननीय मंत्री जी को संकेत करना चाहता हूं कि हमने कई जगह जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग करके देखा है और जुडिशियल अफसरों को भी एप्वाइन्ट करके देखा है फिर भी मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि वह अनुभव कुछ बहुत ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुआ है। लोगों की ऐसी आम धारणा थी कि हमारी जुडिशियरी करप्ट नहीं है, लेकिन वह धारणा भी अब बदलती जा रही है। तो केवल हम सिद्धान्त के ही पीछे चलें यह भी सोचने की बात है। भाई गेंदा सिंह जी इस समय यहां पर नहीं हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस पर सोचें। बार बार इस बात को प्रेस किया जाता है कि जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग कर दिया जाय। यह सिद्धान्त में तो सही है, लेकिन जहां पर हमने इसको अलग किया है उसके नतीजे सामने आये हैं तो उनको अध्ययन करके आगे चला जाय। जो वाकये सामने आते जायं उनको देखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो ज्यादा उचित होगा। अंत में श्रीमन् मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय सस्ता हो और शीघ्र मिल जाया करे।

*श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन दिया था कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं इसको पेश नहीं कर रहा हूं क्योंकि ब्रजनारायण तिवारी जी ने उसी तरह का संशोधन पेश कर दिया है और मैं उसी का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति में भेजने का संशोधन लाने का मेरा मंशा यह है कि इस विधेयक के औचित्य पर ठीक से विचार किया जा सके। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि चूंकि इस अवधि में और सन् १९४३ के बाद और विशेषरूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

न्याय प्रणाली में व्यय अधिक बढ़ गया है और जिलों में जजों की तादाद भी बढ़ा दी गयी है इसी वजह से सरकार को जरूरत पड़ी कि यह विधेयक लाया जाय जिसके जरिये से कोर्ट फीस में कुछ इजाफा किया जाय। मैं नहीं समझता कि किस तरह से इस प्रकार का विधेयक लाना मुनासिब होगा। क्या सरकार ने यह सोचा कि जो न्याय क्षेत्र में खर्च बढ़ रहा है उसको कम करने या निभाने का कोई दूसरा तरीका भी है या नहीं? इसके अलावा मुझे संदेह है कि इस दृष्टिकोण से सरकार ने कभी नहीं सोचा। मंत्री जी ने बताया कि बावजूद इसके कि अदालतें बढ़ी, जजों की तादाद बढ़ी, मुकदमों की संख्या इतनी है कि वह काफी तादाद में बकाया पड़े हैं। क्या इस बात को सोचने की तकलीफ की गयी कि ये क्यों इतनी तादाद में पड़े हैं? जैसा अभी माननीय नवल किशोर जी ने बताया हमारी यह न्याय प्रणाली और इसका प्रोसीजर ऐसा है कि जिसमें मुकदमों का बकाया रहना और उनका लम्बे अर्से तक चलते रहना अनिवार्य है और इस सिस्टम में परिवर्तन करने का, मौलिक परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनमें प्रादेशिक सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ बातों में सरकार परिवर्तन ला सकती है और जो बातें उसके अधिकार सीमा के बाहर हैं उनके लिये वह केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकती है कि हम यह सिफारिश करते हैं कि न्याय प्रणाली में यह परिवर्तन होना चाहिये। अगर ऐसा प्रयास किया जाय तो मुझे विश्वास है कि जिस मुकदमे में ४–५ साल लगते हैं वह एक साल में और एक साल वाले ४–५ महीनों में समाप्त हो सकेंगे और बकिया समय में हम दूसरा काम कर सकते हैं और इनकी इतनी बड़ी तादाद बाकी नहीं रह सकती। हमारा बाकी काम भी साफ हो सकेगा और दूसरा काम भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारा व्यय भी कम होगा और हमको इस तरह से कोर्ट फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं महसूस होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का घोषित लक्ष्य है कि वह समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है। समाजवादी समाज में सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि जनता को सस्ता न्याय मिले और मैं नहीं समझता कि यह विधेयक हमको सस्ते न्याय की तरफ ले जा रहा है। इसकी वजह से न्याय चौगुने, पंचगुने दाम पर बिकने जा रहा है। इसकी धाराओं में २५, ५० और १०० फीसदी कोर्ट फीस का इजाफा किया गया है। सस्ते न्याय के बजाय गरीब जनता पर बोझ डाला गया है और जो उसके लिये असह्य है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो विवाद हुआ कि यह टैक्स है अथवा फीस और टैक्स और फीस में अन्तर है। इस भेद में मैं नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि सरकार को टैक्स लगाने की एक प्रवृत्ति बन गई है। योजना के नाम पर, विकास के नाम पर, बढ़े हुये खर्चे के नाम पर या कम आमदनी के नाम पर सरकार की टैक्स बढ़ाने की, लगाने की आदत पड़ गयी है और इसी से प्रेरित होकर सरकार ने इस बात को सोचा है। अगर इसको दूसरे तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाती और प्रयास किया जाता तो आज यह नौबत न आती कि हम कोर्ट फीस में इजाफा करें। हम अपने खर्चों में कमी कर सकते थे। इसलिये इसको टैक्स नहीं कहना चाहिये। फिर भी दूसरे तरीके से जनता के ऊपर यह एक गैर जरूरी भार है। अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में एक बात जरूरी कहना चाहता हूं वह यह कि अदालतों में जनता को बहुत ज्यादा लूटा जाता है। रिश्वतखोरी बढ़ी हुई है और जनता परेशान है। जब सरकार टैक्स लेती है तो उसको यह भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वह इन बातों को दूर करने का भी प्रयास करे। माननीय बंसल जी ने बताया कि रिश्वतखोरी किसलिये बढ़ी हुई है। अदालतों में जो अहलकार हैं वे बहुत छोटे-छोटे तनख्वाह पाने वाले हैं, सुबह से शाम तक उनसे काम लिया जाता है। वे इतनी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनको पूरे भरपेट खाने को नहीं मिलता है इसलिये मजबूर होकर वे दूसरे तरीकों, यानी रिश्वत से पैसा कमाते हैं। इसलिये उसके साथ ही साथ हमें इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमें वहां के छोटे-छोटे कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान

से फैला हुआ है वह बंद हो सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें ताकि इसके औचित्य पर ठीक तरीके से विचार हो सके और तब वह इस सदन में आये ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के विषय में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक के द्वारा जो फीस बढ़ाई जा रही है, उससे गरीबों को बहुत अधिक परेशानी होगी । यों तो प्रायः सभी लोग एक मत के हैं कि हमारी न्याय प्रणाली बहुत महंगी होती जा रही है । जब कि हमारा विधान यह कहता है कि सभी तरह के लोगों को सस्ते न्याय की सुविधा मिलनी चाहिये लेकिन अगर इस प्रकार से और टैक्स बढ़ेगा तो गरीबों को तो न्याय मिलने में और भी दिक्कत होगी । खासकर मैं गरीब हरिजनों की बात कहता हूं । आजकल अदालतों में जो परेशानी होती है उसके कारण गरीबों और हरिजनों को सस्ता न्याय नहीं प्राप्त हो पाता है और उनको बड़ी दिक्कत होती है । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मैं दे देना उचित समझता हूं । हमारे क्षेत्र शाहगंज तहसील में एक गांव बरौली है । शिकमी के मुकदमों में ७ काश्तकार ए० सी० ओ० के यहां से जीते, फिर सी० ओ०, फिर चकबन्दी अधिकारी बन्दोबस्त और फिर कलेक्टर के यहां से जीते लेकिन उनको परेशान करने के लिये हाईकोर्ट तक मामला गया । अब उन लोगों पर छोटे-छोटे मुकदमें उनको परेशान करने के लिये चला दिये गये । इस तरह से कहने का मतलब यही है कि गरीब आदमियों को जिन पर रुपया नहीं है, आज की न्याय प्रणाली द्वारा परेशान किया जाता है और मजबूर किया जाता है कि वह परेशान होकर उस चीज को छोड़ दें । इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि बिल में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि हरिजनों और गरीबों के लिये कोई ऐसा सरकारी वकील हो जो उनके मुकदमों को मुफ्त कर सके, तथा उनको स्टाम्प वगैरह में भी सुविधा दी जानी चाहिये । दूसरी चीज यह है कि आजकल अदालतों की हालत यह है कि वहां तारीख पर तारीख पड़ती जाती है और किसी को पता तक नहीं रहता कि हमारा मुकदमा वास्तव में किस दिन होगा । अगर एक आदमी ४–५ आदमी को लेकर गवाही के लिये जाता है तो वहां आने जाने और रहने आदि में उसका काफी रुपया खर्च हो जाता है और उसके बाद ऐन मौके पर पेशकार मुकदमें की तारीख डाल देता है । इस तरह से एक-एक आदमी के सैकड़ों पये खर्च हो जाते हैं । हमारी न्याय प्रणाली एक तरह से बड़ी दूषित है । मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिये कि कम से कम जितना मुकदमा न्यायालय में तय हो सके उतने ही लोगों को अदालत में बुलाना चाहिये । लेकिन आज की हालत तो यह है कि पचासों और सैकड़ों आदमियों के मुकदमें की तारीखें एक ही दिन डाल दी जाती हैं और जब वे आते हैं तो उनकी तारीखें पड़ जाती हैं । इसलिये माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि अधिक लोग तारीखों पर न जायं, जितने लोगों का फैसला एक दिन में हो सके उतने ही लोगों को बुलाया जाय ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल जैसा कि और भी मेरे माननीय मित्रों ने कहा कि वकीलों के कारण ही गरीबों को मुकदमा लड़ने में और ज्यादा परेशानी होती है । तो ऐसी सुविधा होनी चाहिये कि जो गरीब आदमी अपनी बातें स्वयं अदालत के सामने कहना चाहे तो वह अपनी बातें कह सके और उसे वकील करने की जरूरत न हो ।

इसके सिवा एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि आज कल जितने मुकदमें तय होते हैं वे गवाही के आधार पर ही तय होते हैं, जिस तरह की गवाही हो गयी उसी के आधार पर जज लोग फैसला दे देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप कोर्ट फीस के बारे में ही कहें तो अच्छा हो ।

श्री माताप्रसाद—मान्यवर, मैं सस्ते न्याय के बारे में ही कहना चाहता हूं कि आज हमारी न्याय प्रणाली इतनी महंगी हो गयी है, जिस तरह की गवाही हो जाती है उसी तरह का फैसला हो जाता है । तो इसके लिये इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि गवर्नमेंट गुप्त रूप से जो

[श्री माताप्रसाद]

बड़े-बड़े मामले कत्ल आदि के होते हैं या और अन्य साधनों से उनका पता लगावे । ऐसे मामलों का फैसला गवाहियों के आधार पर नहीं होना चाहिये । इन शब्दों के साथ में अपने विचार प्रकट करता हूं ।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—अध्यक्ष महोदय, जो यह कोर्ट फीस का बिल पेश है, इस कोर्ट फीस का अर्थ ही यह है कि कचेहरी का किराया । यानी जहां तुम आये हो और खड़े हुये हो उसका किराया हमको दे दो । जब न्याय के लिये भी किराया देना हो तो फिर हमको न्याय मिले, यह कहां का न्याय है मेरी समझ में नहीं आता । मैंने इस बिल को देखा और पढ़ा तो मालूम हुआ कि १०० रु० पर १० ०, २०० रु० पर १२ १/२ रु०, ५०० रु० पर १३ रु०, ५०० रु० के ऊपर १४ १/२ रु०, फिर १५ १/२ रु० और १६ रु० और हजार पर जाकर १७·७ रु० कोर्ट फीस पड़ती है, और अब फिर घटना शुरू हुआ, २,००० रु० पर १४ रु० २,००० रु० से ३,००० रु० तक १३·९ रु० और फिर १३·५ रु० यह हजार तक चला । यानी हजार तक बढ़ना और फिर हजार तक घटना यह कहां का अनुपात है ? यह तो बिलकुल चन्द्रायणव्रत की बात हो गयी कि दूज से पूर्णमासी तक बढ़ा और फिर घटना शुरू हो गया । पता नहीं किस हिसाब से जहां हजार तक बढ़ा वहां फिर घटना शुरू हो गया । मैंने हिसाब लगा कर देखा कि माननीय मंत्री जी ने पांच बातें कही हैं । इन्तजाम का खर्चा बढ़ता जाता है, प्लान के लिये रुपये चाहिये, रुपये की कीमत घट गयी है और मुकदमें बकाया पड़े हैं ।

अब मुकदमों की बकिया क्यों पड़े हैं इसके मुताल्लिक भी मैं एक तालिका पेश करता हूं । दीवानी के मुकदमें सन् १९५४ में ४,८२,००० दायर हुये, २,७१,००० फैसल हुये, २९४ अफसरों ने उनको तय किया और ९,४६,००,००० रुपये की मालियत के मुकदमें दायर हुये । सन् १९५५ में ५,३१,००० मुकदमें दायर हुये, २,७१,००० फैसल हुये और ३०५ अफसरों ने फैसल किया और सन् ५६ में ५,६३,००० मुकदमें दायर हुये, ३,३०,००० फैसल हुये और ३३५ अफसरों ने फैसला किया । १९५५ में १३,५६,००,००० रुपये की मालियत के मुकदमें थे और १९५६ में ९,५१,००,००० रुपये की मालियत के मुकदमे थे । मैंने हिसाब लगाया, ३६५ दिन का साल होता है और १६५ दिन छुट्टी के लगाये । २०० दिन अदालत का काम चला और वह काम ३३५ अफसरों पर पड़ा तो हिसाब लगाने से मालूम हुआ कि आधा मुकदमा एक दिन में एक अफसर पर पड़ा । ऐसी हालत में काम तो पड़ा ही रहेगा ।

अब फौजदारी के मुकदमें ले लीजिये । सन् १९५४ में १,१४,३०० मुकदमें दायर हुये । ६८,२०० फैसल हुये, १४१७ अफसरों ने फैसला किया । १९५५ में १,१४,८०० मुकदमें दायर हुये, ६९,७०० मुकदमें फैसल हुये, १२९६ अफसरों ने इनको फैसल किया । १९५६ में १,१३,१०० मुकदमें दायर हुये । ६६,७०० मुकदमें फैसले हुये और १३८७ अफसरों ने इनको फैसल किया । प्रदेश में ५२ जिले हैं । एक जिले में २७ अफसर पड़े और एक अफसर ने मुकदमा तय किया १/५ । अब रहे पुलिस के मुकदमें । पुलिस केस सन् १९५४ में १५,६४८ साधारण थे, ८,५६६ भयंकर थे । इसी प्रकार सन् १९५५ तथा १९५६ के पुलिस केस के फोगर्स देख लिये जांय, उनसे ज्ञात होगा कि हमारे अफसरों ने कितने मुकदमें फैसल किये । फिर हमारी सरकार यह कहती है कि ४१,००० मुकदमें बकिया पड़े हैं । वे तो पड़े ही रहेंगे ।

काम भी तो बहुत करते हो । हमने देखा जिलों में ११ बजे अफसर आता है, एक घंटा लेता है अर्जी सवालों में, १२ बजे से काम शुरू करता है, डेढ़ बजे लंच पर गया और ३ बजे फिर बैठा और ४ बजे काम खत्म कर दिया और चल दिये । इस तरह से जनता को परेशान किया जाता

है, तारीखें डाली जाती हैं। तो मैं सुझाव देता हूं कि सरकार चीन की नकल करे। वहां मुकदमें तय नहीं होते, न इतने अफसर हैं। एक आदमी हमारा गांवों में जाय और पंचायत को बुला ले और मुकदमा तय करे, न गवाह की जरूरत, न अपील में जाने की नौबत आये। इतना रुपया जो सरकार मकानों वगैरह पर खर्च करती है इसको बन्द करे। गांव में जाकर तय करे। वहां १०० आदमियों को इकट्ठा कर ले, कोई सब के सामने झूठ नहीं बोलेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ दिसम्बर, १९५८।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर।)

तालिका

पद नाम	कुल संख्या	इटावा परिगणित जाति	डिपो पिछड़े वर्ग	कुल संख्या	कानपुर परिगणित जाति	डिपो पिछड़े वर्ग	कुल संख्या	फर्रुखाबाद परिगणित जाति	डिपो पिछड़े वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
क्लीनर ..	९	..	१	१२	१	१	१२	१	१
क्लीनर कन्डक्टर ..	४	१	..	१२	..	..	४	३	..
कन्डक्टर ..	५०	४	२	६१	१	५	५३	..	४
कन्डक्टर सिटी बस सर्विस	..	..	..	..	..	..	४	..	..
जूनियर क्लर्क	११	..	..	१८	..	..	१०	..	..
बुकिंग क्लर्क	२१	..	..	२८	..	..	२४	..	..
जनरल क्लर्क	१	..	..	२	..	..	..	..	..
सीनियर फोरमैन	१	..	..	१	..	..	..	..	..
जूनियर फोरमैन	..	..	..	२	..	..	१	..	..
मिकेनिक ..	२	..	..	३	..	..	२	..	..
असिस्टेंट मिकेनिक	७	..	१	८	..	१	५	..	..
एलेक्ट्रीशियन	..	..	..	.	..	..	..	..	..
असिस्टेंट एलेक्ट्रीशियन	१	..	..	१	..	..	२	..	..
स्टोर कीपर ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
असिस्टेंट स्टोर-- कीपर ..	१	..	..	१	..	..	१	..	..
ड्राइवर ..	५५	४	१५	९३	३	१	६८	४	२

पी० एस० यू०पी०--ए० पी०-२८४ एल० ए०--१९५९--८४५।